खण्ड-213, अंक-3
मंगलवार, 13 वैशाख, शक संवत् 1882
(3 मई, 1960 ई0)

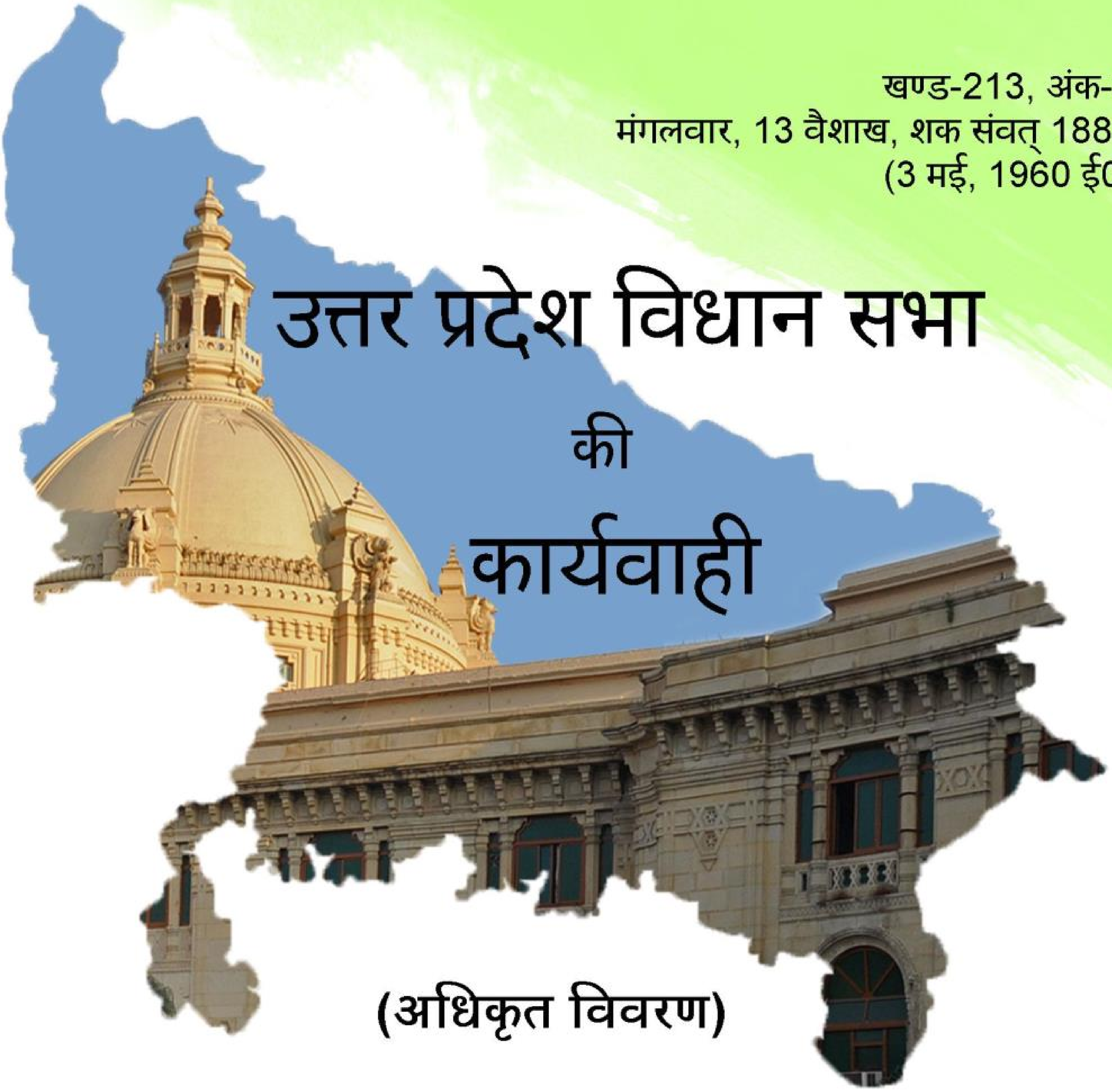

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 213 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३ मई, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री,
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पाण्डेय श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, (श्री एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री

घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथचौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य,
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद, मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद श्री, (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती भूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह श्री
प्रभावतीमिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री

बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामभूति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव
रामशरण यादव, श्री

रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लाल बहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह राजा
ब्रज विहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिव वचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :---सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महाबीर सिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३ मई, १९६०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सोवियत विशेषज्ञों की देख-रेख में हाई पावर विद्युत गृह स्थापित करने की योजना

**१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सोवियत विशेषज्ञों की देख-रेख में हमारे प्रदेश में कोई हाई पावर विद्युत गृह स्थापित किये जाने की योजना उसके विचाराधीन है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी हां।

**२—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके उस योजना की अब तक उपलब्ध रूप-रेखा से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—फरवरी, १९६० में रूस की सरकार और भारत सरकार के बीच जो इकरारनामा हुआ है उसमें पचास पचास हजार किलोवाट की पांच मशीनें हमारे प्रदेश के लिये भी शामिल हैं और आशा की जाती है कि शीघ्र ही कुछ रूसी विशेषज्ञ भी पावर स्टेशन के लिये जगह छांटने इत्यादि का काम करने के लिये यहां आयेंगे। इसी संबंध में रूस के टैक्नोप्रोमो एक्सपोर्ट (Technopromo Export) से बातचीत हो रही है।

सर्व श्री जी० के० हांडू तथा ओंकारसिंह डी० आई० जी० को डेपुटेशन पर भेजना

**३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय प्रदेश के किन पुलिस के डी० आई० जी० को प्रदेश से बाहर डेपुटेशन पर कार्य करने के लिये भेजा गया है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—केवल दो। श्री जी० के० हांडू तथा श्री ओंकार सिंह।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि हांडू साहब और श्री ओंकारसिंह के पहले कोहिली साहब डी० आई० जी० थे और उनको डेप्यूटेशन पर भेजा गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस समय तक जो कन्फर्म्ड डी० आई० जी० हैं वे वही दोनों हैं, जिनके नाम मैंने अभी बताये, इसके अलावा कुछ एस० पीज० है जो काम कर रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—ये दोनों कहां भेजे गये हैं और किस पद पर भेजे गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्री ओंकार सिंह, चीफ सिक्योरिटी आफीसर, नार्दर्न इंडिया रेलवे के पद पर और हांडू साहब, गवर्नमेंट आफ इंडिया में डेप्यूटेशन पर भेजे गये हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित]

राज्य के पश्चिमी भाग में आणविक पावर हाउस स्थापित करने की आवश्यकता

*१—श्री देवकीनन्दन विभव, (जिला आगरा) (अनुपस्थित), श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर), श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—क्या सरकार को यह विदित है कि केंद्रीय सरकार ने अभी यह निश्चित किया है कि कुछ आणुविक पावर स्टेशन ऐसे क्षेत्रों को दिये जायं जो कोयले उत्पादन क्षेत्रों से दूर हों? यदि हां, तो क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने एक या अधिक आणुविक पावर स्टेशन को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में प्राप्त करने का प्रयत्न किया है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक आणुविक पावर स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार के सामने रखा है और अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी रख रही है परन्तु अभी भारत सरकार ने यह निर्णय नहीं किया है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में भारत में कितने आणुविक पावर हाउस लगेंगे और कहां-कहां।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि केंद्रीय सरकार को यह प्रस्ताव कब भेजा गया?

श्री गिरधारीलाल—दिसम्बर, ५९ में भेजा गया था।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पश्चिमी भाग में कोई निश्चित स्थान उन्होंने तय कर लिया है या नहीं?

श्री गिरधारीलाल—अभी तय नहीं हुआ है। जिस वक्त केंद्रीय सरकार इस बात को निश्चित कर लेती है कि पश्चिमी यू० पी० को एक एटोमिक एनर्जी सेट दिया जाय, तभी वह स्थान भी आसानी से तय हो जायगा।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—क्या माननीय मंत्री जी उस प्रस्ताव को पढ़ने की कृपा करेंगे जो उन्होंने केंद्रीय सरकार को इस बारे में भेजा है?

श्री अध्यक्ष—आप संक्षेप में बता सकते हैं। पूरा पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री धर्मसिंह—भारत सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है उसका आशय इस प्रकार है—जिसमें लिखा है कि पश्चिमी जिलों में बिजली की बहुत भारी मांग है और वहां पर आवश्यकता भी है, लिहाजा सेंट्रल पावर कमीशन से प्रार्थना की गयी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एटामिक इनरजी के कोई स्टेशन वगैरह के लिये वह प्रबन्ध करे।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि एटामिक पावर स्टेशन के लिये सिफारिश करने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—जैसा कि प्रश्न पूछा गया है एटामिक इनरजी सेट वहां के लिये ज्यादा अच्छा होगा जहां कोयला आसानी से नहीं मिल सकता है। साथ ही वहां पावर की डिमांड ज्यादा होगी और हाइडल से हम लगातार बिजली सप्लाई नहीं कर सकेंगे, ऐसे स्थानों के लिये यह एटामिक इनरजी सेट जो होगा वह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एटामिक पावर स्टेशन बन जाने के बाद कितने क्षेत्र में बिजली उपलब्ध हो सकेगी?

श्री धर्मसिंह—अभी तो उसके लिये कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पत्र प्रादेशिक सरकार ने केंद्रीय सरकार को भेजा है उसका क्या उत्तर वहां से आया है ?

श्री धर्मसिंह—उसका उत्तर इस प्रकार है कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार होगा तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की जो बिजली की मांग है, उसके विषय में उसी वक्त सरकार निर्णय कर सकेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि योजना बनाते समय यह कोई कैल्कुलेशन किया गया था कि प्रति यूनिट कास्ट एटामिक पावर हाउस पर कितना पड़ेगा ? यदि हां, तो कितना ?

श्री गिरधारीलाल—करीब १,८०० रु० प्रति यूनिट ।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना के चालू होने में कितनी धनराशि व्यय होगी ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि मैंने बतलाया भारत सरकार से प्रार्थना की गयी है । डिटेल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

खाद्य तथा रसद विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों का बिक्री कर विभाग में स्थायित्व

*२—**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राशनिंग से आये हुए कितने कर्मचारी (क्लर्क) कमिश्नर, बिक्री-कर के अधीन कार्यालय में कार्य कर रहे हैं इनमें से सन् १९५६ से फरवरी, १९६० तक कितनों को स्थायी कर दिया गया है और कितनों को नहीं ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—खाद्य तथा रसद विभाग के २२५ भूतपूर्व कर्मचारी (क्लर्क्स) इस समय बिक्री-कर विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे हैं । इनमें से जनवरी, १९५६ से फरवरी, १९६० तक १६५ कर्मचारियों (क्लर्कों) को स्थायी कर दिया गया है । शेष ६० कर्मचारी अभी अस्थायी हैं ।

*३—**श्री प्रतापसिंह**—उपरोक्त क्लर्कों में से कितनी अवधि से कार्य करने वालों को स्थायी किया गया है, स्थायी किये गये सहायकगणों में से कितनों को स्थायी किये जाने की सूचना दी जा चुकी है और कितनों को अभी तक कोई सूचना नहीं भेजी गई है और क्यों ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—उपरोक्त कर्मचारियों (क्लर्कों) में से जिनकी सेवा अवधि १ अप्रैल, १९५५ को २ वर्ष की हो गई थी और जिनका काम व चरित्र संतोषजनक था, उनको स्थायी कर दिया गया है । स्थायी किये जाने के आदेश इन सभी कर्मचारियों को भेज दिये गये हैं । स्थायी किये गये ऐसे कोई भी कर्मचारी नहीं हैं जिनको इसकी सूचना न दी गई हो ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि ३१ मार्च सन् ५३ तक जिन्होंने विभाग ज्वाइन किया था, उनको दो साल पूरा होने पर कन्फर्म कर दिया गया लेकिन उसके बाद जिन्होंने अप्रैल, ५५ में विभाग ज्वाइन किया, उनको दो साल पूरा होने पर क्यों कन्फर्म नहीं किया गया ? ऐसा क्यों किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—चूंकि वे पहले से सर्विस में थे इसलिये उनको अलहदा करने में कठिनाई थी । बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, जैसे-जैसे जगहें होंगी, उनको भी कन्फर्म किया जायगा । ऐसी बात नहीं है जिसको माननीय सदस्य न समझ सकें ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो दो साल की बंदिश लगायी है उस दो साल में दूसरे विभागों में किये हुए काम की सर्विस गिनी जायगी या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो सर्विस रूल्स पर ही मुन्हसिर है। जो टर्म्स होंगे, उनके बेसिस पर किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देते जो शेष अस्थायी लोग रह गये हैं उनको, चूंकि सरकार ने डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है कि तीन साल की सर्विस वालों को स्थायी कर दिया जाय, उसके अनुसार स्थायी करने की कृपा करेगी।

श्री सैयद अली जहीर---वह तो जैसा मैंने कहा उनके काम पर और चरित्र पर निर्भर होगा, उनका काम सैटिसफैक्टरी होगा और केरेक्टर में कोई खराबी न होगी तो जहां तक हो सकेगा जितनी जगहें होंगी उनमें उनको अवश्य स्थायी किया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जो विभागीय लिस्ट ऐफीशियेंसी के हिसाब से बनी है उसमें सिर्फ उन्हीं को बैठने दिया गया था जिनकी अवधि सन् ५५ में २ साल की थी और उसके बाद वालों को इस वास्ते नहीं बिठाया गया कि उन की अवधि २ साल की नहीं थी ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे मालूम नहीं कि वह किस बात को कह रहे हैं, कोई परीक्षा तो नहीं हुई, केवल पी० एस० सी० को ही मामला रिफर हुआ था और वहीं करेक्टर रोल भेजे गये थे, जहांतक मुझे मालूम है कोई इम्तहान नहीं हुआ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लोग, ५५, के बाद के कन्फर्म नहीं हुये उनको असिस्टेन्ट सेल्स टैक्स आफिसरों के कम्पिटीशन में न बैठने देने का क्या कारण था ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो हमें नहीं मालूम।

कूडेमार-मजवारा सड़क के निर्माण की आवश्यकता

*४---**श्री गयाबख्शसिंह** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सुल्तानपुर के कूडेमार मजवारा सड़क जो तीन वर्षों से बजट में बनाने के लिये दिखायी जाती है कब तक बनेगी और उस सड़क की लम्बाई क्या होगी ?

श्री गिरधारीलाल---इस सड़क के अक्टूबर, १९६१ तक बन जाने की आशा की जाती है तथा उसकी लम्बाई ६ मील होगी।

[३ मई, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---[सत्रहवें बुधवार के लिये प्रश्न १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गोरखपुर में राप्ती पुल निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न मिलना

*३---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में राप्ती पुल निर्माण के सम्बन्ध में जो भूमि सरकार ने मोहल्ला हांसूपुर तथा चकरी अव्वल के निवासियों से ली है उसमें जो-जो फलदार वृक्ष तथा शीशम आदि के वृक्ष थे उसकी गिनती व नाप-जोख वृक्षों के कटने के पूर्व पी० डब्ल्यू डी० द्वारा हुई थी ? क्या इसकी सूचना सम्बन्धित निवासियों को दी गई थी ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)--प्रथम भाग--जी हां द्वितीय भाग --इसकी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई ।

*४--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर में राप्ती पुल निर्माण हेतु चकरा अब्बल तथा हांसूपुर के निवासियों की भूमि सन् १९५८-५९ में ली गई है ? यदि हां, तो उसका मुआवजा काश्तकारान को दिया गया कि नहीं ?

श्री महावीर सिंह--प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--जी नहीं, पर कार्यवाही हो रही है ।

*५--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भूमि में जो-जो फलदार तथा शीशम आदि के वृक्ष थे उसका किस हिसाब से और कितना मुआवजा प्रत्येक काश्तकार को दिया गया ?

श्री महावीरसिंह--काश्तकारों को अभी मुआवजा नहीं दिया गया है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके उन पेड़ों की गिनती की लिखित सूचना उन लोगों को क्यों नहीं दी गई ?

श्री महावीरसिंह--इसलिये कि वह वहां मौजूद थे और आवश्यकता ही नहीं थी ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उनको इन पेड़ों का मुआवजा कबतक दिया जायगा ?

श्री महावीरसिंह--कोशिश हो रही है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--यह कोशिश कितने साल तक जारी रहेगी ?

श्री महावीरसिंह--जब तक आप उनके ऊपर मेहरबानी करते रहेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय--अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो उत्तर दिया कि जब तक आप उनके ऊपर मेहरबानी करते रहेंगे, यह मैं समझता हूं कि संविधान के विपरीत है । मंत्री जी को ऐसा उत्तर देना चाहिये जो लगता हुआ हो और जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाय, वेग जवाब देना उनके लिये उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--यह संविधान के विपरीत तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार का उत्तर देना उचित नहीं है ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--उसमें जल्दी कर दी जायगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो इन किसानों की भूमि ली गई वह किस सन में ली गई ?

श्री महावीरसिंह--स्थायी तौर पर ९-५-५९ को लैंड एक्वीजिशन आफिसर द्वारा विभाग से विज्ञप्ति जारी की गई थी और २६-११-५९ को वह भूमि ली गई थी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--मुआवजा देने में देर होने के क्या कारण हैं ?

श्री महावीरसिंह--अब तो रिट पेटीशन दायर हो गया है, अब तो कारण यह हो रहा है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--पेड़ों का मुआवजा किस हिसाब से बन रहा है ?

श्री महावीरसिंह---जो प्रिविलेन्ट कीमतें होती हैं उनके ऊपर ।

शारदा कैनाल में ब्रीचेज

*६---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Sharda Canal System में १९५९ में कितनी Major Breaches हुईं और यह कैसे हुईं ?

श्री गिरधारी लाल---८ मेजर ब्रीचेज हुई । अधिकतर ब्रीचेज का कारण चूहों के सूराख द्वारा या अन्य कारणों से शोरी होकर बढ़ जाना था । इनमें से तीन ब्रीचेज का कारण निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सका ।

*७---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त Breaches के कारण धन-जन, पशुओं की कितनी क्षति हुई और कितना मुआवजा क्षतिग्रस्त लोगों को दिया गया ?

श्री गिरधारी लाल---इन ब्रीचेज के कारण जन तथा पशुओं की कोई क्षति नहीं हुई । खेती की पैदावार को क्षति हुई जिसका मुआवजा रु० १८१०३.५० न० पै० दिया गया । इसके अतिरिक्त एक ब्रीच से कुछ कच्चे मकानों को भी क्षति पहुंची थी जिसका मुआवजा रु० २९६.५० न० पै० दिया गया ।

*८---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त Breaches को ठीक कराने में कितना धन व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल---९,७३८ रुपया ।

*९-१०---श्री प्रतापसिंह---[१०, मई १९६० के लिये प्रश्न ५२-५३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

*११-१२---श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

विभिन्न निर्माण योजनाओं में लगे मस्टर रोल व वर्कचार्ज के कर्मचारी

*१३---श्री प्रतापसिंह---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न योजनाओं में कितने लोग मस्टर रोल पर, वर्क चार्ज पर और कितने लोग माहवारी के हिसाब पर कार्य करते हैं:

(१) घोरा डैम, किछा, नैनीताल,
(२) नानक सागर, नैनीताल,
(३) सारदा सागर, पीलीभीत,
(४) तुमड़िया डैम, नैनीताल ?

श्री धर्मसिंह---इसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०५ पर)

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि जो मस्टर रोल और वर्क चार्ज पर कार्य करते हैं वह चाहे कितने ही एक्सपर्ट क्यों न हों उनको अफसरों की दया पर निर्भर रहना होता है ? यदि हां, तो उनको रेग्युलर स्टाफ में बदलने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---यह तो बदला नहीं जा सकता । जैसे जैसे आवश्यकता होती है उसी तरीके से उनका रेक्रूटमेन्ट होता है । जहां पर काम होता है वहीं पर लगाये जाते हैं । जहां तक यह कहा गया कि अफसरों की दया पर निर्भर रहना होता है, यह बात नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनकी वजह से एक ही योग्यता का आदमी मस्टर रोल में भी काम करता है और वर्क चार्ज में भी और क्या मस्टर रोल में से वर्क चार्ज में नहीं किया जा सकता ?

श्री धर्मसिंह---इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। यदि सूचना देंगे कि एक ही कर्मचारी दो तरीके से रखा गया है तो छान-बीन की जायगी और कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो वर्क चार्ज में कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें वर्क चार्ज कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं ?

श्री धर्मसिंह---कमेटी का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें हैं वर्क चार्ज की, उन्हीं के आधार पर सुविधाएं दी जा रही हैं।

श्री देवनारायण भारतीय---इन चारों स्थानों पर क्या जेल के कैदी भी काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो वे किस प्रकार के काम करने के लिये समझे जाते हैं ?

श्री धर्मसिंह---जेल के कैदी इन चारों स्थानों में से कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वह शर्तें और सहूलियतें क्या है जिनका कि अभी माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया ?

श्री अध्यक्ष---आपका प्रश्न कुछ थोड़ा व्यापक हो गया है, अगर मंत्री जी के पास कुछ सूचना हो तो दीजिये।

श्री धर्मसिंह---वर्क चार्ज का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें बहुत से कर्मचारी रखे जाते हैं। यह लोग माहवारी वेतन पर ऐसी योजनाओं पर रखे जाते हैं जिनके समाप्त होने में काफी समय लगने की सम्भवना होती है। इनको रखने से पहले कुछ सेंक्शन वगैरह उसकी होती है और उनके वेतन की दर, नौकर रखे जाने का समय, योजना पर पूरे तरीके से ड्यूटीज वगैरह का वर्णन रहता है। नियुक्तियां केवल एक्जीक्युटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कर सकते हैं। आमतौर से योजना के एस्टीमेट के प्रावीजन के अनुसार इनकी नियुक्ति होती है। यह वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के बारे में है।

श्री प्रतापसिंह---वर्क चार्ज से रेग्युलर करने में दिक्कत है यह उन्होंने कहा। लेकिन मस्टर रोल से वर्क चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है और मस्टर रोल का तरीका सामन्तशाही तरीका है, इसको खत्म करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

*१४---१६---श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)---[२८ अप्रैल, १९६० को प्रश्न ८७-८८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*१७---श्री देवकीनन्दन विभव---[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१८---श्री देवकीनन्दन विभव---[हटा दिया गया।]

*१९---श्री रामसुन्दर पांडेय---[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

माताटीला बांध से संबंधित कार्यों के टेंडर तथा ठेकेदारों का बकाया

*२०---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माता-टीला बांध पर काम करने वाले ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनका पेमेंट दिसम्बर, १९५९ तक बाकी है और कितना-कितना तथा कब से ?

*२१--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९५९ से जनवरी, ६० तक माता-टीला बांध पर किन-किन कामों के लिये कितने बार टेण्डर मांगे गये और प्रत्येक बार कितने-कितने टेण्डर आये ? उनमें कितने स्वीकार किये गये ?

श्री धर्मसिंह--यह सूचना उपलब्ध नहीं है । एकत्र करने में समय लगेगा । प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जायगी ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--सूचना उपलब्ध न होने का क्या कारण है और सूचना एकत्र करने में समय लगने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--उसके लिये प्रयत्न पूरे तरीके से किया ही जा रहा है, समय तो लगेगा ही ।

श्री अध्यक्ष--वह कारण पूछते हैं । बात यह है कि माताटीला बांध पर काम करने वाले ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनका पेमेंट दिसम्बर, १९५९ तक बाकी है और कितना-कितना तथा कब से । तो ठेकेदारों के बारे में लिस्ट पूछी है ।

श्री धर्मसिंह--कुछ इंफार्मेशन आई थी, जो इनकम्पलीट थी सरकार उससे संतुष्ट नहीं थी, इसलिये और इंफार्मेशन मंगाई गई है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--ऐसे इनकम्पलीट इंफार्मेशन देने वाले अफसरों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--उसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--प्रश्न सं० २१ के संबंध में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर सन् ५९ से जनवरी सन् ६० तक के चार महीने की सूचना आज तक एकत्र न होने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--प्रयत्न तो पूरे तरीके से किया ही जा रहा है ।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या यह सारी गड़बड़ियां इसलिये हैं कि ठेकेदारों और अफसरों के बीच कमीशन ठीक से नहीं तय हो पाया ?

श्री अध्यक्ष--यह गड़बड़ियां कहां हैं ? यह सवाल नहीं उठता ।

*२२--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बायांगरेम नहर से पानी न मिलने की शिकायत

*२३--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नहर बायांगरेम, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली में दिसम्बर, १९५९ ई० से २५ जनवरी, १९६० तक कुल कितने हफ्ते ऐसा पानी चला है जिससे सिंचाई हो सकी है ?

श्री गिरधारीलाल--चार सप्ताह ।

*२४--श्री शिवराजबहादुर (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपरोक्त नहर में बीजामऊ और सुधरी के दरम्यानी गांवों में कुलाबों से पानी न निकलने के कारण उपरोक्त अवधि में न तो फसल रबी को और न ईख बोने वाली जमीन को पानी मिल सका है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई ।

*२५--श्री शिवराजबहादुर (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृषकों की आवश्यकता को देखते हुये जल्द से जल्द सम्बन्धित नहर में पानी छोड़ने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--फसलों को पानी की आवश्यकता होने पर नहर में पानी छोड़ा जायेगा ।

*२६--श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

राप्ती नदी पर जलकुंडी योजना का सर्वेक्षण व्यय

*२७--श्री बलदेवसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राप्ती नदी पर जल-कुंडी योजना का जो सर्वेक्षण हो रहा था वह समाप्त हुआ या नहीं ?

श्री धर्म सिंह--अभी सर्वेक्षण समाप्त नहीं हुआ है ।

*२८--श्री बलदेवसिंह--उपरोक्त सर्वेक्षण में कुल कितना धन अब तक व्यय हुआ ?

श्री धर्मसिंह--३१-३-१९६० तक २.४५ लाख रुपया ।

श्री बलदेवसिंह--मंत्री जी प्रकाश डालेंगे कि यह सर्वेक्षण का कार्य ८ साल से हो रहा है वह अभी तक क्यों नहीं पूरा हुआ ?

श्री धर्मसिंह--काम बहुत बड़ा है और कोशिश इस बात की, की जा रही है कि जल्द से जल्द समाप्त हो । १९५६ में यह काम शुरू हुआ था और काफी इंटीरियर में इस तरीके के पोर्शन्स हैं जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं ।

श्री बलदेवसिंह--२,४५,००० रु० जो खर्च हुआ है वह मुख्य-मुख्य रूप में किन चीजों पर खर्च हुआ है ?

श्री धर्मसिंह--बोरिंग वगैरह में । आमतौर पर सर्वे में भी बहुत सी दिक्कतें सामने आ जाती हैं, डिवीजन भी खोला गया । पहले फ्लड विभाग के अन्तर्गत यह काम था उसके बाद इनवेस्टीगेशन ब्रांच के अन्तर्गत दे दिया गया । इन्हीं सब कारणों से देर हुई और पैसा खर्च हुआ ।

श्री गेंदासिंह--इस योजना को कब तक पूरा करने का आयोजन है ?

श्री धर्मसिंह--जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है और आशा की जाती है कि १९६० के अन्त तक इसका एक कार्य समाप्त हो जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--मंत्री जी ने जो २,४५,००० रुपया बताया खर्च हो गया, इसमें तनख्वाह भी शामिल है या केवल मजदूरों की मजदूरी ही है ?

श्री धर्मसिंह--उसमें तनख्वाह भी शामिल है ।

*२९--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बाराबंकी जिले में विभिन्न क्षेत्रों में नहरी पानी मिलने में कठिनाई

*३०--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि नवाबगंज रजबहा, बाराबंकी के पांचवें मील बायीं पटरी से हरख माइनर चालू होने पर नहर प्रतिमास पट जाती है तो माइनर के कुलाबे पानी नहीं देते हैं ? यदि हां, तो हेड की लाइन में परिवर्तन करने का उसका विचार है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल---जी नहीं। हेड रीच में एलाइनमेन्ट में परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं उठता।

*३१---**श्री जंगबहादुर वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बाराबंकी के अन्तर्गत गदिया रजबहा की टेल पर पानी इस खरीफ की फसल में नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं। इस खरीफ की फसल में पानी का अभाव नहीं रहा है।

*३२---**श्री जंगबहादुर वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में नवाबगंज रजबहा से असन्दरा माइनर निकलती है तो क्या उसके टेल के आगे की भूमि असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या माइनर बढ़वाने का उसका विचार है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां। माइनर बढ़ाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र की सींच के लिये अलहदा पानी की आवश्यकता होगी और जो उपलब्ध नहीं है।

*३३-३५---**श्री नत्थू सिंह** (जिला बरेली)---[बारहवे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

स्वदेशी तथा लक्ष्मीरतन काटन मिल कानपुर का बिक्री-कर

*३६---**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वदेशी काटन मिल, कानपुर के ऊपर १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ में कोई बिक्री-कर असेस नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---सर्वश्री स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर पर १९५६-५७, १९५७-५८, व १९५८-५९ में लगाये गये बिक्री-कर का ब्योरा निम्न प्रकार है:

१९५६-५७---इस वर्ष की पहली दो तिमाहियों के लिये मिल पर अस्थायी रूप से कर निर्धारित किया गया था। अन्तिम रूप से कर निर्धारण होने से पहले ही मिल ने हाईकोर्ट में एक रिट (writ) दायर कर दी जिसमें हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि रिट (writ) पर फैसला हो जाने तक मिल के ऊपर बिक्री-कर विभाग ३ पाई प्रति रुपये से अधिक कर निर्धारण न करे। रिट (writ) अभी तक हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

१९५७-५८---हाईकोर्ट के उपरोक्त आदेश इस वर्ष के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं। अतः इस वर्ष के लिये मिल पर कोई कर निर्धारण, अस्थायी रूप से या अन्तिम रूप से, अभी तक नहीं किया जा सका है।

१९५८-५९---इस वर्ष के लिये कर-निर्धारण केवल सूत के विक्रय-धन पर ही होना है क्योंकि १४ दिसम्बर, १९५७, से कपड़े पर बिक्री-कर, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की वजह से, हटा लिया गया है।

इस वर्ष के लिये अभी तक कर निर्धारण इसलिये नहीं हो सका है क्योंकि कर निर्धारक अधिकारी पिछले वर्षों के पुराने मामलों और नादेहन्दों के मामलों को तय करने में व्यस्त रहे।

*३७---**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लक्ष्मी रतन काटन मिल्स के ऊपर १९५६-५७ व १९५७-५८ में कितना बिक्री-कर लगाया गया था और वह कर कब अदा किया गया और यदि नहीं अदा हुआ है, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---मिल द्वारा दायर की गई रिट (writ) के खारिज हो जाने के बाद, मिल पर १९५६-५७ और १९५७-५८ वर्षों के लिये अन्तिम रूप से १२ अगस्त, १९५९, को कर निर्धारित किया गया। कर निर्धारण आज्ञाओं से असन्तुष्ट होकर मिल ने अपील दायर की और जज (अपील) ने मिल के मामले नये सिरे से कर निर्धारण के लिये वापस कर दिये। इन मामलों की अन्तिम रूप से सुनवाई ७ मई, १९६०, के लिये निश्चित है।

*३८---**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लक्ष्मी रतन काटन मिल्स के ऊपर सन, १९५५-५६ में कोई बिक्री-कर नहीं लगाया गया? यदि हां, तो कर न लगाने के क्या कारण हैं?

श्री सैयद अलीजहीर---१९५५-५६ में सर्वश्री लक्ष्मीरतन काटन मिल्स पर कर लगाया गया था जिसकी अदायगी हो चुकी है।

बलिया जिले में दोहरीघाट नहर से सिंचाई की दर

*३९---**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में दोहरीघाट कैनाल से इस वर्ष कितने एकड़ भूमि की रबी की सिंचाई हुई है?

श्री धर्मसिंह---तहसील रसड़ा में ३८३२ एकड़, बासडीह में ७७४३ एकड़ और बलिया में ९०६ एकड़।

*४०---**श्री जगन्नाथ चौधरी**---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट कैनाल से इस वर्ष रबी की सींची हुई भूमि का किस रेट से किसानों से लगान लिया जायेगा?

श्री धर्म सिंह---सिंचाई दरों का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०६ पर)

श्री गौरीशंकर राय---बलिया में इस साल दोहरीघाट नहर का पहली बार पानी तब पहुंचा जब रबी की सिंचाई किसान कर चुका था और चूहों की मांद के कारण बहुत सा पानी बहकर खेतों को नुकसान न पहुंचाया है, यह देखते हुये नहर का रेट जिन इलाकों में पहली बार आया है सरकार उसको माफ करने की कृपा करेगी?

श्री धर्मसिंह---इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किस्सा इस प्रकार से है कि वहां पर दो ही पंम्पिग सेट्स लगे हुए हैं। ४ ससेट्स लग जाने के बाद पानी की कमी नहीं रहेगी जिसके लिये कोशिश की जा रही है।

श्री जगन्नाथ चौधरी---गन्ने की सिंचाई के लिये दोहरीघाट नहर से पानी क्यों नहीं पहुंचा और कब तक पहुंच जायगा?

श्री धर्मसिंह---जहां तक फसलों का सम्बन्ध है उसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री गौरीशंकर राय---मेरा सवाल यह था कि रबी के लिये पानी तब पहुंचा जबकि किसान पानी दे चुका था और पहला पानी था एक ब एक जिससे नुकसान हुआ, चूहों की मांदों की वजह से पानी इधर-उधर बह गया। तो ऐसी हालत में जो परेशानी हुई है उसको देखते हुए सरकार रियायत करने की कृपा करेगी?

श्री धर्म सिंह---हमारे पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं है कि किसानों को नुकसान हुआ है।

श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि २५ अप्रैल को बलिया में माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि दो दिन के अन्दर दोहरीघाट पम्प कैनाल में पानी पहुंच जायगा लेकिन आज तक नहीं पहुंच पाया ?

श्री धर्मसिंह--फिलहाल तो मेरे पास इस किस्म की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं उसे दिखला लिया जायगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--जब किसानों को एक पानी मिला है और रबी की फसल किसानों की खत्म हो गयी है तो उसके लिये हर्जा देने के लिये क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--कितने वर्षों में दोहरीघाट पम्प कैनाल के सब पम्प्स चालू हो जायंगे ?

श्री धर्मसिंह--मार्च, १९६० के बाद पूरे तौर से सब चालू हो जायंगे, ऐसी आशा है ।

राज्य में खुलने वाला इंजीनियरिंग कालेज

*४१--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में एक अभियंत्रण महाविद्यालय "इंजीनियरिंग कालेज" की स्थापना का निश्चय भारत सरकार के परामर्श से प्रदेशीय सरकार ने किया है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, परन्तु इसकी स्थापना वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में होने की सम्भावना नहीं है ।

*४२--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त महाविद्यालय की स्थापना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी और कितने विद्यार्थी किस-किस प्रकार की इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ?

श्री गिरधारी लाल--उक्त महाविद्यालय की स्थापना में भूमि, जल एवं बिजली की व्यवस्था सम्बन्धी व्यय को छोड़ कर, अनुमानतः १०६ लाख रुपया अनावर्तक मदों पर तथा १३ लाख रुपया आवर्तक मदों पर व्यय होगा । इस महाविद्यालय में कुल २५०-सिविल इंजीनियरिंग में ७०, तथा इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियरिंग प्रत्येक में ९० विद्यार्थी भरती होंगे ।

नैनीताल व अल्मोड़ा जिलों में सड़कों व पुलों की निर्माण योजना

*४३--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में नैनीताल जिले में कितने पैदल-सड़कों पर स्थित पुलों को बनाये जाने की पी० डब्ल्यू० डी० की योजना थी, और किन-किन स्थानों पर ?

श्री महावीरसिंह--मूल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३ लाख रुपये की लागत पर ६ पुलों के निर्माण का आयोजन था । १९६०-६१ में ३ लाख रुपये की लागत पर केवल ४ पुलों का निर्माण स्वीकृत किया गया है क्योंकि इस धनराशि में केवल ४ पुलों का ही निर्माण सम्भव है । अभी इन पुलों के स्थानों का निश्चय नहीं किया गया है ।

*४४--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त पुलों में से कौन-कौन बन चुके हैं ?

श्री महावीरसिंह--कोई नहीं ।

*४५—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्मोड़े जिले के मरचुला-मानिला मोटर मार्ग व सम्बन्धित वधाण व औनेड़ी पुलों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री महावीरसिंह—मरचुला-मानिला-मोटर मार्ग का निर्माण अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। वधाण पुल से सदस्य महोदय का तात्पर्य बदनगढ़ नदी के पुल से मालूम होता है। इस का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। औनेड़ी पुल के निर्माण कार्य का आगणन अभी हाल ही में स्वीकृत किया है तथा आशा है कि शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जायेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चार साल व्यतीत होने के बाद भी और ५ वां साल शुरू होने पर क्या कारण है कि अभी पुल बनाये जाने के लिये स्थान तक नियत नहीं किये गये हैं, पुल क्यों नहीं बनाये गये, स्थान क्यों नियत नहीं किये गये और अगले वर्ष तक पुल बनने की कोई आशा है ?

श्री अध्यक्ष—बहुत से सवाल आपने एक साथ कर दिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या कारण है कि इन पुलों का स्थान अब भी निश्चित नहीं किया गया जब कि चार साल बीत गये और पांचवा चल रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—इर्रीगेशन या पी० डब्ल्यू० डी० के जितने प्लान्स हैं वे इस तरह से नहीं हैं कि एक चीज को लिया और उसी वक्त खत्म हो गयी। बहुत से आइटम्स ऐसे हैं सेकिंड फाइव ईयर प्लान में जो आखिरी साल में लिये गये और फिर वे थर्ड फाइव ईयर प्लान में जायेंगे। ५, ६ पुल जिनका यहां जिक्र किया गया इनको पहले लिया जा सकता था लेकिन हमारे सामने धन का प्रश्न था। इन पुलों का जिस वक्त एस्टीमेट बना था तब तीन लाख रुपये में ६ पुल आ रहे थे लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मंहगाई बढ़ने के कारण ६ पुल नहीं बन सकते। इसलिये आखिर में चल कर ये चार पुल रखे गये हैं और इस वर्ष में थोड़ा सा रुपया इन पर खर्च किया जायगा बाकी जो बचेगा वह थर्ड फाइव ईयर प्लान में पूरा कर दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा प्रश्न यह था कि जब पुल के लिये स्थान ही तै नहीं है और यह मालूम नहीं कि कितने स्पैन का ब्रिज होगा तो एस्टीमेट कैसे बन गया ?

श्री गिरधारीलाल—माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को अच्छी तरह से मालूम है कि पहाड़ों में सस्पेंशन ब्रिज (झूला पुलों) की जरूरत है। नैनीताल में, अल्मोड़े में जाइये आप फौरन यह तय कर सकते हैं कि हमें फलां जिले में ६, ८ या १० सस्पेंशन ब्रिज बनाने होंगे। तो यह निर्णय हमने लिया कि ६ सस्पेंशन ब्रिज हमें बनाना है और स्थान अब तय कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—उनके पूछने का मतलब यह है कि अगर एक स्थान से और दूसरे स्थान पर निश्चित किया जाय तो स्पैन बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है और उसके हिसाब से एस्टीमेट ज्यादा या कम होगा। तो ऐसी हालत में जब आपने स्थान ही मुकर्रर नहीं किया तो कैसे कह सकते हैं कि ३ लाख में ६ पुल नहीं बन सकते। ५, ५ गज का स्पैन हो तो मुमकिन है कि ८ पुल बन जायं।

श्री गिरधारीलाल—यह तो एक तरह से निश्चित बात है कि ५०, ५० हजार, ८० हजार, १ लाख या डेढ़ लाख रुपये का कोई सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया तो ३ लाख रुपये में ६ सस्पेंशन ब्रिज नहीं बन सकते। जहां तक स्थान का सवाल है प्लानिंग कमेटी और हमारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उन सबकी सलाह से यह काम टेक अप कर लिया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि कांग्रेस की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य श्री लक्ष्मणसिंह अबकी जाड़ों में मुख्य मंत्री जी को वहां ले गये थे और उनको वह कठिनायी दिखायी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि पुल बन जायगा, लेकिन उसके बाद भी यह पुल नहीं बन पाये ?

श्री गिरधारीलाल—अब इसकी तो मुझे कोई इत्तला है नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो "उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के पिछड़े हुये क्षेत्रों के लिये नयी व्यवस्था" नामक पुस्तिका है इसके पृष्ठ ३ में लिखा हुआ है कि मरचूला-मनीला सड़क के बनाने में ७.२० लाख रुपये व्यय होंगे जिसे मान लिया गया है, तो फिर किस आधार पर यह कहा गया है कि अभी तक यह स्वीकृत नहीं की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—आप जरा उसे पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, इसमें लिखा है—

"द्वितीय आयोजना के बचे हुये वर्षों में इस दिशा में विकास के लिये १२७.०० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। मरचूला-मनीला सड़क १८ मील लम्बी बनाने में जिस पर ७.२० लाख रुपये व्यय होंगे यह सड़क नमक के अभाव वाले क्षेत्र की सहायता करेगी।" और यह स्वीकार भी हो चुकी है, यह इसमें लिखा है।

श्री महावीर सिंह—ओरिजिनल योजना में इस मार्ग पर विचार हुआ था लेकिन बाद में इस सड़क को योजना में स्थान नहीं मिल सका।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जैसा कि इस पुस्तिका में लिखा है, सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी अविलम्ब इस सड़क को इसी वर्ष में या आगामी वर्ष में बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीर सिंह—तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्ताव जरूर आया है। उस पर गौर हो रहा है।

*४६—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—[४ मई, १९६० के लिये प्रश्न ९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रानीगंज-कैथौला तथा रामपुर-बावली सड़कों के निर्माण की आवश्यकता

*४७—श्री हरकेशबहादुर (अनुपस्थित)— सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह जिला प्रतापगढ़ में रानीगंज-कैथौला और रामपुर-बावली की सड़क बनाकर रानीगंज बाजार से कालाकांकर और कुंडा तहसील के जाने वाले गाड़ी वालों की लम्बी यात्रा में कमी करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क के निर्माण के प्रश्न पर तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जावेगा।

*४८—श्री हरकेशबहादुर (अनुपस्थित)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा बिजली सप्लाई कम्पनी को ऋण

*४९—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आगरा बिजली सप्लाई कम्पनी को अब तक कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी जा चुकी है और कितनी और दी जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—आगरा बिजली कम्पनी को अब तक ५२ लाख रुपया ऋण के रूप में दिया जा चुका है और बीस लाख रुपया और दिया जायगा।

*५०—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इस कम्पनी के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कम्पनी के कुप्रबन्ध और नीति से आगरे के उद्योग धंधों को बहुत हानि पहुँच रही है और क्या उसे विदित है कि उसने हाल में ही कई दिन बिना उद्योग धंधों को पूर्व सूचना दिये हुए ही बिजली बन्द कर दी ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, इस प्रकार की शिकायतें आई थीं। ३० और ३१ दिसम्बर १९५९ को अचानक कोयले की कमी होने के कारण तथा जिलाधीश के आदेशानुसार, कम्पनी ने उद्योग धंधों को बिजली देना बन्द कर दिया था।

गोरखपुर के राप्ती पुल निर्माण में अनियमितता की शिकायतें

*५१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शहर गोरखपुर के राप्ती पुल निर्माण में अनियमितता के संबंध में उक्त शहर के मोहल्ला हांसूपुर तथा चकरा अव्वल के निवासियों की कोई दरख्वास्त तारीख २३-३-५९ व १८-४-१९५९ को भेजी हुई जिलाधीश गोरखपुर को प्राप्त हुई है जिसकी प्रतिलिपि सार्वजनिक निर्माण मंत्री को भी दी गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त दरख्वास्त पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां, सरकार को भी प्रश्न में कही गई शिकायत की प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी।

द्वितीय भाग—जांच की जा रही है।

मथुरा में यमुना पुल के निकट पशु मेले में दूकानदारों से आय

*५२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि जिला मथुरा में यमुना नदी के पुल के पास जो हर हफ्ते पशु मेला लगता है उस मेले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर खाद्य पदार्थ, वस्त्र, एवं कृषि औजार विक्रेता जो बैठते हैं उनसे जो आय होती है लगभग ३,००० रुपया वार्षिक, उसे कौन वसूल करता है ?

श्री महावीरसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना एकत्र करने के आदेश किस तारीख को दिये गये और किस किस बात की सूचना इकट्ठा की जा रही है ?

श्री महावीरसिंह—आपके प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और जब आपने सवाल दिया ठीक उसी के बाद ही कार्यवाही आरम्भ हो गयी।

श्री अध्यक्ष—सूचना देते हुए आप प्रश्न कीजिये।

श्री रामचन्द्र विकल—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि सूचना किस बात के सम्बन्ध में एकत्रित की जा रही है और किस तारीख को आदेश दिये गये ?

श्री महावीरसिंह—आपके प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और जब आपने यह प्रश्न पूछा उसी रोज से यह कार्यवाही शुरू हुई।

श्री टीकाराम पुजारी—यह सूचना कहीं से खरीदी जायगी या हाट से आयेगी मैं श्रीमान् जी से कहूंगा कि अपने कमरे में मंत्रियों को कुछ समझाया करें ताकि ये ठीकसे उत्तर दिया करें।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

इलाहाबाद की चार तेल मिलों की जांच

*५३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के मुट्ठीगंज मुहल्ले में ११ मार्च, १९६०, शुक्रवार को सेल-टैक्स अधिकारियों ने तीन तेल मिलों की अचानक जांच की थी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—११ मार्च, १९६० को बिक्री-कर अधिकारियों ने इलाहाबाद की चार तेल मिलों की अचानक जांच की थी ।

*५४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन तीनों मिलों में कितने का गोलमाल सेलटैक्स में मालूम पड़ा ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—मामले की छान-बीन हो रही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन चार व्यापारियों का कितने बिक्री-कर का झगड़ा पड़ गया था जिसकी जांच हो रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस चीज का तो जब छानबीन हो जायगी तभी पता चलेगा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह चार व्यापारी गिरफ्तार भी हुये थे ?

श्री सैयद अली जहीर—गिरफ्तारी की सूचना मेरे पास नहीं है । वह तो खाली अचानक इस तरह की इत्तिलाअत मिली थीं कि यह लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, सही बिक्री-कर नहीं दे रहे हैं और छिपा रहे हैं। इसकी जांच की गई थी और इनके पकड़े जाने या गिरफ्तारी की इत्तिला मुझे नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि इन चार व्यापारियों की गिरफ्तारी हुई थी और बगैर जमानत के छोड़ दिया गया, यह सरकार को मालूम होना चाहिये ?

श्री सैयद अलीजहीर—जी नहीं, मुझे नहीं मालूम ।

कूड़ेभार-मझवारा सड़क पक्की करना तथा आम घाट पुल निर्माण में खराबी की शिकायत

*५५—श्री गयाबख्शसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सुल्तानपुर कूड़ेभार से पश्चिम को जाने वाली सड़क देहली बाजार होती हुई रायबरेली-फैजाबाद सड़क में मिलती है ? क्या वह सड़क पक्की होने वाली सड़कों की योजना में है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक योजना में रखी जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क के कूड़ेभार-मंझवारा भाग (लम्बाई ६ मील) को पक्का किया जा रहा है । शेष भाग के निर्माण के प्रश्न पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा ।

*५६—श्री गया बख्श सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में गोमती नदी पर आम घाट के पुल के निर्माण में कई कोठियों में बजाय कंकरीट या ईट के निरी बालू भर दी गई है और इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री या सरकार के पास कोई शिकायती दरख्वास्त भी आई है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच हुई ? यदि नहीं, तो क्या इसकी उचित जांच शीघ्र कराई जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—जी हां, जांच की गई ।

मेरठ की क्वालिटी मार्का कैंचियों को बिक्री-कर से मुक्त करना

*५७—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि मेरठ में कैंची उद्योग में क्वालिटी मार्का कैंचियों पर बिक्री-कर न लेने और बाकी कैंचियों पर लेने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अलीजहीर—प्रदेश में अच्छे किस्म की कैंचियां बनें तथा प्रदेश के बाहर मेरठ के कैंची उद्योग की साख बनी रहे और साथ ही सरकार द्वारा चलाई हुई क्वालिटी मार्का स्कीम को भी प्रोत्साहन मिले, इन्हीं सब मुख्य उद्देश्यों से सरकार ने क्वालिटी मार्का कैंचियों को ही बिक्री-कर से छूट दे रखी है।

कुसहारी माइनर के कुलाबों के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*५८—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौरावां ब्रांच नहर शारदा, और उसी ब्रांच से निकलने वाले सहरावां रजबहा से जो कुसहारी माइनर निकली है उसके कुलाबों के संबंध में १९५९ में कोई प्रार्थना-पत्र माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५९-६०—श्री रघुवीरराम (जिला खीरी)—[९ मई, १९६० के प्रश्न ६६-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गोरखपुर पावर हाउस से झांसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को बिजली

*६१—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर पावर हाउस से प्रतिदिन कितने किलोवाट बिजली झांसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को सरकार देने जा रही है और किस रेट पर ?

श्री धर्मसिंह—राज्य विद्युत् परिषद् ने गोरखपुर पावर हाउस से ४०० के० वी० ए० विद्युत्, झांसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को देने का निश्चय किया है। सप्लाई के रेट अभी परिषद् के विचाराधीन हैं।

श्री अमरनाथ—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस रेट पर सरकार बिजली देती है उससे अधिक रेट पर कम्पनी देती है। यदि हां, तो जनता को क्या फायदा होगा इस कम्पनी को बिजली देने से और क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह किस रेट पर बिजली देगी ?

श्री धर्मसिंह—इतनी बात तो ठीक है कि सरकार द्वारा जो बिजली कम्पनी को दी जाती है उसका रेट अधिक होता है। जहां तक रेट का ताल्लुक है यह विचाराधीन है कि किस रेट पर सरकार बिजली देगी।

श्री अमरनाथ—क्या सरकार बतायेगी कि इस परिषद् को बिजली देने के बजाय जनता को सीधे देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री धर्मसिंह—वह दे नहीं सकते हैं, पैसे की कमी है। ट्रांसमिशन लाइन और सब-स्टेशन वगैरह बनाने में काफी खर्चा होगा इसलिये यह सम्भव नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार बतायेगी कि कम्पनी को बिजली देने के और जनता को बिजली देने के रेट्स प्रति किलोवाट क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह—श्रीमन्, यह आंकड़ा इस समय नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

तेंदुआ माइनर पर पुलिया न बन सकने की शिकायत

*६२--श्री प्रतापभानप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम तलहा (क्षेत्र लहरपुर) जिला सीतापुर के ग्राम निवासियों का मुबलिग ५०० रुपया कब से इस निमित्त जमा है कि एक पुल तेंदुआ माइनर (नहर) पर निर्माण हो जाय ?

श्री गिरधारीलाल--बिसवां गन्ना विकास कोआपरेटिव यूनियन द्वारा बिसवां सब ट्रेजरी में पुल निर्माण हेतु १,५०० रुपया १८-१२-१९५९ को जमा किया गया था ।

*६३--श्री प्रतापभान प्रकाशसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य नहीं है कि ग्रामीणों से रुपया इसी आश्वासन पर दाखिल कराया गया था कि उपर्युक्त निर्माण शीघ्र हो जायगा और बार-बार कहने व लिखने के पश्चात् अभी तक निर्माण नहीं हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं। कार्य के लिये वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है और ठेकेदार सामान इकट्ठा कर रहा है। लगभग ६ सप्ताह में पुलिया तैयार हो जायेगी।

फर्रुखाबाद--नीवकरोरी सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*६४--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद, मुहम्मदाबाद, नीवकरोरी रेलवे स्टेशन तक सड़क की दशा इस समय शोचनीय है ? यदि हां, तो इस सड़क को कब तक बनाने का विचार है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--आशा है कि अक्तूबर, १९६० तक इस सड़क की मरम्मत हो जायेगी ।

*६५--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--[स्थगित किया गया ।]

हरचन्द बांध पर चिरकिहिट ग्राम के निकट रेगुलेटर का निर्माण

*६६--श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--आजमगढ़ जिले में शाहगंज से वैसो नदी तक नहर निर्माण के बारे में १ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर के क्रम में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'ठेकमार रजवहा" की योजना को चालू करने के समय एक बांध जिसका नाम "हरचन्द-बांध" है जिसे मैंसकुर चिरकिहिट हरई रामपुर ग्राम की जनता ने बनाया था काफी गहराई तक रेगुलेटर निर्माण निमित्त काट दिया गया था और इसका निर्माण आज तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--प्रश्न में लिखित हरचन्द बांध को ठेकमार रजबहा की योजना चालू करते समय नहीं बल्कि नर्वे ताल ड्रेन के निर्माण के लिये चिरकिहिट ग्राम के पास काटा गया था। इस स्थान पर रेगुलेटर का निर्माण सर्वेक्षण तथा अन्य आवश्यक जांच-पड़ताल को पूरा करने के कारण अभी तक नहीं हो सका था। अब फरवरी, १९६० से इस पर कार्य आरम्भ हो गया है और ३० जून, १९६० तक समाप्त होने की आशा है।

*६७--श्री मुक्तिनाथराय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रेगुलेटर निर्माण निमित्त कितना सामान ईंटें, सीमेंट, बालू इत्यादि रखा गया था ?

श्री धर्मसिंह--उक्त रेगुलेटर के निर्माण के निमित्त निम्नलिखित सामान मौके पर रखा गया था:--

ईंटें	..	..	..	२८,०००
रोड़ा	..	..	..	२,३१४ घनफुट
बालू	..	..	..	२,२९० घनफुट

गोरखपुर जिले की श्रीनगर ताल सिंचाई योजना

*६८--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में श्रीनगर ताल सिंचाई योजना किस आधार पर बनी थी और उस पर मय सामग्री के कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री धर्म सिंह--सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०७ पर)

*६९--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना में कुल क्या-क्या कार्य हुआ और उसे किस आधार पर ठप कर दिया गया ?

श्री धर्मसिंह--केवल स्कैप रेगुलेटर की मरम्मत का कार्य किया गया है। विस्तृत जांच-पड़ताल तथा सर्वेक्षण के बाद ज्ञात हुआ कि नैपाल की सीमा में डांडा नदी पर बांध बन जाने के कारण श्रीनगर ताल की क्षमता बढ़ाने के लिये पानी मिलना संभव न हो सकेगा। इस ताल में पानी एकत्रित करने की क्षमता बढ़ाने के लिये सम्पूर्ण ताल की सतह को ऊंचा उठाने में बहुत-सा कृषि क्षेत्र डूब जाता और इस संबंध में जनता द्वारा घोर विरोध प्रगट किया गया। अतः ताल का निर्माण-कार्य बन्द कर दिया गया।

*७०--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्रीनगर ताल योजना से जो क्षेत्र सिंचित किये जाते थे अब उन्हें सिंचित करने के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री धर्म सिंह--इस ताल की दूसरी संशोधित योजना बनाई गई है।

श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय--क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि डांडा नदी पर यह बांध किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बांधा गया था ?

श्री धर्मसिंह--इसका पूरी तरह से सर्वे इत्यादि हो रहा था और सर्वे के फलस्वरूप इस नतीजे पर पहुंचे, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है।

श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय--क्या यह डांडा नदी का बांध जिस उद्देश्य के लिए बांधा गया था वह उद्देश्य सफल हुआ और अगर सफल नहीं हुआ तो क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--जैसा कि प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया गया है, वह इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी की आवश्यकता थी वहां पर और पानी इकट्ठा नहीं हो सकता है इसलिए उसे छोड़ना पड़ा और इसलिए उसका परपज हल नहीं हो सका।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह बतलाया गया है कि श्रीनगर ताल योजना डांडा नदी पर बांध बन जाने के फलस्वरूप असफल रही। मैं जानना चाहता हूं कि श्रीनगर ताल योजना और डांडा नदी पर जो बांध-बांध दिया गया है यह दोनों योजनायें क्यों असफल रहीं ?

श्री धर्मसिंह—यह तो जो टेक्निकल लोगों ने राय दी है उसी के आधार पर सरकार द्वारा उत्तर दिया जा रहा है कि यदि उसको बनाते तो हानि होती, उसका विरोध किया गया और वह सफल नहीं हो सकती थी। इसलिए छोड़ना पड़ा।

कालपी के पास यमुना के पुल की आवश्यकता

*७१—**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालपी के पास जमुना पर जो पुल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाला था उस सम्बन्ध में क्या हो रहा है?

श्री महावीर सिंह—केन्द्रीय सरकार यह विचार कर रही है कि इस स्थान पर एक नया सड़क का पुल या एक रेल-रोड पुल बनाया जाय।

*७२—**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**—क्या सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करायेगी कि जब तक सड़क का पुल नहीं बन जाता है तब तक वर्षा के दिनों में रेल के पुल पर से जनता की गाड़ियों के आने जाने की कोई व्यवस्था हो जाय?

श्री महावीरसिंह—वर्षा ऋतु में प्रातः तथा सायं कुछ समय के लिए कम भार वाली गाड़ियों के आने-जाने की व्यवस्था है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने सदन में आश्वासन दिया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह पुल बनना प्रारम्भ हो जायगा, तो अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ हुआ?

श्री महावीरसिंह—केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार के नीचे यह सड़क है। उन्हीं का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात का प्रयास करेंगे कि अगली तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह पुल निश्चित रूप से बन सके?

श्री महावीर सिंह—अगर फिर वही आश्वासन लागू न कर दिया जाय, तो मैं फिर कहूंगा कि कोशिश तो हो ही रही है।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की ओर से यह पुल जल्दी बन जाय इस सिलसिले म सरकार ने क्या लिखा पढ़ी की है?

श्री महावीर सिंह—जैसी लिखा पढ़ी होती है, प्रयत्न होता है, वैसा किया गया और किया जा रहा है।

*७३-७५—**श्री गणेश प्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)—[२८ अप्रैल, १९६० के प्रश्न ९८-१०० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

सिरसी बांध के मैकेनिकल सब-डिवीजन से कुछ कर्मचारियों का निष्कासन

*७६—**आचार्य दीपंकर** (अनुपस्थित), **श्री ऊदल तथा डाक्टर खमानीसिंह** (जिला मुरादाबाद)—क्या यह सही है कि सिरसी बांध, जिला मिर्जापुर के मैकेनिकल सब-डिवीजन से फरवरी, १९५८ में बिना आरोप लगाये कुछ कर्मचारी निष्कासित कर दिये गये थे जिन में से एक कर्मचारी के पक्ष में उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश (स्टे-आर्डर) दे दिया था और विभाग ने उसे पुनः कार्य नियुक्त कर दिया था?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*७७—**आचार्य दीपंकर, श्री ऊदल तथा डाक्टर खमानीसिंह**—यदि हां, तो क्या सरकार उच्च न्यायालय की मंशा का आदर करते हुये उसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों की पुर्नानियुक्ति पर भी विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह एक कर्मचारी, जिसने हाई कोर्ट में अपील की थी, वह बहाल हो गया और उस को रख लिया गया और जितने और कर्मचारी निकाले गये थ, वह फैसला उन पर क्यों नहीं लागू किया गया, इस में क्या कठिनाई है ?

श्री धर्मसिंह—वह बहाल नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने केवल स्टे आर्डर किया था और इसी के आधार पर विभाग ने कार्यवाही की। क्योंकि यह कर्मचारी वर्कचार्ज कर्मचारी था तो इस वजह से निकाल दिया गया था। हाई कोर्ट से उस को स्टे आर्डर मिल गया इसलिए इसके लिए विचार किया गया और सब के ऊपर इसका असर नहीं पड़ता। इसलिए सब को रखने का सवाल नहीं उठता।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना में से कितने कर्मचारी ऐसे थे जिनको निकाला गया था और जो निकाले गये उन को क्यों निकाला गया था ?

श्री धर्मसिंह—यह वर्कचार्ज के कर्मचारी थे। वर्कचार्ज का मतलब यह होता है कि जब काम होता है तब रख लिया जाता है और जब वह काम समाप्त हो जाता है तो उनको निकाल दिया जाता है। उनकी कितनी संख्या थी इस के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री ऊदल—उस व्यक्ति को, जिसने हाई कोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील की और हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द किया, क्या काम पर रख लिया गया ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल वह काम कर रहा है।

टांडा पम्प कैनाल बनने में विलम्ब

*७८—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा पम्प कैनाल योजना फरवरी या मार्च, सन् ५७ में पूरी करने की अवधि थी ? यदि हां, तो क्यों पूरी नहीं की गयी ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। अवधि के अन्दर योजना पूरी न होने का कारण विदेशी मुद्रा के प्राप्त होने में कठिनाई तथा कुछ स्थानों पर भूमि मिलने में देरी है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना के लिए जो पम्प बाहर से मंगाने थे क्या वह सब आ गये ?

श्री धर्मसिंह—यहां अभी चार पम्पों की कमी बाकी है। दो आ चुके हैं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चार पम्पों की जो अभी कमी बाकी है वह किस कम्पनी से और कहां से मंगाये जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—कम्पनी का मुझे पता नहीं है लेकिन विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उसमें देर हो गयी थी। उसके आर्डर इत्यादि दे दिये गये हैं। फारेन एक्सचेंज की कठिनाई दूर हो गयी है और सन् १९६० के अन्त तक उनके आने की आशा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना का शुरू में जो खर्चा एस्टीमेट किया गया था, उतना है या बढ़ा है और अगर बढ़ा तो कितना ?

श्री धर्मसिंह--यह शुरूआत में कुछ और था और बाद में बढ़ा है। शुरू में जब यह स्कीम चालू की गयी तो स्टेज एक की थी जिस पर १९ लाख रुपये का प्राविजन था। बाद में स्टेज २ में इसको जोड़ा गया उस में ४५ लाख खर्च हुआ। इस प्रकार से ६४, ६५ लाख खर्चा वहां हुआ लेकिन बाद में इस में और बढ़ोतरी होती रही। अब फारेन एक्सचेंज की वजह से काम ठप्प हो गया। अब यह स्कीम ८५.१७ लाख की है।

श्री ऊदल--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पम्प खरीदने बाकी हैं उनके लिए सरकार को अब डेढ़ लाख रुपया फी पम्प ज्यादा अदा करना पड़ेगा ?

श्री धर्मसिंह--इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

*७९-८०--**श्री सुक्खन लाल** (जिला मुरादाबाद)--[बारहवें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

राष्ट्रीय मार्गों से बाई पास निकालने की योजना

*८१--**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राष्ट्रीय मार्गों में कानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, इटावा, फैजाबाद, आगरा स्थानों में "बाईपास" की जो स्कीम चल रही है उस में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारीलाल--यह सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०८ पर।)

*८२--**श्री गनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)--यह स्कीमें कब तक तैयार हो जायेंगी और काम आरम्भ होने की कब तक संभावना है ?

श्री गिरधारीलाल--इन कार्यों में जो अभी तक प्रगति हुई है वह माननीय सदस्य को बता दी गयी है। इन कार्यों का आरम्भ होना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करता है।

बेसों गांगी सिंचाई योजना

*८३--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में बेसों-गांगी योजना से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ?

श्री गिरधारीलाल--इसकी सूचना मंगायी गयी है जिस के आने में कुछ समय लगेगा।

*८४--**श्री विश्रामराय** (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५८-५९ और १९५९-६० में आजमगढ़ में बेसों-गांगी सिंचाई योजना द्वारा कितने एकड़ क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल प्राप्त हो सका और सिंचाई-कर कितना वसूल हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--इसकी सूचना मंगायी गयी है जिस के आने में कुछ समय लगेगा।

*८५--**श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--[बारहवें बुधवार के प्रश्न ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

शाहजहांपुर-बीसलपुर सड़क निर्माण कार्य

*८६--**श्री रूमसिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में शाहजहांपुर-निगोही-बीसलपुर की सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के वास्ते वित्तीय वर्ष १९५६-५७ व १९५७-५८ में कितना अनुदान स्वीकार किया गया था, उस सड़क पर अब तक कितना कार्य हो चुका है और कब तक कार्य पूरा हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—१९५६–५७ में इस सड़क के निर्माण के लिए कोई अनुदान स्वीकार नहीं किया गया तथा १९५७–५८ के बजट में इस कार्य के लिए ४०,००० रुपये का प्राविधान था।

द्वितीय भाग—३१ मार्च, १९६० तक इस सड़क पर लगभग ३४ प्रतिशत कार्य हो चुका है तथा इस कार्य के पूरा होने में लगभग दो वर्ष और लगेंगे।

*८७—**श्री भजनलाल**—[१० मई, १९६० के लिये प्रश्न ३५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*८८—**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)—[बारहवें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

*८९—**श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर)—[१० मई, १९६० के लिए प्रश्न ३७ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*९०—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—[१० मई, १९६० के लिए स्थगित किया गया।]

*९१–९२—**श्री गयूरअली खां** (जिला मुजफ्फरनगर)—[बारहवें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*९३—**श्री हरकेशबहादुर**—[बारहवें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

*९४–९६—**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—[बारहवें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*९७–९८—**श्री गुलाबसिंह** (जिला देहरादून)—[१० मई, १९६० के लिए प्रश्न ३८–३९ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

टोल टैक्स वाले पुल

*९९—**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अन्दर ऐसे कितने नव निर्मित पुल हैं जिन पर निर्माण व्यय की पूर्ति हेतु टोल–टैक्स लिया जा रहा है?

श्री महावीरसिंह—इस समय २१ पुलों पर टोल टैक्स लिया जा रहा है।

*१००—**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नवनिर्मित पुलों के निर्माण में कितना–कितना व्यय हुआ है?

*१०१—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलों से औसत मासिक आमदनी क्या है और इस पर कर्मचारियों पर मासिक व्यय क्या करना पड़ रहा है?

श्री महावीरसिंह—यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३०९–३१० पर)

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पुलों के निर्माण में भारत सरकार से कोई सहायता उपलब्ध हुई है? यदि हां, तो कितनी और वह ऋण है अथवा अनुदान?

श्री महावीरसिंह—केन्द्रीय सड़कों पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाता। केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये जाने वाले पुल जो होते हैं उन के लिए यह टोल टैक्स का विधान है।

हथगांव नहर योजना पर अनुमानित व्यय

*१०२—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद ब्रांच सिंचाई योजना में हथगांव नहर योजना के अन्तर्गत सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९६०-६१) में कितना खर्च करने जा रही है?

श्री धर्मसिंह—१० लाख रुपये।

*१०३—श्री वासुदेव दीक्षित—हथगांव (जिला फतेहपुर) नहर योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी?

श्री धर्मसिंह—१५-६-१९६१ तक।

*१०४—श्री वासुदेव दीक्षित—रामगंगा सिंचाई योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कितना खर्च किया जायगा?

श्री धर्मसिंह—९५.९४ लाख रुपये।

श्री वासुदेव दीक्षित—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १० लाख रुपया जो १९६१ में खर्च होने को है इसमें रेलवे पुल और जी० टी० रोड के पुल का तखमीना भी सम्मिलित है?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वासुदेव दीक्षित—यह रेलवे पुल जिसके न बनने से यह योजना कार्यान्वित नहीं हो रही है, कब तक बन जायगा?

श्री धर्मसिंह—रेलवे पुल, जैसा कि मैंने जिक्र किया, इसमें यदि सम्मिलित हुआ तो जो उत्तर दिया गया है उसमें पूरे तरीके से हो जायगा।

देवरिया टाउन प्लान की भूमि

*१०५—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या देवरिया टाउन प्लान के लिये सन् १९४९-५० में लगभग डेढ़ सौ एकड़ भूमि सरकार की ओर से प्राप्त की गई थी? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसका कितना अंश सरकार छोड़ने जा रही है और कितनी भूमि का मूल्य अभी तक भू-स्वामियों को नहीं भुगतान हो सका है?

श्री गिरधारीलाल—सन् १९४९-५० में १५६.४९ एकड़ भूमि सरकार द्वारा प्राप्त की गयी थी। उसमें से ८.४९ एकड़ भूमि छोड़ने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और १६.३१ एकड़ भूमि के मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है।

योजना आयोग द्वारा सिंचाई दर घटाने की कथित सलाह

*१०६—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को योजना आयोग द्वारा सलाह दी गई है कि वे अपने यहां सिंचाई की वर्तमान दरों को घटावे? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार उस सलाह पर कब से, किस प्रकार अमल करने जा रही है?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

दयानतपुर शाखा से रनहेरा माइनर निकालने की योजना

*१०७—श्री छत्तरसिंह निरंजन (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रजबहा जेबर (बुलन्दशहर माट ब्राञ्च डिवीजन) की माइनर दयानतपुर से कुलाबा नं० ८ व ९ और कुलाबा नं० १० व ११ से कोई नई माइनर निकालने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री धर्मसिंह—दयानतपुर माइनर के कुलाबा नं० ८ व ९ के बीच से रनहेरा नाम की नई माइनर निकालने की योजना विचाराधीन है, परन्तु कुलाबा नं० १० व ११ से कोई नई माइनर बनाने की योजना नहीं है।

रनहेरा माईनर की योजना तैयार कर ली गई है और अभी विचाराधीन है।

श्री छत्तरसिंह निरंजन—क्या सरकार बतलायेगी कि जो रनहेरा माइनर सरकार के विचाराधीन है उसका लागत व्यय क्या है और कब तक उसके चालू हो जाने की सम्भावना है ?

श्री धर्मसिंह—उसकी लागत है १२,६०० रुपये और तृतीय पंचवर्षीय योजना में शायद ली जायगी।

श्री छत्तरसिंह निरंजन—क्या सरकार या नहर विभाग के पास इस माइनर के अलावा भी किसानों के प्रार्थना-पत्र आये हैं कि दयानतपुर माइनर के अलावा भी और कोई माइनर निकाली जाय ?

श्री धर्मसिंह—इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र, जहां तक किसानों का संबंध है, आते ही रहते हैं।

*१०८–११०—श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)— [बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर जिले में गंगा पर पुल की आवश्यकता

*१११—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में गंगा नदी पर पक्के पुल की योजना (स्कीम) सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पक्के पुल के बनाने में कितना व्यय होगा और कब तक बन जाने की संभावना है ?

श्री महावीरसिंह—जी नहीं। यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी मिर्जापुर में गंगा नदी के पुल की आवश्यकता को देखते हुये उसे थर्ड फाइव ईयर प्लान में सम्मिलित करने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह—विचार तो किया जा सकता है लेकिन प्रश्न धन का पैदा होगा।

श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस पुल के बनाने की मांग कब से हो रही है ?

श्री महावीरसिंह—सन् १९५४ से इस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री नागेश्वर प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पुल के बन जाने से कितने जिलों का सम्बन्ध जुड़ जायगा ?

श्री महावीरसिंह—जो नदी के इस पार हैं और उस पार हैं, उन दोनों का सम्बन्ध जुड़ जायेगा।

सिरसी बांध संबंधित भूमि का मुआवजा

*११२—**श्री रामकृष्ण जैसवार**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिरसी बांध, मिर्जापुर के निर्माण के सम्बन्ध में जिन्हें फरार लिख कर मुआवजा नहीं दिया गया वे फरार नहीं हैं और क्या उन डूब में पड़ने वाले व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह—सिरसी बांध, मिर्जापुर के निर्माण सम्बन्धी कागजों में कोई व्यक्ति "फरार" दर्ज नहीं है ।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात को नोटिस मान कर कि कुछ ऐसे काश्तकार हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और जिनको फरार लिख दिया गया है पर वे फरार हैं नहीं, इसकी जांच करायेंगे और उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार उत्तर दिया गया है । इसके बाद यदि आप कोई सूचना और लिख कर देंगे तो हम उसकी जांच करा लेंगे ।

अहरौरा बांध में डूबी जमीन के संबंध में किसानों की प्रार्थना

*११३—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री के पास अहरौरा बांध में डूबी हुई जमीन को खुलने पर उठाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक १७-७-५९ को किसानों की यह दरख्वास्त आयी है कि उस जमीन पर पलेवा-रेट न लगाया जाय और उसे वायदे के अनुसार रोस्टर रेट पर उठाया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—इसकी जांच की जा रही है ।

*११४-११६—**श्री भजनलाल**—[बारहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्य ६७-६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*११७-११८—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*११९-१२०—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—[ग्यारहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७८-८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१२१-१२२—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२३-१२४—**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)—[ग्यारहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८५-८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

रीजनल पी० डब्ल्यू० डी० यूनियन, फैजाबाद का स्मृति-पत्र

*१२५—**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रीजनल पी० डब्लू० डी० मजदूर यूनियन, फैजाबाद की ओर से १-९-५९ को कोई स्मृति-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गिरधारीलाल—वांछित सूचना माननीय सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३११–३१३ पर)

*१२६—**श्री चन्द्रजीत यादव** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त स्मृति-पत्र प्राप्त होने के बाद सरकार ने यूनियन के पदाधिकारियों, विभाग के अधिकारियों से उस सम्बन्ध में कोई परामर्श किया है? यदि हां, तो क्या सरकार संक्षिप्त में उसका विवरण देने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—इसके सम्बन्ध में यूनियन के पदाधिकारियों एवं विभाग के अधिकारियों से कोई परामर्श नहीं हुआ है।

गौढ़ी एवं मिलिक ग्रामों की जमीन वन विभाग द्वारा ली जाने की शिकायत

*१२७—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि ग्राम पौढ़ी एवं मिलिक, परगना फिरोजाबाद, तहसील निघासन, जिला खीरी के किसानों ने नवम्बर, दिसम्बर, ५९ में सरकार के पास शिकायतें भेजी हैं कि उनकी १५ वर्ष से जोती हुई भूमि वन विभाग द्वारा ली जा रही है?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*१२८—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त शिकायतों की जांच करवाई और उसका क्या परिणाम रहा?

श्री सैयद अली जहीर—जांच कराने पर पता चला कि जिला खीरी के गौढ़ी और मिलिक गांवों में दावेदारों (Calimants) के जंगलों को इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ की धारा ३८–बी व ३८–सी के अधीन विज्ञापित कर दिया गया है जिसके अनुसार उन जंगलों के पेड़ों की कटान वगैरह रोक दी गई है। किसानों की जोती जमीन लेने का वन विभाग का इस समय कोई विचार नहीं है।

*१२९—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इस प्रकार की भी शिकायतें मिली हैं कि वन विभाग के कर्मचारियों ने जाकर किसानों की फसलें, मवेशियान से बरबाद करवा दीं?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। यह कहना सही नहीं है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने किसानों की फसलों को मवेशियों द्वारा बर्बाद करवा दी हैं। वन विभाग कोई मवेशी नहीं पालता है।

बेतवा नहर की हिम्मतपुर माइनर को बढ़ाने का विचार

*१३०—**राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार का विचार जिला जालौन में हिम्मतपुर माइनर बेतवा नहर (कुठौंद शाखा) को बढ़ाने का विचार है? यदि हां, तो क्या इसी में से रुदाउली माइनर निकाली जायगी?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—जी नहीं।

आगरा तहसील में बरसाती पानी निकालने की योजना

*१३१--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या सरकार को विदित है कि आगरा तहसील के कई गांवों में अब तक गत वर्ष का पानी भरा हुआ है और उसे निकालने का प्रबन्ध नहीं हुआ है? क्या सरकार इस वाटर लागिंग को दूर करने के लिय कोई योजना सोच रही है?

श्री गिरधारीलाल--आगरा तहसील के किसी भाग में गत वर्ष का पानी भरा हुआ नहीं है। आगरा तहसील में वाटर लागिंग को दूर करने के लिए निम्न दो नालों की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:--

(१) वेस्ट डिपरेशन नाले का मील१-४ से ५-० तक के भाग का रिमार्डलिंग मिट्टी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

(२) बरारा ड्रेन जिसकी लम्बाई २ फर्लांग हैं, यह कार्य श्रमदान द्वारा हो रहा है।

करौता कल्याणी ड्रेनेज योजना संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट

*१३२--श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया करौता-कल्याणी ड्रेनेज, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया की सर्वेक्षण की रपट सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री गिरधारीलाल--करौता-कल्याणी ड्रेनेज योजना का सर्वेक्षण १९५१ में हुआ था। सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३१४ पर)

*१३३--श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया उक्त ड्रेनेज के जीर्णोद्धार हेतु शीघ्र ही कार्यवाही का आदेश देंगे?

श्री गिरधारीलाल--ड्रेन सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं केवल एक दो स्थान पर ठेकें पड़ गई थीं जिनको वार्षिक मरम्मत के समय हटा दिया गया और अब किसी अन्य कार्य की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती।

स्टार ऐण्ड ग्रिड फारमूला पर सड़कों का निर्माण

*१३४--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक किन-किन जिलों में नक्षत्र तथा वृत्त विधि (स्टार ऐण्ड ग्रिड फार्मूले) के आधार पर सड़कों का निर्माण हो गया? यदि पूरा नहीं, तो कितने प्रतिशत प्रगति हुई है?

श्री महाबीरसिंह--प्रथम भाग--आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी तालिका १ में दी हुई है।

द्वितीय भाग--आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी तालिका २ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३१५-३१६ पर)

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि स्टार ऐण्ड ग्रिड फारमूला के आधार पर जो जौनपुर जिले में स्टार का कार्य पूरा हो गया है लेकिन ग्रिड का नहीं हुआ है ? यदि नहीं, तो कब तक यह कार्य पूरा हो जायगा ?

श्री महावीरसिंह---जौनपुर में स्टार ऐण्ड ग्रिड फारमूला के आधार पर सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

कुंवर श्रीपालसिंह---मैंने, श्रीमन्, यह पूछा था कि स्टार का कार्य तो पूरा हो चुका है किन्तु ग्रिड का कार्य पूरा नहीं हुआ है, वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष---वे तो कहते हैं कि दोनों का कार्य पूरा हो गया है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस बात को सूचना मानकर जांच कराने की कृपा करेंगे कि वहां पर अभी ग्रिड का कार्य पूरा नहीं हुआ है ?

श्री महावीरसिंह---स्टार और ग्रिड दोनों एक ही चीजें हैं।

श्री अध्यक्ष---(कुंवर श्रीपालसिंह से)---आप जरा इसे स्पष्ट कर दें।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, स्टार का कार्य, जहां तक मुझे मालूम है, यह है कि एक कोने से क्रास वाइज सड़कें जाती हैं उनको स्टार कहते हैं और जो दूसरे जिलों को जोड़ती हैं उनको ग्रिड कहते हैं। तो जौनपुर में क्रास वाइज स्टार फारमूला तो पूरा हो चुका है लेकिन जो कोनों को मिलाने वाला ग्रिड फारमूला है वह पूरा नहीं हुआ है ?

श्री महावीरसिंह---जौनपुर में स्टार ऐण्ड ग्रिड फारमूला का कार्य पूरा हो चुका है। आपको तस्वीर अलग-अलग दिखलाई देती होगी, लेकिन सब मिला कर स्टार ऐण्ड ग्रिड कहा जाता है। वैसे आपका मतलब जौनपुर शहर से है या जिले से ?

कुंवर श्रीपालसिंह---मेरा मतलब जिले से है।

विद्युत विभाग के दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों को मुआवजा तथा हरदुआगंज पावर हाउस में भ्रष्टाचार की शिकायत

*१३५---आचार्य दीपंकर---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई, १९५८ से जनवरी, १९६० तक विद्युत विभाग में कितने कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हुये और कितनों को विभाग की ओर से कुल मिला कर कितना मुआवजा दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल---मई, १९५८ से जनवरी, १९६० तक विद्युत विभाग में कुल ३३ कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हुये हैं। इनमें से १९ कर्मचारियों के बहुत कम चोट आई, इसलिये उनके लिये मुआविजे का प्रश्न नहीं उठता। ३ को मुआविजे देने का मामला उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के विचाराधीन है तथा १० कर्मचारियों को मुआविजे देने के लिये पूछताछ जारी है। बाकी एक कर्मचारी मुआविजे का हकदार नहीं पाया गया।

*१३६---आचार्य दीपंकर---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदुआगंज (अलीगढ़) पावर हाउस के रेजिडेंट इंजीनियर तथा ठेकेदारों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आई शिकायतों के बारे में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री गिरधारीलाल---रेजीडेंट इंजीनियर को नौकरी से अलग कर दिया गया है। ठेकेदार का मामला अभी विचाराधीन है।

*१३७---श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---[हटा दिया गया।]

नोट--- तारांकित प्रश्न १३४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आगरा में यमुना पर नया पुल बनवाने का विचार

*१३८--स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में जमुना नदी पर मौजूदा रेल रोड पुल से ट्रैफिक की विशेष असुविधा के कारण जो दूसरा पुल बनाये जाने का विचार था वह किन कारणों से स्थगित किया गया ? यदि नहीं, तो क्या उक्त पुल के निर्माण का कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--केन्द्रीय सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस पुल के निर्माण पर विचार कर रही है।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता ।

*१३९--स्वामी विश्वेश्वरानन्द--उक्त पुल के निर्माण के लिये यदि एस्टीमेट बन चुका है तो वह कितना है और उसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने कितने-कितने धन की स्वीकृति दी है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी नहीं ।

द्वितीय भाग--क्योंकि यह पुल नेशनल हाईवे पर होगा, इसका पूरा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

गोंडा जिले में सिंचाई विभाग से आय

*१४०--श्री बलदेवसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में सिंचाई विभाग से वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कुल कितनी आमदनी हुई और इस विभाग पर कुल कितना खर्च वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्र की जा रही है।

इलाहाबाद-डलमऊ-उन्नाव सड़क पर डामर डालने की प्रार्थना

*१४१--श्री भजनलाल--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़क इलाहाबाद से डलमऊ होकर उन्नाव को आती है उसे वे कब तक डामर रोड करने जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--इस समय उक्त सड़क को पूरी लम्बाई में आधुनीकरण करने की कोई योजना नहीं है ।

द्वितीय भाग--कार्य के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित न होने के कारण।

*१४२--श्री भजनलाल--उपरोक्त सड़क को डामर रोड बनाने में कुल कितना धन व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल--लगभग ४० लाख रुपये ।

गौसपुर तथा नन्दपुर माइनर नहरों में ली गई जमीन का मुआवजा न मिलना

*१४३--श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला फैजाबाद की तहसील टांडा में गौसपुर तथा नन्दपुर नाम की नहर की माइनरों के लिये जो भूमि प्राप्त की गई है, उसका मुआवजा दे दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--अभी नहीं दिया गया है।

*१४४---श्री सुखरामदास---क्या उक्त भूमि के किसानों के लगान में कमी कर दी गई है या वह पूर्ववत् ही वसूल किया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---उक्त भूमि के किसानों से लगान की वसूलयाबी बन्द कर दी गई है ।

बस्ती जिले की नलकूप योजना

*१४५-श्री रामलाल (जिला बस्ती)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुछ ट्यूबवेल लगाने की मंजूरी हुई थी ? यदि हां, तो वे ट्यूबवेल कहां-कहां लगाये जा रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल---वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३१७ पर)

विद्युत विहीन नलकूप

*१४६---श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में ऐसे कितने ट्यूबवेल हैं जो तीन साल से बिजली न होने के कारण काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल---२३ ।

मनसरवर नाला को नियंत्रित करने की प्रार्थना

*१४७---श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)---क्या सरकार को पता है कि देवरिया जनपद, तहसील हाटा के अन्तर्गत मड़ारविन्द-बलिया-कुर्मीपट्टी के बीच जो मनसरवर नाला छोटी गन्डक से निकलता है उससे तमाम गांवों की जनता की बाढ़ के समय काफी फसल डूब जाती है और बर्बाद हो जाती है ?

*१४८---यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस नाले के मुंह को बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

*१४९---क्या सरकार को पता है कि पारसाल उन तमाम गांवों के किसानों के प्रार्थना-पत्र पर सिंचाई विभाग ने नाले का सर्वेक्षण भी कराया था ?

श्री गिरधारीलाल---वांछित सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

मेरठ व वाराणसी डिवीजनों में नलकूपों से सिंचाई तथा राज्य की नवीन सड़कें

*१५०---कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१ से १९६० तक मेरठ डिवीजन में कितने ट्यूबवेल लगे और इस अवधि में उनके द्वारा कितने एकड़ सिंचाई की गई ?

*१५१---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी डिवीजन में १९५१ से १९६० तक कितने ट्यूब-वेल लगे और उनसे कितने एकड़ सिंचाई की गई ?

श्री गिरधारीलाल---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१५२---कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना से अब तक पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा प्रदेश के हर जिले में कितने मील सड़कें बनी हैं ?

श्री गिरधारीलाल---आवश्यक सूचना सदस्य महोदया की मेज पर रक्खी तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३१८ पर)

दोहरी घाट पम्पनहर का निर्माण-कार्य

*१५३---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दोहरीघाट पम्प नहर (मुख्य नहर, ब्रांच, उप ब्रांच, तथा माइनर आदि) के निर्माण-कार्य में अभी तक कुल कौन-कौन काम बाकी हैं और उनके पूर्ण होने की कब तक आशा है ?

श्री गिरधारीलाल---अपूर्ण कार्यों की सूची संलग्न है । मार्च, सन् १९६१ तक उनको पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३१९ पर)

स्थायी पतरौल

*१५४---**श्री जंगबहादुर वर्मा**---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के अन्तर्गत कितने ऐसे नहर के पतरौल हैं जो ३ वर्ष से कार्य कर रहे हैं परन्तु मुस्तकिल अभी तक नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---ऐसे ९३७ पतरौल हैं । इनमें से कुछ रिपोर्ट संतोषजनक न होने के कारण, तथा कुछ स्थायी जगहें न होने के कारण अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं । कुछ पतरौलों को रिक्त स्थायी पदों पर स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

मंगलौर में बरसाती पानी निकालने वाले नालों पर व्यय

*१५५---**श्री सईद अहमद अन्सारी** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मंगलौर, जिला सहारनपुर के जो ड्रेन बरसाती पानी को निकालने हेतु बने हैं उनमें कुल कितना धन सरकार का व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल---३७,११५ रुपया व्यय हुआ है ।

*१५६---**श्री सईद अहमद अन्सारी**---क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि उक्त ड्रेन गलत खुदने के कारण बरसाती पानी का उचित निकास नहीं हो सका है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं ।

*१५७---**श्री सईद अहमद अन्सारी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मंगलौर में हरिजन तथा वाल्मीकि बस्ती का बरसाती पानी निकालने हेतु किसी नाले का सर्वे हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां । ईस्ट मंगलौर ड्रेन बनाने के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है । इस ड्रेन के लिए भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । भूमि प्राप्त होने के पश्चात् कार्य आरम्भ किया जायगा ।

बलिया जिले में घाघरा का कटाव तथा तुरतीपार बांध व घाघरा के बीच सिंचाई की व्यवस्था न होना

*१५८---**श्री जगन्नाथ चौधरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत नदी घाघरा क कटान से कौन-कौन गांव खतर की स्थिति में आ गये हैं ?

*१५९---क्या यह सही है कि बलिया के जिलाधीश ने घाघरा के कटान से खतरे में पड़े हुये गांवों का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो उन ग्रामों की सुरक्षा के लिये सरकार कौन-सी कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल---सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१६०---**श्री जगन्नाथ चौधरी**---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के श्रीनगर-तुरतीपार बांध तथा घाघरा नदी के बीच स्थित गांवों की सिंचाई के लिये कौन-सी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है ?

श्री गिरधारी लाल---ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

पंचवर्षीय योजनान्तर्गत कार्य निरीक्षणार्थ विधायकों को सुविधायें

*१६१---**श्री ब्रजनारायण तिवारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले बड़े-बड़े निर्माण-कार्यों के निरीक्षण के लिये विधायकों को क्या सुविधा देने की व्यवस्था है ?

श्री गिरधारीलाल---इस सम्बन्ध में विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३२० पर)

लालगंज तहसील में नहरी जमीन का मुआवजा न मिलना

*१६२---**श्री तेजबहादुर** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की तहसील लालगंज में खुदी हुई नहरों द्वारा किसानों को पानी देना कब तक संभव होगा ?

श्री गिरधारीलाल---चालू वित्तीय वर्ष में देने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

*१६३---**श्री तेजबहादुर**---क्या उपर्युक्त तहसील में नहर के लिये ली गई जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक देना संभव होगा ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं । आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में दे दिया जायगा ।

*१६४---**श्री तेज बहादुर**---क्या उपर्युक्त तहसील में जहां नहर से पानी देना संभव नहीं है, वहां पर सिंचाई का कोई दूसरा साधन जुटाने का सरकार प्रयत्न करेगी ?

श्री गिरधारी लाल---अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

जौनपुर जिले में सई और बसुही नदियों के बीच नहरों की स्वीकृति

*१६५---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के अन्तर्गत बसुहि नदी और बर्ना नदी के बीच में इस साल जून, १९६० तक कितने ट्यूब-वेल किन-किन ग्रामों में लगाये जाने वाले हैं ?

श्री गिरधारीलाल---इस क्षेत्र में इस वर्ष जून, १९६० तक किसी नये नलकूप के लगाये जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

*१६६---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बसुहि और सई नदी के बीच कितने और कहां ट्यूब-वेल लग रहे हैं और कितने गांवों में नहर की शाखा बढ़ाई जाने वाली है ?

श्री गिरधारीलाल—इस क्षेत्र में इस समय नलकूप लगाने का विचार नहीं है। सई और बसुही नदियों के बीच ६ नहरों का निर्माण स्वीकृत हुआ है। इन नहरों के नाम तथा जिन ग्रामों से होकर यह निकलेंगी उसका विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३२१ पर)

अंकरा तप्पा ग्राम सभा का नहर विभाग के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१६७—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा, अंकरा तप्पा बरहों, तहसील नवगढ़, जिला बस्ती के सभापति का १३-१-६० का शिकायती-पत्र नहर विभाग के गड़बड़ी के खिलाफ सरकार के पास आया है ? यदि हां, तो उस शिकायती पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, मुख्य शिकायत यह थी कि गांव की उन जमीनों पर भी सिंचाई कर लगाया गया है जिन में नहर का पानी नहीं लिया गया है।

शिकायत जांच किये जाने पर यह मालूम हुआ कि केवल १ बीघा १४ बिस्वा रकबे के खेतों पर नहरी कर गलती से लगा दिया गया था और २ बिस्वा रकबे पर लगाने से रह गया था। बाकी रकबे पर नहरी कर ठीक-ठीक लगा था। इसके संशोधन के आदेश दे दिये गये हैं और इसकी सूचना ग्राम सभापति को दी जा चुकी है।

पुरवा ब्रांच नहर सम्बन्धित साइफन का निर्माण व्यय तथा सिंचाई

*१६८—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में शारदा नहर की पुरवा ब्रांच के १७ मील ३ फर्लांग पर तूरी साइफन मार्च, १९५९ में कितनी लागत से बनी ?

श्री गिरधारीलाल—तूरी साइफन नाम का कोई साइफन नहीं है पुरवा ब्रांच के १७ मील ३ फर्लांग पर जो साइफन है उस पूरे साइफन का निर्माण नहीं किया गया था, केवल डाट के स्थान पर सीमेंट कान्क्रीट का स्लैब डाला गया था जिसकी लागत ४,९४३ रुपये थी।

*१६९—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त साइफन कुछ समय बाद टूट गई और जुलाई-अगस्त, १९५९ में फिर से बनाई गई ? यदि हां, तो कितनी लागत से ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं। जो काम कराया गया था वह नहीं टूटा। अबेटमेन्ट की केवल १५ फीट लम्बाई नीचे को गिर गई थी जिसको २५१ रु० में तत्काल मरम्मत करा दिया गया था। बाद में पूरे अबटमेन्ट को और मजबूत किया गया था जिसमें १०,९९५ रु० व्यय हुआ।

*१७०—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुरवा ब्रान्च के द्वारा किसानों को १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ के मध्य सिंचाई हेतु किन-किन तिथियों में पानी दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—तिथियों का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ३२२ पर)

इटावा ब्रांच नहर में बिलन्दा से रजबहा निकालने का कथित सर्वे

*१७१—**श्री अभयराम यादव** (जिला इटावा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत शाखा इटावा नहर में बिलन्दा से एक रजबहा खड़ा हेलू के लिये सन् १९५६ में सर्वे किया गया था ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

दो सौ रुपये से अधिक वेतन भोगी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*१७२—श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार इस बात का पता कर सदन को सूचित करेगी कि दो सौ रुपया मासिक से ऊपर वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मध्य प्रदेश, बिहार, बम्बई अथवा केरल में किन दरों से महंगाई भत्ता दिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर—मध्य प्रदेश, बिहार, बम्बई और केरल में २०० रु० मासिक से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को जिन दरों से महंगाई भत्ता दिया जाता है वह संलग्न स्टेटमेन्ट (statement) में दिये हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ३२३–३२४ पर)

अलीगढ़ जिले में देहाती क्षेत्र की कथित विद्युत योजना

*१७३—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में देहातों को बिजली देने की जो योजना बनी थी उसमें क्यों रुकावट आ गई है ?

श्री गिरधारीलाल—ऐसी कोई योजना नहीं बनी थी ।

भुजाण-बेतवा घाट—कुमरिया मोटर सड़क का निर्माण कार्य

*१७४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भुजाण-बेतालघाट--कुमरिया मोटर सड़क के निर्माण-कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और वह कब तक बन जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क में केवल भुजाण–बैतालघाट भाग (१६ मील का निर्माण किया जा रहा है) कार्य में २५ प्रतिशत प्रगति हुई है तथा सड़क के जून, १९६१ तक बन जाने की आशा है ।

*१७५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या पी० डब्लू० डी० विभाग का विचार उपर्युक्त मोटर सड़क पर धारी नामक स्थान से वरधो तक लूप मोटर-लाइन बनाने का है ताकि ऊंचाकोट–धनियाकोट पट्टियों की जनता को सुविधा पहुंच सके ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

*१७६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिनायक-चांकी-मटियार--पदमपुरी–खनस्यूं मोटर-सड़क के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—चालू योजना काल में इस मोटर सड़क का निर्माण सम्भव नहीं है ।

सिंचाई विभाग में अस्थायी अधिकारी

*१७७—श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में मिनिस्ट्रियल स्टाफ, सिंचाई विभाग में कितने आफिसर अस्थायी हैं और कितने दिन से ?

श्री गिरधारीलाल—इस समय इस प्रकार के केवल एक व्यक्ति हैं जो २५–९–५९ से अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं ।

*१७८—श्री बलदेवसिंह—उनके स्थायीकरण में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—इस पद को स्थाई रूप से भरने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

वृन्दावन नगरपालिका का बिजली कर के सम्बन्ध में सुझाव

*१७९---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी हाल में नगरपालिका, वृन्दावन की ओर से सरकार के पास कोई ऐसा सुझाव आया है कि स्ट्रीट लाइट तथा म्युनिसिपल वाटर वर्क्स में जो बिजली काम में लाई जाती है उस पर सरकार ड्यूटी न ले ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां । सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि वाटर वर्क्स में जो बिजली खर्च होती है उस पर १ अप्रैल, १९५९ से बिजली कर लागू नहीं है ।

स्ट्रीट लाइट पर खर्च होने वाली बिजली पर ड्यूटी न ली जाय, यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र में नलकूप लगाने का विचार

*१८०---**श्री भजनलाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला इटावा के पारपट्टी ग्राम रिठौली और बड़ौरी में ट्यूबवेल लगाने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल---इटावा जिले के पार पट्टी क्षेत्र में सरकारी नलकूप बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

*१८१---**श्री भजनलाल**---यदि हां, तो ट्यूबवेल कब तक लग जावेंगे और कितना-कितना धन व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल---नलकूप कब तक लग जावेंगे तो तभी बताया जा सकता है जब यह अन्तिम रूप से निश्चित हो जावे कि नलकूप वास्तव में लगाये जायेंगे । चार नलकूपों की अनुमानित लागत ३,२५,००० रुपया होती है ।

*१८२---**श्री भजनलाल**---इस ट्यूबवेल योजना में कितना रुपया सरकार सहायता के रूप में देने जा रही है और कितना ग्रामवासी लगायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---अगर सरकारी नलकूपों को लगाया गया तो उनका पूरा व्यय सरकार द्वारा किया जावेगा ।

देवरिया में हाइडल विभाग द्वारा अधिगृहीत भूमि का मूल्य न चुकाना

*१८३---**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया नगरपालिका के अन्तर्गत देवरिया में हाइडल विभाग द्वारा जो भूमि प्राप्त की गई थी उसका मूल्य उसने अब तक किसानों को क्यों नहीं दिया है और इसमें ५ वर्ष से ऊपर की देर क्यों हुई है ?

श्री गिरधारीलाल---सूचना अभी एकत्रित की जा रही है ।

बरसाती पानी निकालने के लिये नालों का निर्माण

*१८४---**श्री भूपकिशोर** (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने १ जनवरी सन् १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक प्रान्त में वाटर लाँगिंग निवारण के लिये कुल कितने मील नाले खुदाये और कितने मील नाले गहरे या चौड़े किये गये और उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें नाले खुदवाये गये ?

श्री गिरधारीलाल---प्रश्न में मांगी गई सूचना के एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उसकी उपादेयता से अधिक होगा ।

*१८५-१८७---**श्री देवनारायण भारतीय** तथा **श्री टीकाराम**---[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास कुछ सूचनायें गिरफ्तारी की आई हैं । एक यह तार है अध्यक्ष, विधान सभा, के नाम, सीतापुर के अडीशनल सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट का डाक्टर श्री अवधेश सिन्हा की गिरफ्तारी का । उनकी यह गिरफ्तारी भारतीय दंड विधान की धारा २२८ तथा क्रिमनल प्रोसीजर कोर्ड की धारा ४८० के अन्तर्गत कन्टेम्प्ट आफ दि कोर्ट के अपराध में की गई है। इसमें यह लिखा है कि नियमित सूचना-पत्र द्वारा भेजी जा रही है ।

दूसरी सूचना देवरिया से आई है--

"श्री उग्रसेन, सदस्य विधान सभा, की गिरफ्तारी आज (कल की बात है) साढ़े नौ बजे दिन में, बरहज स्थान पर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत की गई और वह जिला जेल ले जाये जा रहे हैं ।

यह जिलाधीश की तरफ से है ।

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (क्रमागत*)

श्री अध्यक्ष--श्री राजनारायण की गिरफ्तारी पर श्री देवनारायण भारतीय ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया है । उनका कहना यह है--

"आज (कल से मतलब है) दस बजकर २५ मिनट पर श्री राजनारायण, नेता सोशलिस्ट पार्टी जब अपने कमरे, ९८-बी, दारुलशफा से लिफ्ट द्वारा नीचे उतर कर आपसे साढ़े दस बजे मिलने कुछ जरूरी कागजातों के साथ आ रहे थे तब विधायक निवास की सीढ़ियों पर श्री रंगबहादुर सिंह, एस० ओ० हजरतगंज ने उनको दफा ११७, जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया । उस थानेदार के पास कोई वारंट नहीं था । माननीय राजनारायण-विधान सभा भवन को माननीय अध्यक्ष से मिलने आ रहे थे । ऐसी स्थिति में बिना पूर्व नोटिस दिये उनको गिरफ्तार करने से माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों की अवहेलना हुई है ।

अतः धारा ६५ प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत उक्त एस० ओ०, हजरतगंज के विरुद्ध सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन का अवमान करने के कारण विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करता हूं ।"

देवनारायण भारतीय जी से पूछूंगा कि वह किस तरह से बताते हैं कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई, क्योंकि साधारण नियम तो यह है कि जो फौजदारी के मामले हैं उनमें गिरफ्तारी कर लेने में विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं होती है, आप किस तरह से बताते हैं ?

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मान्यवर, राजनारायण जी ने अपने विधायक निवास से चलने के पूर्व आपसे टेलीफोन पर बातचीत की थी । मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि आपने उन्हें साढ़े दस बजे मिलने का आश्वासन दिया था । वह आपसे मिलने के लिये कुछ कागजात लेकर आ रहे थे । माननीय लालबहादुर जी, वाराणसी और माननीय रामसुन्दर पांडेय, आजमगढ़, उनके साथ उस समय थे । उस थानेदार के पास न कोई वारंट था, न उसने दिखलाया । मैं भी उस समय वहां पहुंच गया और मैंने स्वयं उससे पूछा कि "आपके पास कोई वारंट है ?" उसने उत्तर दिया कि "मैं बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता हूं ।" मेरी आपत्ति यह है कि उसने जबकि राजनारायण जी कोई ऐसा काम करने नहीं जा रहे थे, न उससे पहले उन्होंने किया था जिससे बीच आप पीस होता हो, वह विधान भवन में आपकी आज्ञा से आपसे मिलने के लिये आ रहे थे, ऐसी परिस्थिति में उनको रास्ते में रोकना यह विशेषाधिकार की अवहेलना है । मैं आपसे इस बात की आज्ञा चाहूंगा कि आप मुझे. . . .

---

*२ मई, १९६० की कार्यवाही से ।

श्री अध्यक्ष---पहले तो आप यह बतायें कि फौजदारी के मामले में किस तरह से विशेषाधिकार की अवहेलना होती है ? कोई आपके पास इंगलैंड की पद्धति में या कहीं भी ऐसी मिसाल है--क्योंकि जो विशेषाधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के हैं वह ही हम लोगों के हैं---तो कोई आपके पास आधार है जिसकी बुनियाद पर आप यह कहते हैं कि फौजदारी के मामले में भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है सदस्य की गिरफ्तारी होने पर ।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं पहले तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें फौजदारी का कोई मामला पैदा नहीं होता । मैंने जैसा अभी निवेदन किया, राजनारायण जी ने उससे पूर्व कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जिस से ब्रीच आफ पीस होता हो और न उस समय कोई ऐसा कार्य करने जा रहे थे जो ब्रीच आफ पीस के अन्तर्गत आता हो । इस प्रकार से इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अमल तो हो ही नहीं सकता । उस थानेदार के पास कोई वारन्ट भी नहीं था । थानेदार स्वयं अधिकृत नहीं था कि बगैर वारन्ट के वह गिरफ्तारी कर सके ।

श्री अध्यक्ष---मैं तो आपसे विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में पूछ रहा हूं । वाकयात के बारे में आप जो बातें कह रहे हैं उनके बारे में यहां पर तहकीकात नहीं होगी । वाकयात के बारे में यहां फैसला नहीं होगा । अगर यह वाकयात सही हों और इनके आधार पर कोर्ट में वह गिरफ्तारी निर्मूल मानी जाय तब आप उसके बाद यह सवाल उठा सकते हैं कि जानबूझ कर सदन के कार्य से उनको रोका गया । इस समय तो आपको यह मानकर चलना होगा कि चाहे वह सदन की सेवा के लिये आ रहे हों या मुझ से बात करने के लिये आ रहे हों उस समय अगर फौजदारी के मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है तो उससे विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं होती है, यह साधारण सी बात है । इस प्रकार से विशेषाधिकार की अवहेलना होती है, अगर ऐसा कोई उदाहरण आप बता सकें, ब्रिटिश पार्लियामेंन्ट के आजकल के जो विशेषाधिकार हैं उनमें आपको कोई ऐसी बात दिखाई दे तो मैं उसके कहने के लिये आप को मौका दे सकता हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय---श्रीमन्, उदाहरण देने के लिये मुझे कुछ समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैं कल तक के लिये समय दे सकता हूं, आप कल बतायें ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से या आपसे सूचना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का कोई उदाहरण इस देश में या दूसरे देश में हुआ है जिसमें इस प्रकार से विधान सभा या पार्लियामेन्ट के मेम्बर की गिरफ्तारी की गई हो । अगर आप या सरकार इस प्रकार की जानकारी दे सकें तो बड़ी कृपा होगी ताकि हमको प्रकाश मिल सके इस बात को समझने के लिये क्योंकि इतिहास में यह एक नई बात हुई है ।

श्री अध्यक्ष---पहले तो आपको यह सिद्ध करना होगा कि विधान भवन निवास या सदस्यों के ठहरने की जो जगह है उसमें गिरफ्तारी करना अवैधानिक है । पहले आप बतायें कि वह अवैधानिक रूप में कैसे गिरफ्तार किये गये और वह अवैधानिकता हमारे नियमों के अनुसार होनी चाहिये, जाब्ता फौजदारी के लिहाज से नहीं क्योंकि उसका फैसला तो कोर्ट में होगा ।

श्री गौरीशंकर राय---एक निवेदन और है ।

श्री अध्यक्ष---कल आप स्टडी करके आ जाइये ।

श्री गौरीशंकर राय---मैं विशेषाधिकार के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता था । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विशेषाधिकार का प्रश्न रूल्स में हो या न हो, मैं आप से जानना चाहूंगा कि कुछ परम्पराओं के प्रश्न भी तो होते हैं, क्या आप इसे कोई स्वस्थ परम्परा समझते हैं या यह सरकार स्वस्थ परम्परा समझती है ? और अगर यह सरकार इसे स्वस्थ परम्परा समझे कि विधायक निवास से उतरते समय किसी माननीय सदस्य को पुलिस द्वारा लाठी डंडों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाय तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष---आपके नियमों में कोई ऐसी चीज नहीं है । विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं उठता है जब तक कि उसके बारे में कोई निर्णय न हो जाय । मैं अभी इसके बारे में कोई फैसला नहीं दे रहा हूं । अभी कल इसके बारे में भारतीय जी का प्रश्न उठ जाय और उसका फैसला हो जाय तब बाद में आप गवर्नमेंट से बातचीत कर सकते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि विधायक निवास से विधायक सदन में उपस्थित होने के लिये चलें साढ़े दस से ११ बजे तक और यहां घंटी बज जाय और आप (अध्यक्ष महोदय) बिराजमान हो जायं सीट पर और वहां न वारन्ट हो और न कोई ऐसी बात हो और एक-एक सदस्य को पुलिस वाले ले जाकर बन्द करते चल जायं और यहां सदन में कोई न हो, इससे न सदन का अपमान होगा, न आपका अपमान होगा और न विशेषाधिकार की अवहेलना होगी । उन्होंने कोई बीच आफ पीस भी नहीं की थी । कहीं आप एम० एल० ए० की हैसियत से वहां से चले होते तो जब तक आप लिफ्ट तक नहीं आते हैं आप एम० एल० ए० रहते हैं और यहां आने पर ही अध्यक्ष की पोजीशन होल्ड करते हैं । अगर आपको रास्ते से कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करके ले जाय तो हम सब यहां बैठे-बैठे कैसे काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---अगर आप यहां होंगे तो कविता करना शुरू कर दीजियेगा ।

श्री देवनारायण भारतीय द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री देवनारायण भारतीय का प्रस्ताव किसी तलाशी के सम्बन्ध में है जो उनके दफ्तर-वफ्तर की होगी । यह साधारण बात है । मैं इस प्रश्न का उठाना स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---उन्होंने टेलीफोन से बात नहीं करने दी, वह डिसकनैक्ट कर दिया । जब तक तलाशी लेते रहे बाहर का भीतर से सम्बन्ध टूटा रहा, कोई बाहर से भीतर नहीं जा सका और न कोई भीतर से बाहर आ सका । बगैर वारन्ट उन्होंने तलाशी ली और थानेदार ने यह प्रकट किया कि वह कोतवाल हैं, जबकि वह वास्तव में कोतवाल नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---मैंने इजाजत नहीं दी है । यह नहीं छपेगा । एक कहावत है कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर ? सत्याग्रह के साथ यह सब चलता ही है ।

बलिया जिले में दोहरीघाट नहर से पानी न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---यह गौरीशंकर राय जी की सूचना है नियम ५२ के अन्तर्गत । दोहरीघाट नहर से पिछली रबी की फसल में बलिया जिले में पहली बार पानी दिया । इस वर्ष किसानों ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के आश्वासन पर कि पानी मिलेगा बोवाई की और दोहरीघाट नहर में समय से पम्प नहीं लगा । विद्युत् विभाग के ट्रांसफार्मर न दे सकने के कारण अब तक बलिया जिले में नहर का पानी न मिल सकने की वजह से हजारों मन गन्ना सूख रहा है । पानी न मिलने के कारण किसानों की बहुत क्षति हुई है । क्योंकि अब तक दूसरी बार पानी मिल जाना चाहिये । अब और क्षति की सम्भावना है । इससे किसानों में उत्पन्न परिस्थिति पर माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---इसके लिये सूचना मंगानी पड़ेगी । मेरे पास है भी, लेकिन वह ठीक नहीं है । परसों के लिये रख दें ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है ।

२२ मार्च, १९६०, के तारांकित प्रश्न १७२ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन*

संसदीय विषयक उप मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—अध्यक्ष महोदय, २२ मार्च, १९६० के प्रश्न संख्या १७२ से संबंधित श्री झारखन्डेराय के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि, "म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों को यह सन्५५ में ही दे दी गई।" यह उत्तर ठीक नहीं था सही उत्तर इस प्रकार है, "यह वृद्धि सिर्फ सरकारी कम तनख्वाह वाले कर्मचारियों को दी गई थी। मगर जो वृद्धि महंगाई भत्ते में १९५७ और १९५९ में की गई उसमें लोकल बाडीज के मुलाजमीन भी शामिल थे।"

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—सन् ५८-५९ में महंगाई भत्ते का प्रश्न तो था ही नहीं। यह अनुपूरक उत्तर में कैसे आया?

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने जोड़ा है।

बलिया जिले में दोहरीघाट नहर से पानी न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, यदि कुमायूं जमींदारी वाला बिल कल समाप्त हो गया तो सदन कल ही उठ जावेगा। इसलिये मन्त्री जी सूचना कल ही दे दें तो अच्छा हो।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—मैं कोशिश करूंगा।

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ खंड २ (क्रमागत) †

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैंने पहले एक संशोधन दिया था जो छप नहीं पाया, उसकी नकल मैंने आज फिर दे दी है। कहीं चपरासी ने इधर-उधर कर दिया होगा। उसे पेश करने की मुझे इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। कल ६ बजे के भीतर दिया होगा तो ले लूंगा। अब खण्ड २ पर श्री केशव पांडेय कुछ कहना चाहते हैं?

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—जी नहीं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मुझे यह तीनों संशोधन स्वीकार हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड २ में उप खंड (ख) के अन्त में आने वाला शब्द "और" निकाल दिया जाय।

खंड २ की मद (ग) में आये हुये शब्द "तराई भावर परगने" के स्थान पर शब्द "तराई तथा भावर सब-डिवीजन" रख दिये जायं।

खण्ड २ में उप खंड (ग) के अन्त में तथा शब्द "लागू कर सकती है" के पहले शब्द "और' बढ़ा दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित उपखंड (घ) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(घ) गढ़वाल जिले के गांव मावाकोट (पट्टी मोटाढाक) बलभद्रपुर जिसे घोसी खाता भी कहते हैं, (पट्टी सुखराव) धारा जिसे धारों भी कहते हैं, झिरनामल्ला

---

*२२ मार्च, १९६० की कार्यवाही में तदनुसार संशोधित कर दिया गया।

†२ मई, १९६० की कार्यवाही से।

और कोठी राम (पट्टी गढ़वाल भावर) तथा प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "अस्थानों" के स्थान पर शब्द "क्षेत्रों" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, इस पर बोलने का हमें कोई मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—आप खड़े ही नहीं हुये।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके दफ्तर को लिख कर दे दिया, आपसे पूछ भी लिया और आपने उसको मूव करने की इजाजत दे दी, फिर भी मेरा संशोधन नहीं लिया गया।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आप खड़े ही नहीं होते तो मैं क्या करूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं खड़ा हुआ था, लेकिन आप पढ़ने लगे, फिर मैं क्या करता ?

श्री अध्यक्ष—आप तो उसके ऊपर बहस करने के लिये तैयार थे। आपने यह कब कहा कि उसमें आपका एक संशोधन भी है ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैंने संशोधन पहले ही दे दिया था लेकिन वह एजेन्डे में छप नहीं। तो मेरी इसमें क्या गलती है ?

श्री अध्यक्ष—अभी आपने जो दिया है, वह मेरे पास आ चुका है। मैं समझता हूं कि वह आपको किसी जिम्मेदार आदमी को देना चाहिये था।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—सेक्रेटरी से भी अधिक कोई जिम्मेदार होता होगा तो मैं नहीं जानता।

श्री अध्यक्ष—आपके पास उसकी नकल भी तो होगी ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैंने वह भी विभाग को दे दी है। मैं तो हर प्रकार के प्रीकाशन बरतता हूं। १० बजे यहां आया, कार्यालय में गया, सेक्रेटरी के कमरे में गया, आपके कमरे में गया, इससे और ज्यादा प्रीकाशन क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—मन्त्री महोदय को भी उसकी नकल आपने दी या नहीं ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—उन्होंने कहा कि हम टाइप कराकर दे देंगे।

खण्ड ३

३—विषय अथवा संदर्भ में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम परिभाषायें में—

(१) "कलेक्टर" के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का वह असिस्टेंट कलेक्टर भी सम्मिलित है, जिसे राज्य सरकार ने, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के समस्त अथवा किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अधिकृत किया हो।

(२) "प्रतिकर" आयुक्त (Compensation Commissioner) से तात्पर्य है धारा ३९ में अभिदिष्ट प्रतिकर आयुक्त।

(३) "प्रतिकर अधिकारी" (Compensation Officer) से तात्पर्य है धारा ३९ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी।

(४) "वर्तमान विधि" (existing law) से तात्पर्य है वह विधि जो इस धारा के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व कुमायूं डिवीजन में प्रवृत्त रही हो और इसके अन्तर्गत कोई अध्यादेश, आज्ञा उपविधि (bye-law), नियम, विनियम, विज्ञप्ति, आचार अथवा प्रथा (custom or usage) जो विधि के समान प्रभावकारी हो, भी है।

(५) "गांव सभा" से तात्पर्य है यू० पी० पंचायत राज्य ऐक्ट, १९४७ के अधीन संगठित अथवा स्थापित गांव सभा।

(६) गूंठ या सदावर्त माफी के अन्तर्गत किसी मन्दिर, देवी–देवता (deity) या धार्मिक अथवा पूर्व (charitable) संस्था के पक्ष में राज्य सरकार अथवा उसकी किसी पूर्वाधिकारिणी (predecessor) सरकार द्वारा मालगुजारी की माफी अथवा उसकी इसी प्रकार का कोई अन्य अभिहस्तांकन (assignment) है, जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रवृत रहा हो।

(७) "हिस्सेदार" का वही अर्थ होगा जो उसे कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान विधि में दिया गया है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं:—

(१) असकोट परगने के गुजारेदार,

(२) अप्रतिबन्ध दाय वाले आस्थानों के काबिज,

(३) टेहरी के महाराजा (उस भूमि सम्बन्ध में जो टेहरी-गढ़वाल (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी-गढ़वाल के उत्तर प्रदेश में विलयन के दिनांक पर खुदकाश्त के रूप में उनके अधिकार में थी),

(४) टेहरी-गढ़वाल के सकलाना माफीदार (उस भूमि के सम्बन्ध में जो १९४८ में अपने स्वामित्व सम्बंधी और माफीदारी अधिकारों के समर्पण के दिनांक पर उनकी खुदकाश्त के रूप में उनके अधिकार में थी),

(५) टेहरी-गढ़वाल में पदचार गांव के माफीदार,

(६) टेहरी-गढ़वाल के मौरूसीदार अथवा हलबन्दी माफीदार, अपनी भूमि के उस भाग के सम्बन्ध में जो किसी खायकर के पास हो,

(७) किसी सैनिक बन्दोबस्त के आस्थान (Soldiers Settlement Estate) का जागीरदार,

(८) अल्मोड़ा जिले के दूनागिरी उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का ऐसा पाने वाला (allottee) जिसने निश्चित दिनांक के पूर्व हिस्सेदारी अधिकार क्रय कर लिये हों।

(८) "खायकर" का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है और उसके अन्तर्गत टेहरी गढ़वाल के मौरूसीदार अथवा हलबन्दी, माफीदार, उसकी भूमि के उस भाग के सम्बन्ध में जो किसी खायकर के पास न हो, भी हैं।

(९) "खायकारी भूमि" से तात्पर्य है वह भूमि, जो किसी खायकर के पास हो और उसके अन्तर्गत गांव पंचायत भी है।

(१०) "कुमायूं डिवीजन" से तात्पर्य है नैनीताल, अल्मोड़ा-गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल के जिले।

(११) "भूमि" (land) से तात्पर्य है वह भूमि जो कृषि या उद्यानकारी अथवा पशुपालन से, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा मुर्ग पालन भी है, सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये अधिकृत या अध्यासित (held or occupied) हो किन्तु इसमें वन सम्मिलित नहीं हैं।

(१२) "खान" (mine) का वही अर्थ होगा जो उसे १९५० के उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है।

(१३) "नियत" (prescribed) से तात्पर्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत बने हुये नियमों द्वारा नियत।

(१४) "पिछले कृषि वर्ष" से तात्पर्य है वह कृषि वर्ष जो उस वर्ष के ठीक पहले हो जिसमें निश्चित दिनांक पड़ता है।

(१५) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश की सरकार।

(१६) "ठेकेदार" से तात्पर्य है किसी हिस्सेदार के खायकारी भूमि में अधिकारों का पट्टेदार (lessee)।

(१७) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द तथा पदावली "अबवाब" (cess) और अप्रतिबन्ध दाय वाले आस्थान (fee-simple estate) गांव, संजायतघर, पधान, बाग, बाग भूमि, बागदार, मालगुजारी, पधान, पधानचारी, भूमि लगान, सीरतान, थोकदार व थोकदारी भूमि के वही अर्थ होंगे जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उन्हें दिये गये हैं।

(१८) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द तथा पद "असिस्टेन्ट कलेक्टर" परगने का अवधायक असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector in charge of a sub-division) तथा 'महाल" के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में, जैसा कि वह कुमायूं के लिये लागू हैं, उन्हें दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—तब मैं पहले खण्ड ३ को लिये लेता हूं। श्री केशव पांडेय अपना संशोधन उपस्थित करें।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ का उपखण्ड (५) निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, इसको पेश करने की वजह संक्षेप में यह है कि इसमें लिखा है कि मैदानी इलाके में गांव सभा भूमि का इन्तजाम करती है लेकिन भूमि का इन्तजाम गांव समाज करता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस खंड को निकाल दिया जाय ताकि भूमि की व्यवस्था इस डिवीजन में भी गांव समाज के पास रहे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, आदरणीय सदस्य ने अभी जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। वह इसलिये कि एक तरफ तो माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जो खंड ३७ है उसको आप देखेंगे तो विधेयक में ऐसी व्यवस्था है कि यू० पी० जमीन्दारी अधिनियम की जो धारा ११८ की उपधारा (२) तथा धारा ११९ से लेकर १२८ तक है वे सम्बद्ध क्षेत्र पर पर्वतीय भाग में भी लागू होंगी। अगर ओरिजिनल एक से कम्पेयर करें तो उसमें गांव समाज की स्थापना के सम्बन्ध में भी कुछ मिलता है मगर यहां गांव समाज कैसे बनेगा यह प्राविधान नहीं किया गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—निकालने का अमेण्डमेण्ट आगे है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---हमको तो कहीं दिखलायी नहीं पड़ता है। तो चूंकि गांव समाज की बात कही गई है यानी यह जो सारी बातें हैं, ११८ को श्रीमन् अगर पढ़ें तो ११८(२) को इसमें रखा गया है। इसमें लैण्ड मैनेजमेन्ट कमेटी, सुपरिन्टेंडेंस आदि की सारी बातें रखी गई हैं। एक तरफ तो ये सारी बातें रखी गयी हैं और दूसरी तरफ जो गांव सभा है उसको उड़ाया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि गांव समाज की करीब ऐसी ही परिभाषा पंचायत राज्य एक्ट में है, तो फिर यहां पर गांव सभा की परिभाषा रखने में माननीय सदस्य को क्या एतराज है। माननीय सदस्य ने जो बातें हमारे सामने रखी उनमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं मालूम होता है। मालूम होता है कि सरकार की तरफ से उनको आज्ञा मिली संशोधन रखने की और उन्होंने सीधे सीधे उसको रख दिया और यह नहीं देखा कि इसको डिलीट कर देने से क्या नतीजा होगा। इन दोनों में विरोधाभास है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--श्री गोविन्द सिंह जी, आपने एक ही कागज पर लिख कर दिया है लेकिन उसमें खंड २ पर कोई संशोधन नहीं है, खण्ड ३ पर है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---सन् ५८ के जमीन्दारी विनाश के बाद अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---श्री केशव पांडेय जी ने गांव सभा की परिभाषा निकाल देने का जो प्रस्ताव किया है उसका मैं विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि गांव सभा की परिभाषा कहीं न कहीं विधेयक के अन्दर अवश्य आनी चाहिये। अगर आगे चल कर आप देखें तो खण्ड ३ (१७) में जो शब्द लिखे हुये हैं उनमें "ग्राम सभा" शब्द को जोड़ने का कोई संशोधन नहीं है। उप खंड (१७) में इसके लिये कोई प्रविधान नहीं है। वह इस प्रकार है---(१७) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द तथा पदावली "अबवाब" (cess) और अप्रतिबन्ध दाय वाले आस्थान (fees-imple estate) गांव संजायत, घर, पधान, बाग, बागभूमि, बागदार, मालगुजारी, पधान, पधानचारी, भूमि, लगान, सीरतान, थोकदार और थोकदारी भूमि के वही अर्थ होंगे जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान विधि में उन्हें दिये गये हैं।

तो इसमें गांव की परिभाषा आती है लेकिन गांव सभा की नहीं आती है। अगर माननीय मन्त्री जी ऐसा आश्वासन दें कि गांव सभा को भी उपखंड (१७) में जोड़ देंगे और वे मेरे सुझाव को मान लें तो मैं अपने विरोध को वापस ले लूंगा।

राजस्व उप मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---"गांव सभा" की परिभाषा पंचायत राज एक्ट में दी गयी है। यदि उसे इसमें न दिया जाय तो भी जो गांव सभा होगी उसकी वही परिभाषा मानी जायगी, इसलिये इसको यहां रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांव समाज के अन्दर ही लैण्ड मैनेजमेन्ट कमेटी आदि आ जाती है, इसलिये इस विधेयक में "गांव सभा" की परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय मन्त्री जी बता दें कि सरकार जानते हुए भी इसका क्यों विरोध कर रही है कि "गांव सभा" की परिभाषा यहां न दी जाय।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---सन् ५८ के जमीन्दारी विनाश के एक्ट के बाद चूंकि संशोधन हुये हैं, उसके अनुसार भूमि प्रबन्ध आदि का काम गांव समाज ही करता है। इसलिये अब गांव सभा की परिभाषा की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है कि इस पंचायत राज ऐक्ट की परिभाषा को निकाल दिया जाय, इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि इसी ऐक्ट में आगे जाकर ३७ खंड में दिया है कि किन किन चीजों पर टैक्स लगेगा। जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा ११७ और ११८ में दिया हुआ है कि :—

"Notwithstanding anything contained in Sections 117 and 118, the State Government may, at any time, by notification in the *Gazette*, declare that, as from the date to be specified, *hats*, *bazars*, *melas*, private ferries and water channels, hereinbefore vested in the Gaon Samaj, shall be transferred to and be vested in the district board."

मैं यह जानना चाहूंगा कि जब ऐक्ट में लिखा है कि गांव समाज की यह परिभाषा है और जब यह सेक्शन निकाल दिया जायगा और पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार यह परिभाषा यहां लागू न होगी तो गांव समाज के अन्तर्गत जितने मेले, हाट, बाजार आदि लगेंगे उनका क्या भविष्य होगा। जब इसकी सेलेक्ट कमेटी बैठी थी तो जिम्मेदार लोगों ने इस पर विचार किया होगा और सोचा होगा और वह इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि यह परिभाषा रहनी चाहिए और यह परिभाषा पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार ही हो सकती है। जब हमारी तरफ से कोई संशोधन आता है तो कह दिया जाता है कि हम क्या करें, यह तो सेलेक्ट कमेटी ने बहुत सोच समझ कर रखा है, गवर्नमेंट उसमें कैसे परिवर्तन कर सकती है। लेकिन यहां जब सेलेक्ट कमेटी ने ठीक ही सोचकर रखा है तो सरकार अब उसको क्यों हटाना चाहती है? अब कौन सी ऐसी बात हो गयी कि सरकार ने माननीय केशव पांडेय जी से यह संशोधन रखा दिया? यह मन्त्री जी बतायें।

श्री केशव पांडेय—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है उसमें केवल इतनी सी बात थी कि जिस प्रकार अब ग्राम समाज ही इस प्रकार की तमाम व्यवस्था करते हैं इसी प्रकार से कुमायूं डिवीजन में भी अब यह काम उन्हीं से कराया जाय। इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे कानून में ग्राम समाज की जगह ग्राम सभा रखा जाय या ग्राम सभा की जगह ग्राम समाज रखा जाय, बल्कि आशय इतना ही है कि मौजूदा कानून के अनुसार ग्राम समाज ही रखना उचित है और उसी से काम चल सकता है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को ग्राम सभा और ग्राम समाज में कुछ कन्फ्यूजन सा प्रतीत होता है। ग्राम सभा एक भिन्न चीज है; अब उसका काम कोई लैन्ड मैनेजमेंट का नहीं है या लैन्ड रेवेन्यू के मुताल्लिक कार्य उसका नहीं है। सन् ५८ के लैन्ड रिफार्म्स संशोधन ऐक्ट के अन्तर्गत यह सब काम गांव समाजों को दे दिये गये हैं। पहले भी जब यह चीज बिल में रखी गयी थी तो भ्रान्ति से रख दी गयी थी और इसीलिए अब यह गांव सभा की परिभाषा हटायी जा रही है। गांव समाज की परिभाषा तो रहेगी और सब काम उसके द्वारा होंगे। इस जगह पर उसकी आवश्यकता नहीं है। अब गांव सभा जहां भी होगी और जो उनके फंक्शन होंगे उस कानून के अन्तर्गत, वे होते रहेंगे, इसके अन्तर्गत उसके न होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ का उपखंड (५) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशव पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (६) में आये हुये शब्द "पूर्व (charitable) संस्था" के स्थान पर शब्द "दानीतर (charitable) संस्था" रख दिये जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव पांडेय]

यह छपते हुये रह गया था, इसीलिए देना पड़ा। इस संशोधन से इसकी लाइन और भाव ठीक हो जाते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (६) में आये हुये शब्द "पूर्व (charitable) संस्था" के स्थान पर शब्द "दानीतर (charitable) संस्था" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशव पांडेय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड ७ में मद (२) के अन्त में तथा कामा के पूर्व निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

(holders of fee-simple estates) मद (५) में शब्द "पदचार" के स्थान पर शब्द "पडयार" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह गलत हो गया था, इसलिए इस को भी रखना पड़ेगा। और दूसरा संशोधन है:—

खंड (३) के उपखंड (७) की मद (६) में आये हुये शब्द "टेहरी गढ़वाल" के स्थान पर शब्द "टेहरी गढ़वाल अथवा उत्तर काशी" रख दिये जायं।

श्रीमन्, उत्तरकाशी इसलिए रखना पड़ा कि नया जिला बना है और केवल टेहरी गढ़वाल से ही काम नहीं चल सकता था।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सब स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड ७ में मद (२) के अन्त में तथा कामा के पूर्व निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

(holders of fee-simple estates) मद (५) में शब्द "पदचार" के स्थान पर शब्द "पडयार" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (७) की मद (६) में आये हुये शब्द "टेहरी गढ़वाल" के स्थान पर शब्द "टेहरी गढ़वाल अथवा उत्तरकाशी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (८) के पश्चात् एक नया उपखंड ८-अ जोड़ा जाय—

(८-अ)—सिरतान का अर्थ है—जो व्यक्ति पैमाइशी कागजात में कब्जेदार के खाने में दर्ज हो अथवा जो पिछले २० वर्षों से किसी जमीन में इसी नाते काबिज हो:

प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यक्ति निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व किसी खाने या गाटों का हिस्सेदार किसी विधि या दस्तावेज द्वारा न हो गया हो।

श्री अध्यक्ष—इसकी नकल नहीं हो पायी है। (श्री गोविन्दसिंह विष्ट से) आप इसको भिजवा दीजियेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, अवध रेन्ट ऐक्ट हो या यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट हो या आगरा से सम्बन्धित दूसरा ऐक्ट हो, उसमें सीर की परिभाषा दी गयी है। उस में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि कोई भी व्यक्ति जो जब पहले बन्दोबस्त हुआ था या जो रिकार्ड बना था उससे

कुछ पहले से जिस जमीन की मालिक की हैसियत से कमाता आ रहा हो या उस वक्त इसी नाते वह सीर का मालिक दर्ज हुआ हो और उसी दिनांक से—कई व्यवस्था हैं, एक में ७ साल का है और दूसरे में १० वर्ष का काल है। अगर लगातार वह सीर मानी जाती रही हो तो वह सीर मानी जायगी। तो जब यहां पर ऐसी व्यवस्था है वैसे ही कुमायूं के लिए मैं मन्त्री जी से कहूंगा करें। कल जैसे मैंने आंकड़े दिये थे वहां पर जो लोग हैं उनमें से केवल ३.२४ फी सदी ऐसे लोग हैं जो प्योरली टेनेंट्स हैं बाकी लोग प्योरली टेनेंट्स नहीं हैं। यहां कल बड़ी बहस हुई कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह बरतन मांजने वालों के लिए कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गरीब तबके के लोग जो यहां आते हैं वे जमींदार नहीं हैं, न उनमें से तीन-चौथाई सिरतान हैं वरन् वे सब के सब हिस्सेदार हैं। मन्त्री जी यह न समझें कि जो आदमी यहां काम करता है वह हिस्सेदार नहीं है। मैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए यह व्यवस्था चाहता हूं ताकि उन गरीब मजदूरी करने वालों को मिल जाय। बड़ों के लिए मैं कुछ नहीं कहता उन से सब जमीन ले लीजिये लेकिन गरीब आदमी के पास से जमीन न लें। मैं तो १० एकड़, या ५ एकड़ तक अधिकतम सीमा रखने के लिए तैयार हूं। कुमायूं में इससे ज्यादा जिसके पास जमीन हो उससे ले ली जाय। लेकिन कम भूमि वाले को न छूआ जाय। जबकि यहां पर हम इस सिद्धान्त को मान रहे हैं कि ४० एकड़ तक लोगों के पास जमीन रहेगी तो पहाड़ों पर ५ एकड़ से कम खेती वाले आदमी आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े होंगे। हम तो खुद चाहते हैं कि छोटों को जमीन मिले और बड़ों से ले ली जाय। जो होशियार लोग हैं वह मन्त्री जी के बिल का इन्तजार नहीं करते रहे....

श्री प्रताप सिंह—सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी। इसी बीच माननीय अध्यक्ष ने कहा: "मन्त्री जी यदि चाहें, तो उसकी भी नकल करवा दें। नम्बर ३ का संशोधन दे दीजिये। तत्पश्चात् और कोरम पूरा होने पर, सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, इस बीच में मुझे वह धारा भी मिल गई जो अंग्रेजी में है; आपकी आज्ञा से उसको पढ़ दूं। सीर के बारे में ओरिजिनल ऐक्ट में उद्धृत है, आगरा टेनेंसी ऐक्ट का सेक्शन (४) जिसको जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में माना है कि सीर क्या होगी।

Agra Tenancy Act, 1926—*Sir* means—

(*a*) Land recorded as *sir* of a landlord or of a permanent tenure-holder in the last record-of-rights framed before the first day of January, 1902 and continuously so recorded since, or which but for errors or omissions would have been so continuously recorded ;

यानी, अर्थ यह हुआ कि जो १९०२ के रेकार्ड आफ राइट में उस आदमी के नाम इस तरह से दर्ज रही हो।

(*b*) Land cultivated continuously for twelve years before the first day of January, 1902 by the landlord or by the permanent tenure-holder himself with his own stock, or by his servants or by hired labour ;

जो १९०२ से पूर्व बराबर १२ वर्ष तक नौकरी द्वारा या मजदूर या हायर्ड लेबर से जिस में काश्त करायी है या जिसे मालिक स्वयं खुद काश्त करता हो।

(*c*) land recognized by village custom as the special holding of a co-sharer, and treated as such in the distribution of profits or charged among the co-sharers.

गांव की मान्यताओं या प्रथाओं के अनुसार उसे सीर माना जाता रहा उसके लाभ को वितरित करने के लिए।

(*d*) land which at the commencement of this Act was being cultivated by the landlord or permanent tenure-holder.....

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

यह सब सीर मानी गयी जिसको भूमिधर को दिया गया है। मैदान में यह सब व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था अवध रेंट ऐक्ट में भी है। तो इन दोनों ऐक्टों में इसी सरकार ने सिद्धान्त यह रखा है सीर का कि वही आदमी उसका मालिक बना रहे, जो खुद कमाता था या वह जमीन ऐसी मानी जाती थी जो उसकी कमाई में आती हो या जिसे वह नौकर या मजदूरों द्वारा कमवाता रहा हो।

मगर कुमायूं के लिए इस बिल में ऐसी व्यवस्था नहीं रक्खी गयी है। मैं माननीय मन्त्री जी को याद दिलाऊं कि वहां पर सरकार की तरफ से जो फीगर्स मुहैया किये गये हैं उन के मुताबिक ५ एकड़ से कम जोत वाले या ५ रुपये से कम लगान देने वाले ९९ पर सेंट लोग आते हैं। लिहाजा छोटे आदमी जिन्दा रहें और बड़ों पर वह लागू हो, तो इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। अगर संविधान की भी किसी धारा में यह तरमीम करने की जरूरत पड़े कि ५ एकड़ से ज्यादा की जमीन हो और सरकार उसे पब्लिक युटिलिटी के लिए लेना चाहे तो बिना मुआविजा ले सकती है।

सरकार हिम्मत करके ऐसी व्यवस्था करे तो मैं व कुमायूं के सभी गरीब कृषक इसका स्वागत करेंगे लेकिन मौजूदा व्यवस्था से क्या होगा ? कुमायूं के निर्धन लोग इसलिये घर छोड़कर जाते हैं, बर्तन मलते हैं क्योंकि उनके घर में जमीन की कमी से खाने को पूरा नहीं पड़ता। जो आपके यहां नौकर हैं, चपरासी हैं, क्लर्क हैं उनको यह न सोचिये कि ये सीरतान हैं या खायकर हैं, ये सब हिस्सेदार होते हैं। दो चार साल ये लोग बाहर नौकरी पर चले जाते हैं तो यह दिक्कत होगी कि उस बीच उनका कब्जा भूमि पर नहीं होगा, क्योंकि उसे वे अपने भाई बिरादर या अन्य व्यक्ति को सौंप देते हैं। नए बिल के मुताबिक यह कृषक भी बड़ा जमींदार समझा जायगा। बड़े के लिये या छोटे के लिये इस बिल में कोई भेद नहीं रखा गया है। मैं यह कहता हूं कि यह भेद रखिये ताकि बड़े आदमी की भूमि तो ले ली जाय लेकिन छोटे आदमी के खेत न छीने जायं। लेकिन अगर छोटे आदमी की जमीन छिन जाती है और बाहर उसकी नौकरी गयी तो वह गरीब मर जायगा। मंत्री जी यह आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि नौकरी भी करे और उसके खेत भी सुरक्षित रहें यह सिद्धांत के खिलाफ है, इसके लिये यह रखिये कि ५ एकड़ से कम वाले को जिसका वेतन भी कम हो उसी को यह लाभ मिल सकेगा।

सारे विधेयक में सिरतान शब्द कई जगह आया है और कहीं उसे आसामी और कहीं भूमिधर बनाया गया है, लेकिन देखना है ये सिरतान हैं कौन ? माननीय मंत्री जी यह जवाब में कह सकते हैं कि जो वहां के मान्यता प्राप्त हक हैं जो वहां के ला में रिकगनाइज्ड हैं उन्हें हम भी मानेंगे वह ला सारा का सारा डिलीट तो हो ही रहा है और स्पष्ट भी नहीं है, माननीय चरण सिंह ने भी कहा था और इसके उद्देश्य व कारण में भी दिया हुआ है कि कुमायूं में कोई codified law नहीं है और निश्चित रूप से नहीं बतला सकते कि कौन किस श्रेणी में आता है, इसलिये जरूरत पड़ी कि सारे ला को इनेक्ट करें। लिहाजा जिस सिरतान को सहूलित देने के लिये यह कानून आया है उसे डिफाइन किया जाय। इसलिये मैं यह व्यवस्था चाहता हूं। मेरे पास एक या दो एकड़ जमीन है और मुझे खाने को पूरा पड़ता है लेकिन मेरा पड़ोसी जो है उसका पेट नहीं भरता, इसलिये उसको मजदूरी करने बाहर जाना पड़ता है, अकेले उसकी औरत वहां हल चला नहीं सकती। वह मुझे सौंप गया भाई चारे के नाते और मैंने १०, ५ वर्ष तक उस जमीन को कमाया। इस कानून के मुताबिक अगर कल को वह नौकरी से अलग हो जाता है तो वह जमीन मेरी हो जायगी उसे वापस न मिल सकेगी। मेरी अपनी तो मेरे पास रहेगी ही और उसकी भी मेरी हो जायगी।

दूसरी दिक्कत यह है कि जो लोग वहां पर प्रोप्राइटर्स दर्ज किये गये उनमें ९५ पर सेंट या उससे अधिक वे लोग हैं जोकि बन्दोबस्त के वक्त खुदकाश्त करते थे। मैदान में तो आपने यह व्यवस्था कर रक्खी है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे के द्वारा जमीन को कमवाये या ऐसा लगे कि वह कमवाता है, deem शब्द तक रक्खा गया है, यानी चाहे ऐक्चुअली

उसके पजेशन में न हो लेकिन कांस्ट्रक्टिव पजेशन में भी हो, तो भी वह सीर के नाते उसी की रहेगी। तो इस बिल में सिरतान शब्द की परिभाषा होना निहायत जरूरी है। बिना इसके यह ambiguous हो जायगा और बहुत से झगड़े इसमें उठ खड़े होंगे। माननीय मंत्री जी चाहे जल्दी की वजह से इसे इस वक्त पास कर दें लेकिन बिना सिरतान की परिभाषा के कल को जब जजेज और वकील लोग इसका इंटरप्रेटेशन लगायेंगे तोबड़ी दिक्कतें पैदा होंगी। हम यह नहीं चाहते कि बड़े लोगों को कोई फायदा हो लेकिन जो छोटे लोग हैं, १० एकड़, ५ एकड़ या जो भी मंत्री जी मुनासिब समझें, उतनी जमीन जिनके पास हो, वह उनसे न छीनी जाय।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे या इससे मिलती जुलती जो भी परिभाषा वह चाहें उसे मान लें क्योंकि इसके बिना यह महत्वपूर्ण व्यक्ति अनडिफाइन्ड रह जाता है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अमेंडमेंट का विरोध करता हूं और इसलिये करता हूं क्योंकि पहाड़ की जमीन की व्यवस्था से माननीय सदस्यों का काफी परिचय नहीं है। आम तौर से हिस्सेदार २ पाई से लेकर २ रुपये तक के अधिकतर हैं और उनके कब्जे में जो जमीनें हैं वे आधे एकड़ से ले कर डेढ़, दो और तीन एकड़, यानी सात नाली तक अधिकतर होती हैं। चार और पांच एकड़ तो बहुत कम लोगों के पास है। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इस संशोधन को मान लिया जाता है तो नतीजा यह होगा कि जिनके पास तीन एकड़ से पांच एकड़ तक जमीन है उनको यह अधिकार हो जायगा कि उन सिरतानों को आउस्ट कर दें जिनके कब्जे में वह जमीनें हैं। खासकर सेटिलमेंट के जमाने में हिस्सेदारों ने उन सिरतानों का कब्जा कागज में दर्ज नहीं होने दिया, वह हिस्सेदार के ही नाम दर्ज है। इसलिये माननीय गोविन्द सिंह जी जो छोटे क्लास के लोगों को राहत पहुंचाने की बात करते हैं, इससे उन गरीबों को कतई राहत पहुंचने की उम्मीद नहीं है बल्कि इसके प्रतिकूल उन लोगों को राहत मिलेगी....

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं कि ५ एकड़ का उन्होंने भी जिक्र किया लेकिन संशोधन में कहीं नहीं है। इसलिये यह बात समझ में नहीं आ रही है। इसमें ५ एकड़ वाला कुछ नहीं है। वह तो बहस में था, संशोधन में नहीं है। मैं सुनाये देता हूं। आप कृपा कर बैठें।

खंड ३ के उपखंड (८) के पश्चात् एक नया उपखंड ८ (अ) जोड़ा जाय:--

"८(अ)-सिरतान का अर्थ है जो व्यक्ति पैमाइशी कागजात में कब्जेदार के खाते में दर्ज हो अथवा जो पिछले २० वर्षों से किसी जमीन में इस नाते काबिज हो:

प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यक्ति निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व किसी खाते या गाटों का हिस्सेदार किसी विधि या दस्तावेज द्वारा न हो गया हो।"

इसमें कहीं ५ एकड़ का जिक्र नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत---श्रीमन्, उन्होंने कहा था।

श्री अध्यक्ष---वह तो उक्त बात इर्रेलेवेंट कहते गये। वह उनकी बहस के अंग में था। वह सिरतान की डेफीनीशन में था। इसलिये यह प्रश्न आपके सामने नहीं है कि ५ एकड़ है या २ एकड़ है।

श्री चन्द्रसिंह रावत---श्रीमन्, इसलिये मैं समझता हूं कि सिरतान की डेफीनीशन स कस्टमरी डेफीनीशन लगती है जो सैटिलमेंट की रिपोर्ट में दर्ज है। अगर इस तरह की डफीनीशन कर दी जाय तो इसके माने यह होते हैं कि कहीं कागजात में दर्ज हो, जैसा मैंने कल कहा था कि बहुत से लोग तीन-तीन पुश्तों से काबिज हैं। इसका सबूत यह है कि उनका मकान

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

गौशाला, खेत, पेड़ वगैरह सब एक ही जगह पर हैं और गांव में अगर कोई पूछे तो हर कोई उनका कब्जा बतायेगा लेकिन कागजात के देखने से कहीं भी उसका कब्जा दर्ज नहीं मिलेगा। जिन्होंने जमीन को आबाद किया है और कागजत में उनका कब्जा दर्ज नहीं है तो वे लोग उस जमीन से महरूम हो जायेंगे क्योंकि वह जमीन खुदकाश्त के हिस्सेदार के पास चली जायगी जिनके नाम पर वह दर्ज है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह की परिभाषा रखना ठीक नहीं है जो उनको जमीन से महरूम कर देती है। जो जमीन उन्होंने कीमत देकर ली है या पहाड़ काटकर आबाद की है, वह उनसे छिन जाय तो यह खतरनाक बात होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिये।

श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, गोविन्दसिंह जी बिष्ट ने जो संशोधन उपस्थित किया है और चाहा है कि इस विधेयक में सिरतान की परिभाषा होना आवश्यक है, मैं उनसे इत्तफाक करता हूं क्योंकि इस विधेयक का मकसद जिनको राहत पहुंचाने का है.....

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जब इस विधेयक में अलग अलग खंड दिये गये हैं तो सिरतान का कहीं जिक्र होना चाहिये। इसका जहां जिक्र है वह खंड १७ है। इसलिये यहां पर इसका जिक्र नहीं होना चाहिये। इसका ध्यान रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---लेकिन खायकर की डेफीनीशन दी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उपखंड १७ को श्रीमन् देखें जिसमें सिरतान की परिभाषा आई है। इसलिये वहां पर इसको लिया जाय। मैं समझता हूं कि जल्दी में ऐसा हुआ। इसमें पेश करने वाले को भी विरोध नहीं होगा क्योंकि वह स्थान उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष---आप किस जगह पर चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी---हमारे संशोधनों की सूची में नम्बर १७ और १८ पर पहले से सीरतान के संबंध में संशोधन आये हुये हैं, क्योंकि उपखंड १७ में सीरतान की परिभाषा का जिक्र है।

श्री अध्यक्ष---इसमें तो अबवाब का जिक्र है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---चौथी लाइन में सीरतान भी है। चूंकि जल्दी में संशोधन बांटा गया इसलिये ठीक स्थान पर नहीं लिया जा सका।

श्री अध्यक्ष---चूंकि उन्होंने जल्दी में दे दिया इसलिये ऐसा हुआ। तो खंड १७ के साथ ही इसको लिया जायगा। मैं इसको यहां स्थगित करता हूं। आगे काम चलेगा।

(इस समय १ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

श्री घनश्याम डिमरी (जिला गढ़वाल)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (८) की पंक्ति १ में शब्द "खायकर" और शब्द "का" के बीच में शब्द "वह है जो चलते बन्दोबस्त के पेपर के बन्दोबस्त में कागजात में खायकर दर्ज है या जिसके हक में अदालत मजाज में डिगरी हासिल हो" जोड़ दिये जायं और पहली पंक्ति के शेष शब्द दूसरी पंक्ति तथा तीसरी पंक्ति के शब्द "दिया गया है" निकाल दिये जायं।

इस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि खायकर की जो परिभाषा इस बिल में है वह अगर पढ़ ली जाय तो उससे यह मालूम होता है कि "खायकर" का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है और जिसके अन्तर्गत

टेहरी गढ़वाल के मौरूसीदार अथवा हलबन्दी, माफीदार, उसकी भूमि के उस भाग के संबंध में जो किसी खायकर के पास न हो, भी है। बिल में खायकर का अर्थ यह दिया गया है कि एग्जिस्टिंग ला में जो खायकर की डेफिनीशन है, वही खायकर मान लिया जायगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे कुमायूं डिवीजन में जिसमें उत्तराखंड डिवीजन भी शामिल है, कोई कोडीफाइड ला नहीं है, जैसा कि इस वक्त स्टावेल मैनुअल में खायकर की कुछ परिभाषा दी है। उसमें जो खायकर की कैरेक्टरिस्टिक्स वह होती है वह वर्णन की गयी है। उसके हिसाब से दो किस्म के खायकर हैं, कच्चे खायकर और पक्के खायकर।

टेहरी में नरेंद्र ला है। अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल में स्टावेल मैनुअल लागू है। कोडीफाइड कोई भी नहीं है। खाली प्रचलित प्रथा पर आधारित हैं। इससे बड़ा डिफेक्ट रह जायगा। इसको दूर करने के लिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि बन्दोबस्ती कागजात में जो लोग खायकर दर्ज हैं वे खायकर मान लिये जायं या जिन लोगों के पास अदालतों की डिग्रियां हैं वह भी खायकर मान लिये जायं। वैसे बन्दोबस्त इस वक्त भी चल रहा है लेकिन वह अभी कनफर्म नहीं हुआ है। इसलिये इससे पहले जो बन्दोबस्त हुआ है, उसमें जो खायकर दर्ज है उनको खायकर मान लिया जाय या जिनके पास अदालत की डिग्रियां हैं वह खायकर मान लिये जायं। इससे ऐम्बीग्विटी दूर होगी जो कि इस बिल की डेफिनीशन से पैदा होती है। सेटिलमेंट के हमारे पास परमानेंट रेकार्ड्स हैं। वे कनफर्म हो चुके हैं। तीस पैंतीस वर्ष के बाद बन्दोबस्त होता है। वह पूरे तौर से अदालतों और दूसरे लोगों को मान्य है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बन्दोबस्त के कागजात के आधार पर उन्हीं लोगों को खायकर मानें जिनका नाम उन कागजात में दर्ज हो और जिनके पास अदालत की डिग्री हो। इसलिये मैं मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करें और खायकर की परिभाषा इस प्रकार संशोधित कर दें जैसा कि मैंने निवेदन किया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट——श्रीमन्, मैं यह सोचता हूं कि जो संशोधन अभी रखा गया यह बहुत जरूरी है। मंत्री जी ऐसा न समझें कि हम लोग खाली सुझाव देते हैं बल्कि हम लोगों को जो थोड़ा बहुत तजुरबा वहां की अदालतों में काम करने से हुआ वहां रहने के कारण या किसान का बेटा होने के कारण है, उस अनुभव के आधार पर हम इसको कहते हैं कि डिमरी जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह सही है और मैं उसका समर्थन करता हूं। इस वक्त जो कुमायूं में खायकर हैं उनका स्पष्ट कानून या परिभाषा नहीं है। उनकी परिभाषा की जानी चाहिये। स्टावेल ने यह लिखा है कि :

"To define the *khaikar* briefly it may be said that he is a permanent tenant with a heritable but non-transferable right in his holding, and paying a rent fixed at settlement, which cannot be altered during the currency of a settlement."

इसका अर्थ यह है कि खायकर की परिभाषा संक्षेप में इस तरह से की जाती है कि वह परमानेंट टेनेंट हो, जिनके बाप के मरने के बाद वारिसों को हक मिले, दूसरे को वह बेंच नहीं सके और फिर सेटिलमेंट तक उसका लगान नहीं बदला जा सकता हो। रेंट के बारे में उन्होंने यह लिखा है कि :

"The rent of a *khaikar* bears no relation to the rents of other tenants, who in the hills are too few to afford any standard for rent rates or revenue assessment. Revenue assessments in the hills are based on a rough classification and valuation of the cultivated area of a village and an estimate of its general prosperity, and have nothing to do with rents received by the proprietors."

उन्होंने यह कहा है कि खायकर का जो लगान है बाकी लोगों के लगान से उसकी तुलना नहीं हो सकती क्योंकि सिरतान तादाद में इतने कम हैं कि उनसे कोई तुलना करना ठीक नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सवाल यह है कि खायकर वह माने जायं जो पहले कागजात में दर्ज थे या मौजूदा कानून की रू से उनको माना जाय। सवाल सिर्फ इतना है। जैसा कि डिमरी जी का प्रस्ताव है कि अगर उनका नाम रिकार्ड में दर्ज हो तो उनको माना जाय। उनके लगान की बात यहां पर उठती नहीं है। इसके अलावा जो बात वह कह रहे हैं वह इससे संबंधित नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—चीज यह है कि मैं उसी चीज को पढ़ रहा हूं जो कि खायकर का क्राइटेरियन है। इस तरह से उसका लगान हो, यह खायकर इस तरह से डिफाइंड है। इस तरह से जो होगा उसको हम खायकर कहते हैं। यह कानून की चीज है और यह कानून वहां पर लागू होता है। इसी के आधार पर वहां पर फैसले होते हैं और वे फैसले लागू होते हैं। खायकर कई किस्म के होते हैं, पर उनकी डेफिनिशन नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि उनकी डेफिनिशन को कोडीफाई किया जाय। देश में और जगह तो खायकर होता नहीं है। इसलिये यहां पर उसको डिफान होना चाहिये। माननीय डिमरी जी ने मंत्री जी की सेवा में यह अर्ज कर दिया कि खायकर वह होना चाहिये जिसका नाम कागजात में दर्ज हो। मैं निवेदन करदूं कि एक भी खायकर ऐसा नहीं है जिसका कि नाम वहां दर्ज न हो और अगर ऐसा कोई हो तो माननीय सदस्य उधर के बतावें, हम लोग अपना यह प्रस्ताव वापस ले लेंगे। हां, किसी ने खुद की दाखिल खारिज चलाया हो तो वह दूसरी बात है हमेशा बिना किसी एक्सेप्शन के खायकर फांट में दर्ज होता है और अगर सरकार को इतना ही नहीं मालूम है तो फिर इस कानून की क्या गति हुई होगी, उसे भगवान ही जाने! अब इसमें खायकर का जो क्राइटेरियन है वह मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता—मैं कह रहा हूं कि डिमरी जी के प्रस्ताव के समर्थन में आप बोल रहे हैं, आप उसी पर बोलें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं उसी के समर्थन में बोल रहा हूं। खायकर की परिभाषा का सवाल इसमें आया है और वह क्या होता है, किस तरीके का होता है, हम किसको खायकर कहते हैं, वह सब देख कर ही डेफीनीशन बनायी जानी चाहिये, यह मेरी request है। वहां खायकर की कोई खास परिभाषा नहीं है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। अबतक वहां के कानून में तो केवल यही बताया गया है कि उसका रूप, रंग, गुण क्या होता है। जैसे नीबू क्या होता है, कच्चा होता है तो हरा होता है, पक्का होता है तो पीला होता है, लम्ब गोलाकार होता है, आदि सब बातें तो इसमें हों लेकिन यह नहीं है कि नींबू किसे कहते हैं? वही हाल इस बिल में है। उसका रूप, गुण, आकार, प्रकार, सब देख कर ही हम डेफनीशन बनायेंगे या यह हम कि कह दें कि नीबू लकड़ी का बना होता है तो उससे सारी परिभाषा चौपट कर देगी.....

श्री अधिष्ठाता—नीबू को छोड़िये और आगे चलिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—आप देखें कि खायकर का ओरिजिन क्या है। उनमें से कुछ पहले जमीन के प्रोपराइटर थे, बाद में राजा ने अपने या किसी और को प्रोप्राइटर मान लिया तो उनका स्टेटस कुछ छोटा हो गया, लेकिन सारे हकूक उसको प्रोप्राइटर के हासिल रहे। केवल बाहर हस्तांतरण को छोड़कर प्रोप्राइटर और खायकर के बीच में अन्तर केवल इतना है कि वह अपनी जमीन बेंच सकता है और खायकर अपनी जमीन बेच नहीं सकता। कच्चा खायकर तो कतई बेंच नहीं सकता, अगर कर दे तो सब किया धरा नल ऐंड वायड हो जायगा और वह हिस्सेदार को रिवर्ट हो जायगी, लेकिन पक्का खायकर अगर बेचना चाहता है तो वह पंचखायकर (Body) को बेंच सकता है जिसे यहां (खायकरों का) गांव समाज कह सकते हैं। पंच खायकर को रिवर्ट होना यहां के लोगों को पहाड़ का ज्ञान न होने से पसन्द नहीं आयेगा, लेकिन गांव समाज में रिवर्ट होना उन्हें पसंद आयेगा। तो जो भूमिधरी के अधिकार माननीय मंत्री जी उनको देने जा रहे हैं, खायकरी अधिकार उससे कहीं अच्छा है। खायकर पर अगर सरकार की या किसी की डिग्री हो जाय तो उसकी जमीन कुर्क या नीलाम नहीं हो सकती और सरकार

भी वह अपना लगान हिस्सेदार से वसूल करेगी। जहां तक सबलेटिंग का सवाल है, अगर माननीय मंत्री जी उसका राइट खायकर को दें तो वह खुश हो जायगा और उसको भी राहत मिलेगी। यहां भूमिधर बनाये गये हैं, इसलिये वहां कुमायूं में भी यह व्यवस्था की जाय, यह भले ही कागज में एक सा बात हो, लेकिन उससे कृषक लोगों को संतोष नहीं होगा। इसलिये खायकर की जो डेफनीशन है, जो उसका आकार प्रकार है वह इस बिल में होना चाहिये। खायकर भी दो प्रकार के होते हैं। एक कच्चे और दूसरे पक्के। दोनों की अलग अलग परिभाषायें हैं। यह भी मौजूदा दी गई डेफीनीशन में नहीं आतीं। डिमरी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें दोनों तरह के खायकर आ जाते हैं और इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनकी इस परिभाषा में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और इसे वह मान लें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, डिमरी साहब ने जो संशोधन पेश किया है मैंने उसको सुन लिया है। मैं उसकी भावना का समर्थन और आदर करता हूं लेकिन वह मेरी इस राय से इत्तफाक करेंगे कि बहुत से खायकर ऐसे हैं जिनके पास प्राइवेट डीड्स हैं जो सेल डीड्स घरों में हुये हैं और जो रिकगनाइज नहीं हैं। वे डीड्स रजिस्ट्रार के आफिस में एक्जीक्यूट नहीं हुए हैं। इस तरह के प्राइवेट डीड्स खायकरी के भी हैं तथा और भी हैं। जो वकील हैं वे जानते होंगे कि हजारों केसेज अदालतों में देखने को आये होंगे कि जो प्राइवेट डीड्स हैं और जिनको कानून में अदालत के अन्दर रिकगनाइज नहीं किया जा सकता और इस कारण वे उनकी बेसिस पर अदालत में कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता। इसलिये जो संशोधन पेश हुआ है उसके मानी हैं खायकर की डेफिनीशन करना और वह अधूरा है। खायकर की डेफिनीशन जो उन्होंने की है वह काम्प्रीहेंसिव नहीं है, इन्काम्प्रीहेंसिव है, इन्कम्पलीट है। हां अगर कोई काप्रीहेंसिव डेफिनीशन वे रखते तो अवश्य हम उसको मानते, लेकिन जो मौजूदा एमेंडमेंट्स हैं, उनका मैं विरोध करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, इस संबंध में मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। अगर यह तरमीम स्वीकार की जाती है तो बहुत से लोगों को जो खायकारी राइट्स हासिल हैं वह उससे वंचित हो जायेंगे। और मुझे कुछ नहीं कहना है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री घनश्याम डिमरी—श्रीमन्, जो दिक्कत मेरे संशोधन में माननीय रावत जी ने बतायी है वह यह है कि कुछ लोगों के पास कुछ कागजात ऐसे हैं जिनके कारण वे अपने को खायकर क्लेम करते हैं। अगर उन लोगों के पास ऐसे कागजात हैं जिनसे वे कोर्ट्स में सक्सीड कर सकते हैं तो वे खायकर डिक्लेयर हो जायं। इसमें क्या आपत्ति है? मैंने जो संशोधन रखा है उसमें खायकर की परिभाषा बिलकुल स्पष्ट कर दी है कि जो कागजातों में खायकर दर्ज हैं या जिसके हक में अदालत मजाज में डिगरी हासिल हो गयी हो वे खायकर कहलायेंगे। जिनके पास नाजायज दस्तावेज होंगे वे खायकर डिक्लेयर नहीं होंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुछ दिक्कतें हैं, इसलिये उनको भी शामिल कर लिया जाय, जो खायकर टेन्योर के खाते हैं उनको भी रजिस्टर होना चाहिये। वह कुछ प्रिमियम हिस्सेदार को देता है और कुछ अपने हिस्से में कर लेता है। जिनके पास ऐसी जायज लिखितें हों वह म्युटेशन चला सकते हैं, यह कोई कठिन काम नहीं है। जो छूटे हुये हैं खायकर वह म्युटेशन चला सकते हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि पुनः विचार करें, क्योंकि बिल में जो परिभाषा है वह ऐम्बिगुअस है, उससे पूरी तरह से समस्या हल नहीं हो पाती है। जो मैंने दी है उससे दूर हो जाती है। बुनियादी रेकार्ड है, वह फायनल है, उसमें कुछ कहना सुनना नहीं है। अगर किसी को आपत्ति है तो बाजाब्ता कोर्ट में जाकर रद्द करा सकता है। इसलिये वह इस पर पुनः विचार करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे एक बात और अर्ज करनी है। अभी यह जो धारा ३ की उपधारा (७) है जिसमें कोई अमेंडमेंट इस सदन में नहीं है। उसमें भी यह लिखा है कि हिस्सेदार की जहां तक डेफिनीशन है वह वही लिखी गयी है जो मौजूदा कानून है, यानी उसी

[श्री घनश्याम डिमरी]

के मुताबिक डेफिनीशन रहनी चाहिये। तो हिस्सेदार की डेफिनीशन तो वह रहे जो मौजूदा कानून में है और खायकर के बारे में कह दें कि नहीं, जो बन्दोबस्त में रेकार्ड है वही होंगे, मौजूदा कानून में नहीं होंगे तो यह डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी। इसलिये भी जो मैंने पहले कहा कि बहुत से लोगों के हकूक बाद को हासिल हुये हैं उस बन्दोबस्त के, तो अब जो मौजूदा बन्दोबस्त में रेकार्ड हुए हैं और पहले में दर्ज नहीं हैं तो वे वंचित रह जायंगे। बहुत से लोग जमीन हासिल करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं तब जमीन हासिल करते हैं, अगर यह तरमीम मान ली जाती है तो वे वंचित रह जायेंगे।

कुछ संशोधन भी बताया उन्होंने, लेकिन अगर इस तरह से अमेंडमेंट मंजूर किया जाता है तो वह बिलकुल गलत होगा। इसलिये मैं इसको किसी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अधिष्ठाता—अब मैं माननीय घनश्याम डिमरी के संशोधन को आपके सामने पेश करता हूं—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (८) की पंक्ति १ में शब्द "खायकर" और शब्द "का" के बीच में शब्द "वह है जो चलते बन्दोबस्त के पेपर के बन्दोबस्त में कागजातों में खायकर दर्ज है या जिसके हक में अदालत मजाज में डिगरी हासिल हो" जोड़ दिये जायं और पहली पंक्ति के शेष शब्द दूसरी पंक्ति तथा तीसरी पंक्ति के शब्द "दिया गया है" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री प्रतापसिंह**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

खंड ३ के उपखंड (८) की पंक्ति ३ में शब्द "अन्तर्गत" तथा शब्द "टेहरी गढ़वाल" के बीच में शब्द "पक्का खायकर, कच्चा खायकर" रख दिये जायं।

इससे पहले कि इस संशोधन पर मैं कुछ बोलूं, उपखंड (८) की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि "खायकर का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है और उसके अन्तर्गत टेहरी गढ़वाल के मौरूसीदार भी हैं।"

मान्यवर, इस संशोधन को प्रस्तुत करने का मेरा अभिप्राय यह है कि इस विधेयक में कई जगह "खायकर" शब्द आया है और कुमायूं में दो प्रकार के खायकर हैं, लिहाजा यह जो संशोधन पेश किया गया है उसमें हम देखते हैं कि पक्का और कच्चा खायकर दोनों रख दिये हैं ताकि जो कानून बने वह स्पष्ट बने। क्योंकि इस बिल का मंतव्य यह है कि जो खायकर और सिरतान हैं, जो जमीन पर काबिज हैं उनको जमीन मिल सके। अगर दोनों शब्द नहीं जोड़े जाते हैं तो यह खंड ३ के उपखंड (८) में जो परिभाषा दी हुई है वह अधूरी रह जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह बड़ा मासूम संशोधन है। पक्का और कच्चा खायकर के सम्बन्ध में जो डेफिनीशन लैंड टेन्योर आफ कुमायूं डिवीजन की मैनुवल में है, उसको पढ़कर मैं इस सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता। मैं केवल यह चाहता हूं कि खायकर की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहये। कई जगह अधिनियमों में कच्चा और पक्का खायकर की परिभाषा प्रचलित है, इसलिये यहां भी स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिये। संशोधन प्रस्तुत करने का मेरा अभिप्राय केवल यही है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि प्रस्तुत संशोधन जहां अत्यन्त निर्दोष है वहां अत्यन्त आवश्यक भी है। जो खंड ३ का उपखंड ८ है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको अगर आप देखें तो वह दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। एक हिस्सा वह है जो खायकर शब्द को डिफाइन करता है कि खायकर का अर्थ क्या होगा। दूसरा हिस्सा वह है जिसमें यह बतलाया गया है कि कौन कौन वर्ग के लोग खायकर क्लास में आते हैं। जो पहली परिभाषा है उसमें "वर्तमान विधि" शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्तमान विधि जो है उसमें कहीं कहीं कुछ परस्पर विरोधी बातें भी लिखी गई हैं। खैर, इस समय उसमें जाने का अवसर नहीं है लेकिन जो खायकर की परिभाषा है वह स्टावेल्स मैनुवल के पेज ६६ पर इस प्रकार से लिखी हुई है :—

"To define *khaikar* briefly it may be said that he is a permanent tenant with a heritable but non-transferable right in his holding, and paying a rent fixed at settlement which cannot be altered during the currency of a settlement."

अच्छा होता, इस प्रकार की कोई परिभाषा इस बिल में दे दी गई होती।

श्रीमन्, मुझे दुःख है कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की बैठकों में मैं न शामिल हो सका क्योंकि उस समय मैं जेल में था नहीं तो उस समय मैं यह प्रश्न लाता। और शायद मंत्री जी को स्वयं इस खायकर शब्द को डिफाइन करने के लिये संशोधन बाद में लाना पड़े। इस डेफिनीशन में जो कुछ लिखा है उसमें कच्चा और पक्का खायकर, इन शब्दों को जोड़ना बहुत ही जरूरी है। माननीय प्रताप सिंह जी का संशोधन स्वीकार करने के बाद यह उपखंड इस प्रकार से हो जायगा :

"खायकर" का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है और उसके अन्तर्गत पक्का खायकर, कच्चा खायकर, टेहरी गढ़वाल के मौरूसीदार अथवा हलबन्दी, माफीदार, उसकी भूमि के उस भाग के सम्बन्ध में जो किसी खायकर के पास न हो, भी हैं।

तो इसमें पक्का और कच्चा खायकर का इन्क्लूजन किया गया है। तो इस संशोधन से कोई नुकसान नहीं है और यह बड़ा इन्नोसेन्ट है। माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—मैं माननीय प्रतापसिंह जी के संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। कल भी मैंने यह कहा था कि इस कुमायूं जमींदारी विनाश बिल में खायकरों को भूमिधरी के अधिकार दिये जा रहे हैं लेकिन कुमायूं के वह जमींदार जो कि हिस्सेदार के नाम से वहां प्रसिद्ध हैं, उन्होंने काश्तकारों से जमीन हड़पने के लिये अपने यहां कुछ श्रेणियां खायकरों की बना दीं क्योंकि जैसा कल बताया गया, पक्के खायकर वह होते हैं जिनका पुश्त दर पुश्त जमीन पर अधिकार होता है और यदि उनके कोई सन्तान न हो तो चाहे जिसको भी वह जमीन दे सकते हैं। लेकिन कच्चे खायकरों में अगर कोई लावारिस होता था तो पुनः उसकी जमीन हिस्सेदार को वापस चली जाती थी। जब कुमायूं में जमींदारी प्रथा समाप्त हो रही है, कोई भी हिस्सेदार नहीं रहेगा। इसके अलावा इस बिल में इस बात की भी व्यवस्था है कि जिस दिन जमींदारी प्रथा समाप्त होने की घोषणा होगी खायकरों को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे और वे जमीन के पूरे तौर पर मालिक बन जायेंगे। जो आदमी मालिक हो जाता है और उसके कोई सन्तान अगर नहीं होती तो उसे यह अधिकार होता है कि वह अपनी जमीन को चाहे तो दान में दे दे। लिहाजा जब कि हिस्सेदार नाम का कोई जन्तु कुमायूं में रह नहीं जायगा फिर उसकी जमीन को लेने वाला कौन होगा? मैं आपके द्वारा प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि कच्चे और पक्के खायकरों के लिये कोई भेद खड़ा नहीं करना चाहिये।"

मैंने इसीलिये कल भी इस क्रान्तिकारी विधेयक का स्वागत किया था और कहा था कि खायकर कहलाने वाले समस्त किसानों को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त होने की घोषणा की जाय। अगर इसमें कच्चे, पक्के खायकर शब्दों को रख दिया जायगा तो पुनः

[श्री जगन्नाथ लहरी]

कानूनी दिक्कतें पैदा हो जायंगी, इसलिये खायकर में कोई भेद न रखा जाय। इसलिये इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय प्रताप सिंह के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह संशोधन बहुत छोटा सा है, इन्नोसेंट है, लेकिन रिडेन्डेन्ट है। जिस मैनुअल का माननीय सदस्य ने हवाला दिया उसी में सब दिया हुआ है कि खायकर कितने किस्म के होते हैं और कौन सा रेवेन्यू सिस्टम वहां लागू है, यह उस मैन्नुअल से साफ जाहिर है; उसमें कच्चे और पक्के सब आ जाते हैं। जिनको अन्डर प्रोप्राइटरी राइट्स हासिल थे उनको तो हिस्सेदार आउस्ट नहीं कर सकते थे और कच्चे वे गरीब लोग थे जिनको जमींदार या हिस्सेदार डंडे के बल पर निकाल देता था। वहां जमींदार का लट्ठ बहुत ज्यादा मजबूत साबित हुआ। जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है, इसके लिये लफ्ज खायकर बहुत काम्प्रीहेंसिव है, उसके अन्तर्गत कच्चा और पक्का खायकर आ जाता है, इसलिये उस संशोधन को तसलीम करने की जरूरत नहीं है, यह रिडेंडेंट है।

***श्री प्रतापसिंह**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपने संशोधन के बारे में मुझे दो बातें जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो माननीय लहरी जी ने कहा कि इस बिल के आने के बाद कोई खायकर नहीं रहेगा। उनको यह बात न जाने कहां से मालूम हो गयी। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह जो बहस हो रही है परिभाषा में संशोधन होने के लिये है कि खायकर की परिभाषा क्या होनी चाहिये। वे बहुत ही बोला करते हैं लेकिन जरा पढ़ कर बोला करें ताकि गलतफहमी न हो। अगर उन्होंने इस मैनुअल को भी पढ़ लिया होता तो वे ऐसी बातें न कहते।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि संशोधन तो अच्छा है लेकिन रिडेंडेन्ट है। इस शब्द को तो सभी जानते हैं लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार से रिडेंडेन्ट है। यह संशोधन यहां इसलिये आवश्यक है कि खायकर से साफ समझ में नहीं आता कि उसका मतलब कच्चे खायकर से है या पक्के खायकर से। मैनुअल में भले ही हो लेकिन यहां तो इस ऐक्ट का सम्बन्ध है, उसमें यह नहीं रखा जा रहा है। लिहाजा यह संशोधन लाना इसलिये भी आवश्यक है कि अगर यह परिभाषा अधूरी रह जाय तो फिर कल आपको दोबारा कहना पड़ेगा कि हमारे इस संशोधन को मान लीजिये। इसलिये दोबारा समय बर्बाद न करके माननीय मंत्री जी विवेक से काम लें और मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैं श्री प्रताप सिंह जी को बतलाऊं कि मैंने खायकर के लिये नहीं कहा था, मैंने यह कहा था कि बिल पास हो जाने के बाद कोई हिस्सेदार नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाय ताकि गलतफहमी दूर हो जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे कुछ और नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (८) की पंक्ति ३ में शब्द "अन्तर्गत" तथा शब्द "टेहरी-गढ़वाल" के बीच में शब्द "पक्का खायकर कच्चा खायकर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केशव पांडेय---अधिष्ठाता महोदय, मैं संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (८) में आये हुए शब्द "टेहरी-गढ़वाल" के स्थान पर शब्द "टेहरी-गढ़वाल अथवा उत्तर काशी" रख दिये जायं।

इसका कारण मैं आपको बतला दूं कि उत्तरकाशी एक नया जिला अभी बन गया है, इसलिये इसको रखने की आवश्यकता पड़ी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। इसका विरोध इसलिये करना है कि सरकार आगे के लिये सोचती है कि जो चीज टेहरी-गढ़वाल के लिये हो वह उत्तर काशी के लिये न हो या जो उत्तर काशी के लिये हो वह टेहरी-गढ़वाल के लिये न हो। जब कि "अथवा" की जगह शब्द "तथा" होना चाहिये, था लेकिन सरकार जल्दी में बिल बनाती है और फिर तुरन्त अमेंडमेंट लाती है। जो भावना यहां पर व्यक्त की गयी है वह जल्दी का ही नतीजा है और इस तरह से चूंकि वहां के लिये एक नयी व्यवस्था है, सारा का सारा बिल इस तरह की गलतियों से भरा पड़ा है। हम जानते हैं कि इसका हश्र क्या होगा? वहां के बारे में इस सदन के बहुत से लोग जानते नहीं हैं। हमारी तो चले तो हम वहां के लिये सुझावों में मोती के दाने बिखेर दें लेकिन कोई समेटने वाला भी तो हो, वरना अनुचित पात्र को उससे कोई लाभ नहीं होगा।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस तरह की गलतियों से सारा बिल भरा पड़ा है और जब हम सरकार से उसको सुधारने के लिये कहते हैं तो सरकार ऐसा करने में समझती है कि उसकी इज्जत चली जायगी। यहां पर शब्द "अथवा" रखने का और मतलब ही क्या होता है।

श्री अधिष्ठाता---आप चाहते हैं कि "अथवा" की जगह "तथा" होना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं इसको साफ कर दूं कि टेहरी-गढ़वाल अथवा उत्तर काशी के मौरूसी वगैरह जो होंगे, सरकार की इच्छा पर होगा कि टेहरी-गढ़वाल के मौरूसी वगैरह खायकर माने जायं तो उत्तर काशी के न माने जायं या उत्तर काशी के माने जायं तो टेहरी-गढ़वाल के न माने जायं। इस तरह से ए से जेड तक सारे इस बिल में इस किस्म की गलतियां हैं जिनको सुधारने के लिये हम कहते हैं कि चूंकि हम माइनरिटी में हैं इसलिये उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कुमायूं के कुछ सदस्य सरकारी पक्ष का समर्थन इसलिये करते हैं कि वे सोचते हैं कि इससे कोई खास काम निकल जायगा। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर लोग इस तरह से काम कराते रहते हैं। गौर से देखा जाय तो सारे बिल में बहुत सी गलतियां भरी पड़ी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं एक संशोधन पेश करता हूं कि श्री केशव पांडेय जी के संशोधन में जहां शब्द "अथवा" है उसकी जगह पर शब्द "तथा" रख दिया जाय।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, विष्ट जी अभी बहुत नाराज हुये और ऐसा मालूम होता है कि इस गर्मी में उन्होंने हिन्दी और संस्कृत भाषा का अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैं बता दूं कि "अथवा" और "तथा" से क्या अन्तर हो जायगा। अगर "तथा" रखते हैं तो कोई भी मौरूसीदार अगर अपने को खायकर क्लेम करना चाहेगा तो वह अपने को टेहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी दोनों का सिद्ध नहीं कर सकता, तब तक खायकर नहीं माना जायगा। वह होगा दोनों में से एक ही स्थान का। इसलिये "अथवा" रखा गया कि वह दोनों म स अपने को किसी एक स्थान का सिद्ध करे। यह कानूनी भाषा

[श्री महाबीरप्रसाद शुक्ल]

ध्यान से समझने की चीज है कोई खिलवाड़ नहीं है, देखना होता है कि एक शब्द के रखने से क्या मतलब निकलेगा। इसलिये कानूनन यह ठीक है और "तथा" रखने से उन लोगों के हक में यह न होगा जिनके लिये इस खंड की व्यवस्था की जा रही है।

श्री केशव पांडेय—श्रीमन्, मैंने जो संशोधन पेश किया है वही ग्राह्य है। "अथवा" रखना ही ठीक होगा जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, "तथा" से वह आशय नहीं निकलता जो खंड का है और उससे दिक्कत हो जायगी, केवल समय टालने के लिये वह इस तरह के संशोधन ला रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय उपमंत्री जी ने बड़े कानूनी ढंग से अपनी बात उपस्थित की, उन्होंने जो कहा वह भी एक इन्टरप्रिटेशन हो सकता है और दूसरी तरफ से भी हो सकता है, यह तो इन्टरप्रिटेशन की बात कोर्ट के हाथ में है, कहीं-कहीं पर "एन्ड" का मतलब "और" नहीं लगाया जाता, कहीं 'मे' का अर्थ 'शैल', कहीं 'विल' का अर्थ 'मे' हो जाता है। वह तो इन्टरप्रिटेशन का ही सवाल होता है, लेकिन यहां पर जो है "टेहरी-गढ़वाल अथवा उत्तर काशी" इसका अर्थ अगर वह ठीक समझते हैं तो मुझे कोई अपने संशोधन पर जोर नहीं देना है। अगर उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो वह इसे ही रहने दें, कोर्ट में जाकर कोई अर्थ दूसरे न लगाये जायं।

श्री अधिष्ठाता—तो आप अपना संशोधन प्रेस नहीं करते?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी, मैं प्रेस नहीं करता।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (८) में आये हुये शब्द 'टेहरी-गढ़वाल' के स्थान पर शब्द "टेहरी-गढ़वाल अथवा उत्तर काशी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतापसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (८) की पंक्ति चार में शब्द 'उसकी' के स्थान पर शब्द 'उनकी' रख दिया जाय और 'हदबन्दी', 'माफीदारी' के बीच के 'कामों' को हटा दिया जाय।

मेरा यह संशोधन शाब्दिक है, इसमें अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं पढ़ कर बता दूं कि यह इस संशोधन के बाद इस प्रकार हो जायगा कि "खायकर" का यही अर्थ होगा कि जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है और उसके अन्तर्गत टेहरी-गढ़वाल के मौरूसीदार अथवा हलबन्दी माफीदार उनकी भूमि के उस भाग के सम्बन्ध में जो किसी खायकर के पास न हो, भी है।"

श्री जगन्नाथ लहरी—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें खंड ३ के दो उपखंड (८) हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह संशोधन कौन से उपखंड (८) में पेश किया जा रहा है?

श्री अधिष्ठाता—जो प्रतापसिंह जी ने संशोधन पेश किया है वह एजेंडे में छपा हुआ नहीं है, उसको लिखकर भेजा था, नकल माननीय मंत्री जी के पास भेज दी है।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं एक कमी की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था कि पृष्ठ ४ पर उपखंड (७) के जो उपखंड लिखे हैं उनमें (८) दो बार है।

श्री अधिष्ठाता—वह गलत छप गया होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—वह ठीक है, गलत नहीं है। उपखंड (७) में यह है कि हिस्सेदार कितने किस्म के होंगे? उपखंड (७) के ८ उपखंड हैं और फिर आठवां उपखंड इंडिपेंडेंट अलग से है। वह गलत नहीं है। उन्होंने आपको भी कुछ गलतफहमी में डाल दिया, इसलिये मैंने अर्ज किया।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं तो निवेदन कर चुका हूं कि शाब्दिक संशोधन है, इसको माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—"उसकी" होना चाहिए, "उनको" नहीं होना चाहिए। वह खायकर को रेफर करता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे खेद होता है कि ऐसे शाब्दिक संशोधन भी माननीय मंत्री जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हलबन्दी और माफीदारी के बीच में कामा लगा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—यह कामा वगैरह तो दफ्तर में ठीक हो जाएगा।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (८) की पंक्ति चार में शब्द "उसकी" के स्थान पर शब्द "उनको" रख दिया जाय और हलबन्दी, माफीदार के बीच के "कामों" को हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री प्रतापसिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (८) के पश्चात् निम्नलिखित (८—क) के रूप में रख दिया जाए—

> (८—क) मध्यवर्ती—"कुमायूं में ऐसे हिस्सेदार खायकर, या अन्य कोई व्यक्ति, जिनके नाम पर दर्ज जोत में कोई अन्य व्यक्ति खायकर या सिरतान के रूप में काश्कार हो"।

मान्यवर, इसमें खायकर की जो परिभाषा है वह इस प्रकार है कि खायकर का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है और उसके अन्तर्गत टेहरी-गढ़वाल के मौरूसीदार अथवा हलबन्दी, माफीदार, उसकी भूमि के उस भाग के सम्बन्ध में जो किसी खायकर के पास न हो, भी है।

श्रीमन्, ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो मध्यवर्ती हों और उनकी जमीन पर लोग काबिज हों। श्रीमन्, व्यवस्था तो वहां पर है, उसे ठीक करने के लिये यह ऐक्ट लाया जा रहा है। इसलिये यह संशोधन है। मुझे तो ताज्जुब है कि कोई भी संशोधन माननीय मंत्री जी मानना ही नहीं चाहते। उदाहरण के लिये "कामा" सुधारने की बात कही तो क्या तौहीन हो गई? कह दिया कि हम खुद ही कर लेंगे। अगर कोई शाब्दिक संशोधन भी है तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसे ठीक करने के लिये कहें। जहां इस तरह की व्यवस्था होती है हमें तकलीफ होती है। हम लोग समय का सदुपयोग करने के लिये यहां बैठे हैं। एक शब्द में यहां ३ पैसे खर्च होते हैं और मंत्री जी का इस तरह का रुख कुछ अच्छा नहीं प्रतीत होता। जब मंत्री जी भाषण देते हैं तो हम उनकी बात को शांति पूर्वक सुनते हैं और मानते भी हैं। तो उनको भी हमारी बात माननी चाहिये अगर मानने वाली बात है तो।

हम जानते हैं कि मध्यवर्ती लोग, ऐसे लोगों की जमीन पर जो काबिज हों, उनके बारे में सरकार की तरफ से कोई संशोधन नहीं था, इसलिये हमने संशोधन रखा। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे और जो जमीन पर काबिज है उसी को मालिक बनाना चाहते हैं तो इसमें इससे सहूलियत मिलेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं प्रताप सिंह जी के संशोधन का घोर विरोध करता हूं। मध्यवर्ती शब्द का प्रयोग सिर्फ जमींदारों के लिये होता है। ८ अगस्त, १९४६ को जब इस प्रदेश से जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये प्रस्ताव आया था वह इस प्रकार था "सरकार और किसानों के बीच में जो मध्यस्थ हैं, उस मध्यवर्ती की प्रथा को समाप्त करने के लिये यह सदन निश्चय करता है।" तो मध्यवर्ती का प्रयोग सिर्फ जमींदारों के लिये किया गया है। वह सीरदार, मौरूसीदार या असामी या अन्य दूसरे प्रकार के काश्तकारों के लिये नहीं किया गया है।

दूसरे यह जो बिल आया है इसमें व्यवस्था है, अगर आप कहें तो मैं उन धाराओं को, ४० और ४२ को पढ़ कर सुना सकता हूं, जिनमें लिखा हुआ है—जैसे दफा ४० में है कि कौन से व्यक्ति इस कुमायूं जमींदारी प्रथा के समाप्त हो जाने के बाद सीरदार होंगे और दफा ४२ में ऐसी व्यवस्था है कि कौन से व्यक्ति असामी होंगे। असामी को भी और सीरदार को भी, क्योंकि आगे चल कर वहां के किसानों को तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है, खायकर, सीरदार और असामी, तो खायकर वह है जो कच्चा या पक्का हो, उसको भूमिधर के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, बाकी किसानों को जो खायकर नहीं हैं, बल्कि सीरदार और असामी हैं, उनके लिये बिल में व्यवस्था है कि अगर सीरदार अपने लगान का १५ गुना जमा कर देता है और असामी २५ गुना जमा कर देता है तो भूमिधर के अधिकार प्राप्त हो जायंगे। तो सीरदार और असामी जो काश्तकार हैं जिन्हें सीरतान कहा जा सकता है उन्हें मध्यवर्ती के रूप में किसी प्रकार नहीं ले सकते हैं। वह जमीन पर चाहे पट्टेदार के रूप में हों या जमींदारों की साजिश की वजह से खायकर न लिख कर सीरतान या दूसरे शब्दों से सम्बोधित किये गये हों, आज आवश्यकता है कि हम किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को न मानें क्योंकि मध्यवर्ती शब्द जमींदारों के लिये और पहाड़ों पर हिस्सेदारों के लिये ही प्रयोग में आ सकता है, सीरदार और असामी काश्तकारों के लिये नहीं। इसलिये मैं इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं और माननीय प्रताप सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, माननीय, प्रताप सिंह जी के रोष पर मुझे खेद है और खास कर इस पर और भी बड़ा खेद है कि वह विधेयक को शायद पूरी तरह से नहीं पढ़ते, इसीलिये ऐसी बातें पेश करते हैं जिनको मानना कठिन हो जाता है। मध्यवर्ती शब्द जैसा कि लहरी जी ने बताया हमारे प्रदेश में केवल उन्हीं के लिये इस्तेमाल किया जाता है जो जमींदार है, जो किसान और सरकार के बीच में पहले से स्थित थे। कुमायूं में हिस्सेदार उस अर्थ के द्योतक हैं। अब मध्यवर्ती न कुमायूं लाज में डिफाइन्ड है और न इसका कहीं इस्तेमाल किया गया है। इसलिये ऐसे शब्द की परिभाषा देना जिसका कहीं कानून में इस्तेमाल नहीं किया है अनावश्यक है। यदि इस शब्द को इन्ट्रोड्यूस करें तो पहले तो उसकी ट्रेडीशन को ढूंढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद अन्य व्यवस्था इस विधेयक में करनी पड़ेगी। यदि माननीय सदस्य ने पूरा विधेयक पढ़ा होता तो ऐसा संशोधन न आता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो वाद-विवाद इस विषय में हुआ मुझे जरा यह सोच कर तकलीफ हुई।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे कोई ऐसी बात न कहें जिससे इधर के बैठने वालों को या उधर के बैठने वालों को तकलीफ हो।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यहां पर आदरणीय लहरी जी ने एक बात कही कि मध्यवर्ती शब्द उनके कहने के अनुसार खायकर या सीरतान के लिये आयेगा। तो वे यह परिभाषा पढ़ें—"मध्यवर्ती कुमायूं में ऐसे हिस्सेदार खायकर, या अन्य कोई व्यक्ति, जिनके नाम पर दर्ज जोत में कोई अन्य व्यक्ति खायकर या सीरतान के रूप में काश्तकार हो।" इसका मेरिट क्या है इसे समझने की कोशिश नहीं की गयी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां इतनी गलतफहमी कुमायूं के लाज व हालतों के बारे में है कि लोग प्रिजूडिस होकर इस पर वाद विवाद कर रहे हैं। मैं पहले लहरी जी से निपट लूं, पहले तो यह कहूंगा कि उनके तर्क में सीरतान या खायकर कहां से आ गया ? माननीय सदस्य इतनी भी तकलीफ नहीं करते कि बिल को पढ़ लें और समझ लें। किसी किताब में असामी, जैसा लहरी जी उच्चारण कर रहे हैं लिखा नहीं, या इस बिल के बनाने वालों ने खायकर को खैकार लिख दिया है। मैं सोचता रहा कि यह खैकार कहां से आ गया जापान से, रूस से या बहराइच से ? इसमें जो चीजें हैं ही नहीं उन पर वाद विवाद हो, यह मेरी समझ में नहीं आता।

रह गया मध्यवर्ती शब्द तो लारी जी खुद तसलीम करते हैं कि मध्यवर्ती के लिये अब कहीं स्थान नहीं है क्योंकि सरकार खुद उद्देश्य और कारणों में कह चुकी है कि हम मध्यवर्तियों को खत्म करना चाहते हैं। यह बात सही है कि अगर वहां कोई मध्यवर्ती नहीं है तो फिर यह कानून काहे के लिये लाया गया है जबकि मध्यवर्ती शब्द पर ही वह आधारित है। इतना जरूर मान सकता हूं कि मध्यवर्ती शब्द बिल में अन्यत्र कहीं नहीं आया है। इसी कारण बिल में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर यह शब्द रखना पड़ता तो स्थान-स्थान पर यह शब्द "मध्यवर्ती" रखना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—माननीय विष्ट जी से मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य पढ़ने की कोशिश नहीं करते या माननीय सदस्य समझते नहीं हैं तो यह सब अनपार्लियामेंटरी है। मैंने निवेदन किया था कि कोई माननीय सदस्य ऐसी बात न कहें जिससे किसी को तकलीफ हो।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—अधिष्ठाता महोदय, प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। कुछ बुनियादी बातें हैं जिनकी ओर सदन का ध्यान जाना चाहिये। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जो पर्वतीय प्रदेश के निवासी हैं वहां कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं परिभाषा के बतौर जिनका प्रदेश के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल नहीं होता है और इस कारण यह स्वाभाविक है कि अगर उन शब्दों का प्रयोग इस सदन में किया जाय तो पूरी जानकारी न होने के कारण माननीय सदस्य इच्छा होते हुए भी उनका पूरा अर्थ भली प्रकार नहीं भांप पाते। यह संशोधन यहीं समाप्त नहीं होता आगे चल कर आप देखेंगे कि एक संशोधन दिया हुआ है जिसके मातहत इसका नाम कुमायूं मध्यवर्ती, जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक कर दिये जाने की मांग है। जमींदारी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह हमारे प्रदेश में इंटरमीडियरीज के लिये ही प्रयुक्त है। उप मंत्री जी ने ठीक ही कहा है। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जितने इस प्रकार के टेन्योर कुमायूं डिवीजन में हैं वे सब समाप्त होने चाहिये। इस सिद्धान्त से किसी का मतभेद नहीं है। लेकिन आप सुन कर ताज्जुब करेंगे और यह बिलकुल सत्य है, इसको कोई माननीय सदस्य गलत न समझें कि हमारे यहां पहाड़ में 'जमींदार' शब्द का अर्थ है किसान जो वास्तव में हल चलाता है। अगर वहां यह कहा जाय कि जमींदारी खत्म हो गयी तो लोग यह समझेंगे कि क्या हमारी किसानी छीन ली जायगी ? 'जमींदार' की क्या परिभाषा है यह स्टावेल मैनुअल में दिया हुआ है। जो उसमें प्राक्कथन है उसमें रोमन में पेज नम्बर छे लिखा हुआ है। इसमें जमींदार को डिफाइन किया गया है कि पहाड़ में जमींदार के क्या माने हैं —

"An agriculturist, a villager, not being a Brahmi or a Dome".

एक किसान, एक गांव वाला।

"The term as known by the connotation, i.e. in the plains it is often used with a flavour of a contempt a mere villager."

तो पहाड़ में जमींदार वास्तव में काश्तकार है। जब तक हम इसको स्पष्ट नहीं करेंगे, हमने लिख दिया कि जो कुमायूं विधि में प्रयुक्त होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम काश्तकारी का विनाश कर रहे हैं न कि इंटरमीडियरी का। इसलिये इंटरमीडियरी शब्द का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

एक दूसरी गलतफहमी भी है। बहुत से ऐसे हिस्सेदार हैं जो इंटरमीडियरी हो सकते हैं लेकिन सभी हिस्सेदार इंटरमीडियरी नहीं हैं। वहां हिस्सेदार हैं भूमिधर नहीं। इसलिये अगर आप कहेंगे कि हमने भूमिधरी दी तो वे समझेंगे कि यह न जाने क्या चीज है लेकिन अगर आप कहेंगे कि हिस्सेदारी दी तो वे समझ जायंगे। इसलिये बहुत सोच समझ कर यह अमेंडमेंट रखा गया है कि बजाय जमींदारी शब्द के मध्यवर्ती शब्द इस्तेमाल किया जाय और मध्यवर्ती को बिलकुल ठीक डिफाइन किया गया है कि 'कुमायूं में ऐसे हिस्सेदार खासकर, या अन्य कोई व्यक्ति, जिनके नाम पर दर्ज जोत में कोई अन्य व्यक्ति खायकर या सिरतान के रूप में काश्तकार हो" खायकर का भी सिरतान होता है, हिस्सेदार का ही नहीं होता। इसलिये यह कहना कि हिस्सेदार ही इंटरमीडियरी है वह भी गलत है और सभी हिस्सेदार और सभी खायकर भी इंटरमीडियरी नहीं हैं, कुछ खायकर भी हो सकते हैं और कुछ हिस्सेदार भी इंटरमीडियरी हो सकते हैं। इसलिये टिलर आफ दि स्वायल, मध्यवर्ती शब्द का रखा जाना जरूरी है और विधेयक की जो परिभाषा है उसमें इसके रखने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हर जगह इस शब्द का प्रयोग किया जाय। यहां पर हिस्सेदार जमींदार नहीं है, इसलिये यह गलतफहमी हो गई है। यह बात मानी जा सकती है कि हमारे यहां सिरतान काबिज हैं। इसलिये इसके डिफाइन करने की जरूरत है।

श्री प्रतापसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं और जैसा हमने कल भी कहा और आज भी दोहराते हैं कि जो इस बिल की मंशा है उसकी हम कदर करते हैं। लेकिन जब यह बिल यहां से पास हो जाने के बाद जायगा तो लोग सोचेंगे कि कुमायूं से आये जितने विधायक वहां बैठे थे वह सरकार को नहीं समझा सके होंगे। लेकिन जो हमारा ९ वां अमेंडमेंट है उसमें हमने साफ किया है कि इस बिल का शीर्षक "कुमायूं मध्यवर्ती विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक" होना चाहिये। इसलिये, श्रीमन्, ऐसे शब्द नहीं होने चाहिये जिनसे अर्थ का अनर्थ हो जाय। जैसे कि बताया गया कि हमारे यहां जमींदार नाम की कोई चीज नहीं है बल्कि मध्यवर्ती हैं और उन्होंने परेशान किया है या नहीं, यह बात कल तय हो गई। अब सवाल यह रह गया कि ऐसे उपयुक्त शब्द होने चाहिये ताकि कोई पढ़े तो यह न कहे कि लोगों ने आंख बन्द करके इसको पास कर दिया। इसलिये जमींदार के स्थान पर मध्यवर्ती शब्द होना चाहिये। प्रचलित विधि क्या है, मैं मंत्री जी को बताऊं, जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा है कि प्लेन्स में जमींदार हैं। कुमायूं लाज कमेटी ने कहा है कि कुमायूं के लिये अलग से टेनेन्सी ऐक्ट होना चाहिये। जैसे आपने जमींदारी उन्मूलन की वैसे ही यहां पर जोर देते हैं। मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं होगा और जो शब्द वहां प्रचलित हैं उनको ही रखना चाहिये। यही मेरा निवेदन है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बात मानेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अधिष्ठाता महोदय, मैंने नारायणदत्त जी का विद्वतापूर्ण भाषण सुना और उन्हीं चीजों को प्रताप सिंह जी ने अपने ढंग पर दोहराने की कोशिश की, हालांकि वह उस हद्द तक नहीं पहुंच सके। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कानून बनाने का उसूल हुआ करता है। डिफाइनिंग क्लाज इसलिये रखे जाते हैं कि कानून में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनकी परिभाषा कर देना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि हमारे साथी शुक्ला जी ने कहा कि इस विधेयक में "मध्यवर्ती" का लफ्ज कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसलिये जब कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसके डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। यह कानून बनाने की ए० बी० सी० डी० है। यह भी कहा गया कि यहां पर जमींदार नहीं हैं। अगर विधेयक के एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स को पढ़ा जाय तो साफ जाहिर होगा कि जो विधेयक बन रहा है उसको हम जमींदारी एबोलिशन बिल के लाइन्स पर ही लाना चाहते हैं। चाहे हम उसमें भूमिधरी रखें या असामी रखें, लेकिन यदि प्रचलित शब्द रखे जाते हैं तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं और मैं नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे मित्रों ने इसको पढ़ा नहीं है बल्कि

सबने पढ़ा है। अगर किसी ने कम पढ़ा है तो हमने पढ़ा है। मैं कहूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है। हमारे दोस्त इसको वापस लें।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (८) के पश्चात् निम्नलिखित (८)क के रूप में रख दिया जाय—

"(८—क) मध्यवर्ती—"कुमायूं में ऐसे हिस्सेदार खायकर, या अन्य कोई व्यक्ति, जिनके नाम पर दर्ज जोत में कोई अन्य व्यक्ति खायकर या सिरतान के रूप में काश्तकार हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (९) की पंक्ति १ में शब्द "वह भूमि" तथा पंक्ति २ के शब्द "जो" के बीच में शब्द "वर्तमान विधि के अनुसार" रख दिये जायं।

मान्यवर, इसमें लम्बे चौड़े भाषण की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक में, मंत्री जी ने कहा कि मध्यवर्ती शब्द कहीं नहीं आया है लेकिन इसी विधेयक में खायकर और सीरतान के लिए कहा गया है कि प्रचलित विधि के अनुसार माने जायेंगे। वही हमने भी इस संशोधन द्वारा चाहा है। मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्ट संशोधन है। इसको माननीय मंत्री जी को मान लेना चाहिए। अगर प्रचलित विधि नहीं रखेंगे तो किस परिभाषा के अनुसार मानेंगे, यह समझ में नहीं आया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, मैं सोचता हूं कि यह परिभाषा, प्रतापसिंह जी की, उचित नहीं है कि "खायकरी भूमि" से तात्पर्य है वह भूमि जो किसी खायकर के पास हो और उसके अन्तर्गत गांव संजायत भी है।" इसमें वह बात जरूर आयेगी जिसके लिए पहले मंत्री जी कह रहे थे। खायकर कई तरीकों से होता है। खायकर न केवल कानून से ही बल्कि रजिस्टर्ड डीड से भी बनता है। तब तो वह विधि ही के अनुसार नहीं बनता। इस परिभाषा से वह खायकर नहीं रह जायगा। माननीय मंत्री जी से मेरा यही मतभेद चल रहा है। हिस्सेदार रजिस्ट्री द्वारा नया खायकर बनाता है। उससे मार्केट वैल्यू की करीब-करीब आधी कीमत ले लेता है। वहां पर २० नाली यानी एक एकड़ (Unirrigated Land) असिंचित भूमि लैण्ड का १०० रुपये नाली के हिसाब से २ हजार रुपया होता है, क्योंकि पहाड़ पर जमीन की कीमत बहुत है। बड़ी मंहगी बिकती है। इर्रीगेटेड लैंड का दुगुना तिगुना होता है। मान लिया सौ रुपया फी एकड़ के हिसाब से मार्केट वैल्यू है। खायकर बनने के लिए, खायकरी राइट्स हासिल करने के लिए ५०—६० रुपया यानी वह आधी कीमत अदा करता है। खायकर को हिस्सेदार बनने में बहुत कम रुपया देना पड़ता है क्योंकि आधा वह पहले ही दे चुके हैं।

इसलिये अगर मुआवजा देना हो तो खायकरी जमीन का मुआविजा सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये, क्योंकि वह खायकर पहले हिस्सेदार को आधा दे चुका है या यह प्रज्यूम किया जाता है कि दे चुका है। सीरतान ने कुछ नहीं दिया है, उसने जमीन की कीमत की बाबत एक पाई नहीं दी है। सिर्फ कमाता भर रहा है और लगान देता है। इसलिये सीरतान से ज्यादा लेना चाहिये था। वहीं पर मेरा सरकार से मतभेद है। पहले से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खायकरी लगान का जितना गुना देना होगा मुआवजे के रूप में उससे सिरतानी भूमि का ज्यादा गुना मुआवजा सरकार को देना चाहिये। अगर प्रताप सिंह जी का यह संशोधन मान लिया जाय तो उस बेचारे ने इतना रुपया सर्फ किया है, उसका रजिस्टर्ड डीड बेकार हो जायगा। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रतापसिंह शायद इसे वापस ले लेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रतापसिंह जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रतापसिंह जी ने अपने इस संशोधन को पेश करके घुमा फिराकर नाक पकड़ने का प्रयत्न किया है। अभी उन्होंने कच्चे खायकर और पक्के खायकर की बात कहकर गड़बड़झाले में लोगों को फंसाकर अपनी बात को इस बिल के अन्दर समावेश कराने का बार-बार प्रयत्न किया है। इस संशोधन के द्वारा वे इनडाइरेक्टली फिर उन्हीं बातों का समावेश

[श्री जगन्नाथ लहरी]

कराना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इसमें लिख दिया है "कि वर्तमान विधि के अनुसार।" इसका मतलब यह है कि वर्तमान विधि के अनुसार वहां कच्चे खायकर भी हैं और पक्के खायकर भी हैं और सिरतान भी हैं। कच्चे खायकर और पक्के खायकर को सरकार बिलकुल मिटाना चाहती है। अगर प्रतापसिंह जी के संशोधन को मन्जूर कर लिया जायगा तो फिर कच्चे और पक्के खायकर की बात इस बिल के अन्दर आ जायगी।

दूसरे इसका विरोध मैं इस वजह से भी करना चाहता हूं कि यदि प्रतापसिंह जी इस बिल की आगे की धारा १० को पढ़ लिये होते तो शायद इस संशोधन को पेश करने की आवश्यकता न होती। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उस धारा १० को पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि :—

"१०—धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा एतदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये वैध होगा कि वह —

(क) कोई खायकरी भूमि तथा सभी ऐसे स्वत्व अपने अवधान में ले ले जो इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य में निहित हो गये हों, और ऐसे कार्य करे या कराये और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर या इस प्रकार नियुक्त किये गये अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार अध्याप्त किसी खायकरी भूमि में प्रवेश और उसका सर्वेक्षण या पैमाइश करे या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार से उस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो,

(ग) किसी व्यक्ति को किसी भूमि या उसके भाग से सम्बद्ध बही, लेखे या अन्य लेख्य निर्दिष्ट प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी अन्य सूचना, जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, देने की आज्ञा दे, और

(घ) यदि बही, लेखे और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं, तो किसी भूमि में प्रवेश करे और ऐसी बही, लेखे तथा दूसरे लेख्य लेकर अपने कब्जे में कर ले" :

तो यदि प्रतापसिंह जी के संशोधन को मान लेंगे तो वर्तमान विधि के अनुसार हमारा जो आगे चलकर भूमि-व्यवस्था का प्रबन्ध होने जा रहा है और प्रदेश के उन जिलों में कलेक्टर के द्वारा प्राधिकारी को खायकरी भूमि सर्वेक्षण, बहीखाते देखने या खतौनी देखने का जो अधिकार मिला हुआ है वह सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे प्रदेश के मैदानी इलाके में २ जुलाई, सन् १९५२ से जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाने के बाद गांव का प्रबन्ध करने के लिये भूमि समाजों की स्थापना की गई है और ग्रामीण भाइयों को अपनी जमीन का प्रबन्ध करने का अधिकार दिया गया है, वहां की हाट का प्रबन्ध करने का अधिकार दिया गया है तो कुमायूं में भी वह प्रबन्ध किया जायगा। कुमायूं में अभी तक जमींदारी हिस्सेदारी के रूप में वर्तमान थी। वहां पर ग्राम समाज नाम की कोई चीज नहीं थी और ग्रामीण जनता को अपनी जमीन का प्रबन्ध करने का अधिकार नहीं मिला हुआ था। तो इस कुमायूं जमींदारी विनाश बिल के अनुसार उनकी जमींदारी समाप्त हो जायगी और मैदानी इलाके की तरह से कुमायूं में उन पहाड़ी गांवों के भाइयों को भी अध्याय ४ के अनुसार अपनी भूमि का प्रबन्ध, गांव की जमीन का प्रबन्ध करने का अधिकार होगा।

श्री प्रतापसिंह—अधिष्ठाता महोदय, इस समय हाउस में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई)

(इस समय २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये। कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जगन्नाथ लहरी—उपाध्यक्ष महोदय, आप के आने से पूर्व प्रताप सिंह जी ने खंड ३ के उपखंड (९) की पंक्ति १ में शब्द "वह भूमि" तथा पंक्ति २ के शब्द "जो" के बीच में शब्द "वर्तमान विधि के अनुसार" रख दिये जायं, का संशोधन पेश किया था । उसका विरोध करते हुये मैंने खंड १० और खंड ३६ का हवाला दिया था । खंड ३६ इस प्रकार है "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी भी गांव सभा को सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, निर्दिष्ट दिनांक से राज्य सरकार के निमित्त तथा उसकी ओर से ऐसी भूमियों तथा वस्तुओं (जिसके अन्तर्गत ऐसे वन और अकृषित भूमि है जो किसी खातेदार की न हो), जिन्हें नियत किया जाय, के सामान्य अधिक्षण, प्रबन्ध, संरक्षण तथा नियंत्रण में भारित किया जा सकता है ।"

इसी तरह से धारा ३७ में भूमि-व्यवस्था के संबंध में उल्लेख किया गया है । तो यदि प्रताप सिंह जी का संशोधन यहां पर स्वीकार कर लिया जाता है और इस उपखंड में यह शब्द "वर्तमान विधि अनुसार" बढ़ जाते हैं तो उसका मतलब यह है कि पहाड़ी अंचल में जमींदारों द्वारा जो जाल फैलाया गया था, और वहां के किसानों को जो परेशान किया जा रहा था, उनके अधिकार जो छीने जा रहे थे, और खायकर जो कच्चे और पक्के के रूप में विभाजित कर दिये गये थे, वे सब दिक्कतें और परेशानियां उनके लिये फिर आ जायंगी और जो जमीन की पैमाइश आदि करने के अनेक अधिकार दिये जा रहे हैं वे सब भी समाप्त हो जायेंगे । अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो वहां ग्राम समाज की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और यही वर्तमान ढंग वहां जारी रहेगा । यदि हम इस सिद्धांत के अनुसार कि जमीन जोतने वाले की हो, उसके पास रहे, वहां की जनता का भला करना चाहते हैं और इसे वहां प्रतिपादित करना चाहते हैं तो हम को इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहिये । अगर हम इसको मान लेंगे तो हमें जमींदारों के हथकन्डों को फिर से मान्यता प्रदान करनी पड़ेगी और उसके बाद इस सदन के हाथ में कोई अधिकार नहीं रह जायगा और वे किसान जो इस कानून बनने के पूर्व से परेशान किये जा रहे हैं, परेशान किये जाते रहेंगे और जो खाली जमीनें पड़ी हुई हैं, जो हम ग्राम समाज को देने जा रहे हैं उन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं रह सकेगा । ऐसी अवस्था में इस संशोधन का विरोध किया जाना चाहिये और इसे किसी तरह से पास न किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, मैं माननीय लहरी जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने एक असंभव उक्ति को भी संभव कर दिखाया, लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रताप सिंह जी ने जो नाक पकड़ी है वह घुमा फिरा कर नहीं बल्कि नासिका पर सीधा मुष्टि प्रहार किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—अपनी या औरों की ? (हंसी)

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब, श्रीमन्, इसे आप ही भले प्रकार से जान सकते हैं। बात यह है कि उन्होंने माननीय माल मंत्री जी का जो पुराना कथन है उसको भांप लिया, उन्होंने माननीय मंत्री जी की सहायता की । और बार बार प्रेम पूर्वक और श्रद्धापूर्वक जिन शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है सारे विधेयक में उन्हीं को इसमें जोड़ दिया गया है । इससे न महत्व घट गया है, न बढ़ गया है । जिन शब्दों का प्रयोग माननीय मंत्री जी करते आ रहे हैं उन्हीं का प्रयोग इसमें किया गया है । हमने तो माननीय मंत्री जी की सहायता की है । अब अगर वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हमारी सहायता न लेना चाहें तो न लें, यह उनकी इच्छा पर है । उन्होंने यह कहा है कि उसमें "वर्तमान विधि के अनुसार" शब्द और जोड़ दिये जायं । यह शब्द आप प्रत्येक खंड के साथ जोड़ते चले आ रहे हैं । अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो इसमें भी यह शब्द जोड़ दें ।

श्री हुकुमसिंह बिसेन---हम बेमौके नहीं जोड़ते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---बेमौके नहीं, मैंने देखा है कि कभी कभी माननीय मंत्री जी बेमौके बोलने लगते हैं तो वह भी मौके हो जाते हैं ।

तो मैं यह कह रहा था कि प्रतापसिंह जी का जो संशोधन है उसमें इतना और जोड़ दिया जाय, मैंने प्रतापसिंह जी से परामर्श भी कर लिया है और उनको कोई आपत्ति उसमें नहीं है कि "कुमायूं डिवीजन में लागू वर्तमान भूमि-व्यवस्था से संबद्ध' । यह शब्द उनके संशोधन में और जोड़ दिये जायं । यह पहले बार-बार जोड़ते चले आ रहे हैं चाहे मौके हो या बेमौके हो । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसे स्वीकार करने की कृपा करें । इसके स्वीकार करने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है ।

श्री चन्द्र सिंह रावत---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतापसिंह जी का जो संशोधन है वह कतई सुपरफ्लूअस, इर्रेलीवेन्ट, रिडेन्डेन्ट और इनकम्प्लीट है क्योंकि जो खायकर की परिभाषा दी गई है उसको सदन ने स्वीकार कर लिया है । लिहाजा जो शब्द आप जोड़ना चाहते हैं क्लैरीफिकेशन के लिये उसकी जरूरत नहीं है जब कि डिफनीशन ऊपर दी हुई है । इसलिये इन शब्दों को जोड़ने की जो बात है वह यूजलेस है और सुपरफ्लूअस है ।

***श्री प्रताप सिंह**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्रीजी ने तो रिडेन्डेन्ट शब्द ही इस्तेमाल किया है लेकिन माननीय रावत जी ने तो उसके साथ तीन चार ऐडजेक्टिव्ज और लगा दिये । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह कृपया बतायें कि यह क्यों इर्रेलीवेन्ट है, या सुपरफ्लूअस है । उसका वे कारण बतावें । हमें उसे वे समझायें । हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि केवल उनके कहने से ही हम मान लें कि वह सुपरफ्लूअस है । वे बतावें कि अगर यह इर्रेलीवेन्ट है तो क्यों है । आप वकील हैं, आपने ३, ४ शब्द रट लिये और कह दिये । यहां वकालत करने की बात नहीं है । यहां तो बराबर के लोग हैं । आप हमको समझाइये कि क्यों है । हमने कोई नई चीज इसमें नहीं जोड़ी है । "वर्तमान प्रचलित विधि" शब्द इसमें सब जगह आये हैं । अब चूंकि यह संशोधन हमारी ओर से पेश किया गया है इसलिये माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हां, अगर माननीय रावत जी की ओर से यह आता तो अवश्य स्वीकार कर लिया जाता ।

तो मेरे संशोधन में जो माननीय तिवारी जी ने शब्द और जोड़ दिये हैं वह भी मुझे स्वीकार हैं । इसके बाद पता नहीं अब क्यों आपत्ति है ? हमने जो शब्द जोड़े हैं वह इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिये ही जोड़े हैं ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो । "वर्तमान प्रचलित विधि" जो है वह कोई नयी नहीं है । तो इन सब बातों के साथ मैं यह कहूंगा कि आपने जगह-जगह "प्रचलित" विधि शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिये मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, मैं सदन का ध्यान, अभी सदन ने जो खायकर की परिभाषा स्वीकार की है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । उसमें स्पष्ट है कि खायकर वह है जो अर्थ कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है । तो खायकर शब्द तो डेफिनिट है पहले से ही । फिर आगे यह भी स्पष्ट है कि खायकर भूमि वह है जो खायकर के पास हो । तो निश्चय ही उसमें यह शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है । यह संशोधन बिलकुल अनावश्यक है और इसकी कोई जरूरत नहीं है । कानून का सिद्धान्त है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परिभाषा चुस्त होनी चाहिये और स्वतः उसे पूर्ण होना चाहिये और उसका रेपिटीशन नहीं होना चाहिये । तो खायकर की परिभाषा का रेपिटीशन खायकरी भूमि में भी करें तो वह उचित नहीं होगा । जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि जहां कहीं उपयुक्त होता है वहीं उसे रखा जा सकता है ।

माननीय सदस्य की यह धारणा कि उनकी तरफ से जो संशोधन आते हैं वे सभी अस्वीकृत हो जाते हैं, यह उनकी सर्वथा भ्रान्ति है । हर संशोधन जो कानून को सुस्पष्ट बनाने में हमारी मदद करेगा उसको हम अवश्य ही स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---नारायण दत्त जी ने जो प्रताप सिंह जी के संशोधन में संशोधन किया है क्या उन्हें मान्य है ?

श्री प्रतापसिंह---जी हां ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वह यह है, "कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि के अनुसार खायकर और खायकरी भूमि के लिये एक ही परिभाषा है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (९) की पंक्ति १ में शब्द "वह भूमि तथा पंक्ति २ के शब्द "जो" के बीच में शब्द "कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि संबन्धी वर्तमान विधि के अनुसार" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पारित करने के लिये हमारे पास साढ़े १० घंटे और हैं और ८५ संशोधन हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अभी साढ़े तीन घंटे खर्च हुये हैं, १२, साढ़े १२ घंटे शेष हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---वह हिसाब लग जायगा, ११ घंटे सही । ८५ संशोधन हैं, तो माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि एक-एक संशोधन पर दो, दो एक एक बोलें और मुख्यतः संशोधन-कर्ता बोले ताकि पूरे विधेयक और संशोधनों पर विचार हो सके, वरना आखिर में गिलोटिन होगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---आपसे प्रार्थना है कि आज का दिन ५ घंटे का पूरा हुआ ५ भी पूरे नहीं होते हैं, साढ़े चार, साढ़े चार निकलते हैं तो साढ़े ४ घंटे परसों तक चलेगा तो गिलोटिन करने की जरूरत नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---हिसाब बाद में लग जायगा, इससे उल्टा आपका ही नुकसान हो रहा है । संयम से भाषण करें जिससे सब संशोधनों पर बहस हो सके।

श्री घनश्याम डिमरी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ३ के उपखंड (९) की पंक्ति २ में शब्द "और तथा शब्द" उसके के बीच में शब्द "पक्के खायकरी गांवों में" जोड़ दिये जायं, यह संशोधन पेश करता हूं ।

यह संशोधन मैं इसलिये पेश कर रहा हूं कि इस खंड में खायकरी भूमि की परिभाषा दी गई है.....

श्री उपाध्यक्ष---जरा मतलब समझाइये, कुछ स्पष्ट नहीं मालूम होता कि आपके संशोधन का मतलब क्या है ?

श्री घनश्याम डिमरी---मैं वहीं पर आ रहा हूं । इसमें यह लिखा हुआ है कि, "खायकरी भूमि से तात्पर्य वह भूमि जो किसी खायकर के पास हो और उसके अन्तर्गत गांव संजायत भी है ।" यानी जो खायकर के पास जमीन है वह खायकरी जमीन है, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है, हम भी सहमत हैं, लेकिन बिल का मंशा यह भी है कि उसमें गांव संजायत जमीन भी शामिल कर दी गई है, इस पर मेरी आपत्ति है ।

[श्री घनश्याम डिमरी]

हमारे यहां कुमायूं में दो प्रकार के गांव हैं । एक तो मिक्स्ड विलेजेज जहां पर हिस्सेदार और खायकर दोनों रहते हैं और दूसरी जगह खायकर ही खायकर रहते हैं । दोनों किस्म के गांवों में गांव संजायत की जमीन होती है । तो कुछ तो विलेज बाड़ी की जमीन होती है और बाकी में पक्के खायकरों को ही हक होता है लेकिन मिक्स्ड विलेजेज में सिर्फ हिस्सेदारों का ही हक होता है, खायकरों का हक नहीं होता है । तो मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां हिस्सेदार भी हैं और खायकर भी हैं वहां गांव संजायत की जमीन में सिर्फ हिस्सेदारों को ही हक रहता है । तो अगर यह परिभाषा मान ली जाती है खायकरी भूमि की तो इससे सिवाय लिटीगेशन के और कोई नतीजा नहीं होगा । इस सम्बन्ध में मैं स्टावेल्स मैनुअल के पेज ४३ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें गांव संजायत लैंड का जिक्र है :

"The undivided village land is usually managed by the *Malgiurar* or *Pradhan* on behalf of the *Panch Hissedars*. Theoretically all the *Hissedars* should profit by it proportionately to the extent of their shares either by holding a portion of the land or by receiving a share of the profits to go towards paying their shares of the revenue assessed on it and perhaps a little more."

उसमें सिवाय हिस्सेदारों के खायकरों का कोई हिस्सा नहीं होता । दूसरे किस्म के मैंने जो गांव बतलाये जिसमें पक्के खायकरों का हक होता है उसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान पृष्ठ १०५ की ओर दिलाना चाहता हूं :--

"In the case of *Gaon Sanjait* lands of the *Khaikars* in such villages partitions may, as with *Hissedars*, be made *rakmsharah* according to the respective rents paid by the parties.

तो मेरा कन्टेन्शन यह है और इसकी पुष्टि स्टावेल मैनुअल से भी होती है .....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, कोरम नहीं है । यह तीसरा मौका है । मेरा कहना यह है कि अगर इच्छा न हो तो फिर सदन को स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य कोरम का ध्यान रखें। वह कम न होने पाये। एक सदस्य की कमी है।

(घंटी बजाई गई और कोरम होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री घनश्याम डिमरी---श्रीमन्, पक्के खायकरी गांवों में गांव संजायत जमीन पर सिर्फ खायकरों का ही हक होता है और कच्ची खायकरी गांवों में सिर्फ हिस्सेदारों का ही हक होता है। अगर खायकर भूमि की यही परिभाषा जो बिल में दी है मान ली जाती है तो इसके मानी यह होंगे कि गांव पंचायत भूमि पर खायकरों को हक हो जायगा। मैंने इसके विरोध में संशोधन रखा है। अगर जनरल रहेगा, जैसा कि बिल में है, तो यह मुकदमेबाजी की जड़ हो जायगी। अगर मैं इसलिये ऐसा भी कह दूं कि हमारी सरकार हमको मुकदमेबाजी सिखा रही है तो कदाचित् अतिशयोक्ति न होगी। मेरा संशोधन सपोर्टेड बाई ला है। यह अनुचित नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--डिमरी जी, आपका मतलब शायद इस तरह से है कि वह भूमि जो किसी खायकर के पास हो और प्रत्येक खायकारी गांव में हो और जिसके अन्तर्गत गांव संजायत भी हैं ?

श्री घनश्याम डिमरी---और पक्के खायकर गांव में, उसके अन्तर्गत गांव संजायत भी है, केवल पक्के खायकरी गांव में।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—माननीय सदस्य का संशोधन इस विधेयक की योजना म कहीं फिट इन नहीं होता है। इस विधेयक में वेस्टिंग के बाद रिक्त भूमि का प्रबन्ध गांव समाज के हाथ में जायगा। इस संशोधन के मानने से खायकरी भूमि की परिभाषा संकीर्ण हो जाती है। केवल पक्के गांव में खायकर की भूमि इसमें आवेगी और अन्य गांवों की भूमि नहीं आवेगी। इसलिये मुझे खेद है कि माननीय सदस्य का संशोधन मान्य नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हम लोग एकदम पागल हो गये हैं कि ऐसे संशोधन रख रहे हैं या सरकार ही की बिल्कुल नहीं सुनना चाहती है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—"हम लोग पागल हो गये हैं", क्या ये शब्द यहां प्रयोग करने लायक हैं?

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—माननीय डिमरी जी का मैं पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। अगर मंत्री जी मेरे साथ इस विशेषण में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो अपने लिये कह रहा था।

यह माना हुआ कानून है कि "Property once vested cannot be divested" जैसा ४२ पेज पर दिया है कि गांव संजायत जमीन हिस्सेदारी की होगी, यानी जहां मिक्स्ड विलेज हों या हिस्सेदारी विलेज हों वहां पर उन्हीं का हक गांव संजायत पर होगा न कि खायकरों को। हम सरतेज बहादुर सप्रू, कन्हैयालाल या गुप्ता की तरह बड़े विद्वान तो हैं नहीं, जैसा हमको समझाना आता है वैसा ही समझा सकेंगे। माननीय मंत्री जी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो हम क्या करें? यह केवल हमारा दुर्भाग्य ही हो सकता है। मंत्री जी की स्कीम यह है कि एक निर्धारित दिनांक होगा, जो कि धारा ४ में दिया है जब एक घोषणा होगी। जो परिभाषा इसमें दी है, इससे यह होगा कि अभी से वह संजायती जमीन हिस्सेदार की नहीं मानी जायगी। सरकारी घोषणा के नोटीफिकेशन के बिना ही खायकर की मानी जा सकती है अगर यही परिभाषा रही तो योजना यह है कि हिस्सेदार की जितनी भी जमीन होगी, चाहे गांव संजायत में हों, चाहे और कहीं उसके सब अधिकार स्वत्व और आगम, समाप्त होकर सरकार में निहित हो जायेंगे। तीनों के लिये माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था कर दी है कि हिस्सेदार का पूरा Bundle of Right सब सरकार में vest कर जायगा। तो कहां यह अड़चन पड़ती है? जब हिस्सेदार उस दिन से Dead Entity है, तो क्या फर्क पड़ता है? हां, प्रतिकर देने में जरूर अन्तर पड़ेगा उसका प्रतिकर हिस्सेदार को नहीं मिल सकेगा, जो अवैधानिक हो जायगा।

इस विधेयक में शुरू से आखिर तक सरकार ने यह बात मानी है कि जो विधियां कुमायूं डिवीजन में आज तक प्रचलित थीं, उनके अनुसार वही बातें मानी जावेंगी। वहां के मुताबिक कानून गांव संजायत लैण्ड जो प्योरली हिस्सेदारी विलेज में है वह केवल हिस्सेदारों का होता है। इससे माननीय मंत्री जी यह न समझें कि गांव संजायत लैण्ड केवल कच्ची या पक्की खायकरी में ही होता है। बल्कि वह हिस्सेदारी लैंड में भी होता है। डिमरी जी ने कहा कि पक्की खायकरी वाले गांव में गांव संजायत केवल खायकरों का होता है। लेकिन जहां कुछ हिस्सेदार हैं और कुछ कच्चे खायकर हैं तो वहां यह नियम है कि वह संजायत जमीन केवल हिस्सेदार की रहेगी, खायकर की नहीं रहेगी। कच्चे खायकरी गांवों में खायकर तो सिर्फ उतनी जमीन का मालिक होता है। जितने में उसका हक दर्ज है। यानी जितनी जमीन खतौनी और खेवट में दर्ज होगी। पहाड़ों पर उसको मुन्तखिब और फांट कहते हैं। जितने पुराने रेवेन्यू रिकार्ड्स हैं, जितनी पुरानी विधियां हैं, जितने नियम हैं, जितने कानून हैं, जितनी मर्यादायें हैं, वे सब आज की नई परिभाषा से इससे खत्म हो जायेंगी।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

इस संजायत लैण्ड के बारे में एक और गलती है। संजायत दो किस्म की होती है, एक पड़त और दूसरी बेपड़त। वहां पर जिस वक्त लैण्ड रेवेन्यू असेस हुआ, मान लिया किसी गांव में १०० एकड़ जमीन काश्त में वक्त बन्दोबस्त निकली। अंग्रेज बड़ा चालाक था। लोगों को खुश करने के लिये उसने एक काम किया। माना, १ रुपये एकड़ के हिसाब से १०० रुपया लगान हुआ मगर कागजात में उसने १०० रुपया ८० एकड़ पर लगा दिया और २० एकड़ के लिये कह दिया कि हमने तुमको बख्शीश में दिया। क्योंकि वह कम उपजाऊ व पथरीली है, इसलिये तुमको वैसे ही दे दी और अंग्रेज को उससे कोई नुक्सान हुआ नहीं। पहले वह रायसाहबी आदि बांटता था आज पद्म श्री बांटी जाती है। इस तरह से कुछ जमीन तो इंडिविजुअल्स को दी गयी और दूसरी वे जो संजायतें कहलायी, उनके हिस्सेदार को ही सब कुछ राइट्स थे। कच्चे खायकर को कोई अधिकार नहीं थे। उनका लाभ हिस्सेदार को ही मिलता था।

पुराने कानून में यह साफ दिया हुआ है कि वक्त बंटवारा हिस्सेदारों में जब जमीन बंटेगी तो किस हिसाब से बंटेगी, जिस वक्त ओरीजिनली मान लीजिये, जमीन बंटी थी तो उसमें ४ हिस्सेदार थे। अब किसी हिस्सेदार के ३, किसी के ४ और किसी के ७ और किसी के ६ बच्चे हुए और इस प्रकार से २० हिस्सेदार हो गये। जिनके ज्यादा लड़के हो गये, उनका लगान फी नये हिस्सेदार घट गया और जिनके औलाद कम हुई उन पर बढ़ गया। अब जमीन को किस प्रकार से बांटा जाय, उसका एक क्राइटेरिया रखा गया। एक कहावत अंग्रेजी में है कि घोड़ा पूंछ के साथ ही जाता है, यानी जहां घोड़ा जायगा उसकी पूंछ भी वहीं जायगी। इसी प्रकार से जहां पड़त जमीन जायगी, वहीं बेपड़त जमीन भी जायगी। मैं इस समय कच्चे खायकरों का जिक्र कर रहा हूं, पक्कों का नहीं। उसमें यह होता है कि जिस हिस्सेदार की जितनी रकम लगी होती है उसके हिसाब से प्रपोर्शनेटली वह अपना हक पाता है। अगर ८० एकड़ जमीन हो और किसी का हिस्सा ५ एकड़ हो और किसी का १० एकड़ हो तो १० एकड़ वाले को ५ एकड़ वाले से दुगुना हक संजायत जमा में मिलेगा। गांव में जितने मवासे बसते हैं उनकी लिस्ट, मुन्तखिब और फांट में, दर्ज होती है।

मैं सदन की इत्तला के लिये कह दूं कि सन् १८६४ में बन्दोबस्त शुरू हुआ जो १८७२ में जाकर पूरा हुआ और उसके बाद १९०२ में जितने नये एक्सटेंशन थे वे भी नापे गये। दुबारा सारी जमीन की पूरी नाप नहीं हुई, सारा सर्वे नहीं हुआ, पुरानी नाप ज्यों की त्यों रही, उस नक्शे में लाल स्याही लगा कर एक्सटेंशन दिखला दिया गया और कह दिया गया कि नया सेटिलमेंट हो गया। क्योंकि वहां बहुत से नान-मेजरड् लैंड थे, बहुत से Land Waste थे जिनको वहां के लोगों ने तोड़ा। वहां पर ऐसा नियम है जिसको अब कानून की सूरत दे दी गयी है कि जो आदमी अपनी नाप के मिजान पर बेनाप की जमीन को जितना आबाद कर लेगा उसको भी उस पर वही हक होगा जो अपनी नाप की जमीन पर होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि दूसरी यह व्यवस्था है कि जो जमीन संजायत में रखी है, जितने परिवार हैं बन्दोबस्त की फैमिलीज के हिसाब से, वह भूमि बंटेगी। पुराना बन्दोबस्त जो हुआ है वह फांट और मुन्तखिब में दर्ज रहता है कि किस गांव में कितने व्यक्ति रहते हैं। तब आजकल की सेंसस की तरह पूरा डिटेल तो नहीं होता था लेकिन उससे पता चल जाता है कि किस गांव में कितनी फेमिलीज रहती थी, तथा कितने व्यक्ति रहते हैं।

गांव संजायत को बिल में यहां डिफाइन कर देने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी योजना ज्यों की त्यों रहेगी। कोई संजायत भूमि खायकर के नाम से रहे या हिस्सेदार के नाम से रहे, आपकी योजना के हिसाब से कम्पेनसेशन दोनों को देना होगा। क्योंकि आसामी भूमिधर होगा तो उसे खायकर को देना पड़ेगा और अगर कोई खायकर से भूमिधर होगा तो उसे हिस्सेदार को देना पड़ेगा। इस तरह से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

डिमरी साहब के संशोधन को मान लेने में आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये, क्योंकि एक तरफ तो आप मानते हैं और कहते हैं कि जो पुरानी विधि कुमायूं की है उसको हम मानते हैं और मानते हुए भी जो Land Vest हो गयी, बहुत दिन पहले ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के मुताबिक, उसके खिलाफ आप कैसे जा सकते हैं ? वह भूमि Divest नहीं होती है जब तक कि आपका नोटिफिकेशन न हो। इस तरह की गलत परिभाषा से आपस में लड़ाई होगी और कम्पेनसेशन के समय कच्चे खायकरी गांवों के संजायत में हिस्सेदार कहेगा कि इस पर मेरा हक है और खायकर कहेगा कि नई परिभाषा के मुताबिक मेरा अधिकार है, तुम्हारा अब कोई अधिकार रहा ही नहीं। इस तरह से यह दोनों के लिये झगड़े की चीज आज पैदा कर दी गई है। हां, माननीय मंत्री जी चूंकि वकील है और इधर तथा उधर भ हुत से वकील हैं और वे विशेष तौर पर कृपा करके मित्रता के नाते इसे रखना ही चाहते हैं कि लोग ज्यादा मुकदमा लड़ें तो बात दूसरी है कि आप ऐसा Lacuna इस बिल में रखें लकिन अगर आप गरीबों का फायदा करना चाहते हैं तो ऐसी झगड़ालू व्यवस्था न की जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय घनश्याम डिमरी के संशोधन ने हम मैदानी इलाके रहने वाले लोगों की आंखें खोल दीं। कल तक तो हम कच्चे और पक्के खायकरों का ही किस्सा सुनते थे लेकिन अब पक्के खायकरी गांवों के भ्रम जाल में भी हम पड़ गये और उस समस्या को नहीं समझ पाये। अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो एक और नया भ्रमजाल पैदा हो जायगा। पहाड़ों में किसानों का एक और नया ही रूप देखने को मिला, वहां कच्चे और पक्के खायकर भी मौजूद हैं। माननीय विष्ट जी ने उसके समर्थन में एक बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण किया लेकिन अगर वह इस विधेयक में जो शब्द लिखे थे उनको पढ़ने की कृपा करते तो उन को शायद इतनी देर तक बोलने की आवश्यकता न प्रतीत होती। इस विधेयक में खैकारी भूमि की परिभाषा की गयी है कि "खायकरी भूमि" से तात्पर्य है वह भूमि जो किसी (खैकार) खायकर के पास हो और उसके अन्तर्गत गांव संजायत भी है।" क्योंकि हम लोग मैदानी इलाके के सदस्य हैं इसलिए हम इन पहाड़ी शब्दों के बारे में विशेष जानकारी नहीं रखते। जब इन शब्दों को हमने इस बिल में पढ़ा तो शब्द कोश में भी उनका कहीं पता नहीं चला और उनको समझने के लिए अपने पहाड़ी सदस्यों की हमें शरण लेनी पड़ी और उनसे हमने उन शब्दों की परिभाषा और अर्थ पूछा।

इन खायकरों के विषय में एक बात स्पष्ट है और माननीय मन्त्री जी ने भी बार-बार यह कहा है कि हिस्सेदारी प्रथा की समाप्ति के बाद इस प्रकार के तमाम कच्चे या पक्के खायकर भूमिधर बन जायेंगे और वह उनके बीच में किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं चाहते, लेकिन हमारे कुछ माननीय सदस्य इस पर अड़े हैं कि वह घूम फिर कर वही जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि वह घूमफिर कर नासिका नहीं पकड़ रहे हैं बल्कि नासिका पर वह तो सीधा प्रहार कर रहे हैं। जो गांव संजायत के गांव हैं उन पर हिस्सेदारी का अधिकार है और वह इससे चले जायेंगे।

"गांव संजायत" का अर्थ जो उन्होंने बताया, उसका मतलब यह है कि "सामूहिक खेती" को गांव संजायत कहते हैं। अगर किसी गांव में कुछ लोग ऐसे हैं कि वह कलेक्टिव खेती करते हैं चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या परिवार के हों तो उनका खाता सामूहिक होता है और उसको गांव संजायत के नाम से पुकारा जाता है। इस बिल में इस बात की परिभाषा है कि जहां खायकर भूमि है उसमें खायकर की भूमि तो है ही और उस के साथ जो गांव संजायत भूमि है वह भी उसी में मान ली गयी है। इस के माने यह हैं कि सामूहिक खेती को भी खायकर भूमि माना गया है और उनको भी भूमिधरी दी जा रही है। इस प्रदेश की सरकार जो समाजवाद की स्थापना के लिए कोआपरेटिव फार्मिंग तथा सामूहिक खेती पर जोर दे रही है उससे पहाड़ के लोगों को भी लाभ होगा, इसके द्वारा पहाड़ी लोगों ने भी सामूहिक खेती का रास्ता और कानूनी तौर पर साफ होता है। अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि यह केवल

[श्री जगन्नाथ लहरी]

खायकरी गांवों में ही लागू हो तो गैर-खायकरी गांवों में बहुत से ऐसे खायकर रह जायेंगे जो इसकी परिधि में नहीं आ सकेंगे और उनको यह भूमिधरी का अधिकार जो सरकार देने जा रही है वह प्राप्त न हो सकेगा।

जिस प्रकार के वहां के सीरतान हैं जो एक तरह के टेनेंट-एट-विल हैं, जब तक हिस्सेदार चाहें वह काश्तकार रहें और जब वह चाहें उनको निकाल दें। अगर इस को मान लिया जाय तो पूरा गांव संजायत जो हैं वह सब टेनेंट-एट-विल की तरह हो जायेंगे। इस से हिस्सेदार लाभ उठावेंगे और वह इन गांव संजायतों को भी खत्म कर देंगे। इसलिए हमें एक भारी संकट का सामना करने के लिए और इस देश में कलेक्टिव फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि जिन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से कलेक्टिव खेती रखी है उनको भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हों। कच्चे और पक्के खायकर की विषमता का बवंडर कल से चल रहा है और आज वह गांवों की विषमता को भी रखना चाहते हैं। सिर्फ खायकर ही नहीं बल्कि गांव भी बटे हुये हैं। उसके बाद शायद गलियां भी इस प्रकार बंटने में आ जायं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह संशोधन कतई न माना जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत---श्रीमन्, मैं डिमरी जी के संशोधन का विरोध करता हूं। बहुत से पक्के खायकरी गांव थे जिनको पक्का खायकरी स्टेट्स हिस्सेदार ने चालाकी और बेईमानी से खत्म करके वहां अपनी खुदकाश्त को एक्वायर किया है। पहले वहां हिस्सेदार था, खुदकाश्त नहीं थी। श्रीमन्, नाली एकड़ का बीसवां हिस्सा है और नाली के सोलहवें हिस्से को एकमुठ कहते हैं जो एक आना रखा होता है। यह जो एरिया है उसको एक्वायर कर लेने से उस गांव को कच्चा खायकरी बना दिया है, पहले पक्का खायकरी था। अब वह चाहते हैं कि सारा फायदा उस आदमी को मिल जाय जिसने कि बेईमानी की है। कच्चा इस लिए है कि एक आना रकबा हिस्सेदार का उसमें है। वह वहां रहता भी नहीं है। उसमें बड़ा अधिकार है। वह उस में मकान बना सकता है और यह समझा जायगा कि वह उस में रहता है या वह रह सकता है। सारे गांव में खायकर गांव में रहते हैं और सारी जमीन पर उनका कब्जा है। थोड़ी सी जमीन रखने के कारण वह सारी जमीन का मालिक बनना चाहता है जो कि कानूनन नाजायज है।

इस के अतिरिक्त यह जो गांव संजायत लैण्डस हैं, इनके ऊपर टीनेंट्स भी है। गांव की जो होल बाडी है, उसकी जो संचायत जमीन है, उसके ऊपर सीरतान या खायकर है। जो सीरतान या खायकर रेकार्डेड हैं उनको तो भूमिधरी राइट्स इस बिल के पास होने के बाद मिल जायेंगे और जो दूसरे हैं मैं समझता हूं कि उनको भी वह अधिकार मिलेगा। इसलिए जो पुरानी बेईमानी हुई है उसको हम दूर करना चाहते हैं। जो अनजस्ट है उसको हम खत्म करना चाहते हैं और अगर उस संशोधन को मान लिया जाय जो कि माननीय डिमरी जी ने पेश किया है तो उससे हमारी सारी जमींदारी एबालिशन की स्कीम अपसेट हो जाती है और इस बिल के बहुत से प्राविजन इनअफेक्टिव हो जायेंगे। परिभाषा पहले दे दी गयी है और मैं समझता हूं कि जब कि कच्चे और पक्के खायकर में कोई अन्तर नहीं रखा गया है और उन की एक डेफिनीशन रखी गयी है तो इस प्रकार का संशोधन लाना हानिकारक होगा और उस से राहत नहीं मिलेगी बल्कि नुकसान होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और समझता हूं कि माननीय डिमरी जी उसे वापस ले लेंगे।

श्री घनश्याम डिमरी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे महान् दुःख इस बात का है कि मेरे काफी प्रयत्न करने के बाद भी कि इस संशोधन को अच्छी तरह से मंत्री जी को तथा माननीय सदस्यों को समझा सकूं कि हमारे यहां किस प्रकार के टेन्योर हैं, नहीं समझा सका, न माननीय सदस्यों ने समझने की कोशिश की और वह एक प्रकार से हठ कर रहे हैं कि इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना है।

मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूं कि जो परिभाषा खायकरी भूमि की इस बिल में दी गयी है उससे एक नया हक खायकरों को दिया जा रहा है और अगर कोई हिस्सेदार जिसका हक छीना जायगा हाई कोर्ट में रिट कर देगा या सरकार पर दावा कर दे कि यह विधेयक गलत बनाया है और गलत परिभाषा खायकरी भूमि की दी है तो निश्चय ही हाई कोर्ट से फैसला उसके पक्ष में होगा। इसलिये मैं मंत्री जी और माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे फिर विचार करें। यह बड़ा इन्नोसेंट संशोधन है, कोई हेरफेर की बात इसमें नहीं है। मैंने शुरू में कहा था कि तीन प्रकार के गांव कुमायूं में हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनमें हिस्सेदार ही लोग रहते हैं और कोई नहीं, उसमें हर एक व्यक्ति की अलग अलग जमीन है जो उसकी निजी प्रापर्टी है। कुछ कामन लैंड है जिस पर हर एक का हिस्सा उस अनुपात से होता है जो किश्त वह आदमी सरकार को देता है। या जितने मवासे होते हैं उस हिसाब से बंटती है। विलेज कस्टम्स का एक रेकार्ड होता है। तो कुछ तो गांव प्योरली ऐसे हैं जहां हिस्सेदार हैं उनमें भी गांव संजायत है, और उस कामन भूमि पर अपनी अपनी रकम के मुताबिक लोगों के हक हैं। अगर किसी गांव में १०० नाली गांव संजायत भूमि है और २०० रुपया रकम पड़ती है तो जो आदमी १० रुपया देता है तो उसी हिसाब से उसको जमीन मिल जायगी या किसी गांव में २५ परिवार हैं तो उनमें बराबर बराबर बंट जाती है, इरेस्पेक्टिव आफ देयर रेवेन्यू। तो जहां प्योरली हिस्सेदार हैं वहां तो यह तरीका है।

कुछ गांव ऐसे हैं जहां खायकर ही हैं और गांव संजायत जमीन है। वहां पर या तो जर्म न रकम के मुताबिक बंटती है या फेमिलीवाइज बंट जाती है। तो ऐसे गांवों में तो कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा ऐसे गांवों में है जहां हिस्सेदार भी रहते हैं और खायकर भी रहते हैं। ऐसे गांवों में कामन लैंड की बाबत झगड़े हैं और जो परिभाषा बनायी गई है यह सभी पर लागू होगी। आखिर परिभाषा ऐसी होनी चाहिये जो सही मान ली जाय हमेशा के लिये, जिसका हमेशा आदर किया जा सकें, जिसकी जेनुइननेस को चैलेंज न किया जा सके और कोशिश भी ऐसी ही परिभाषा की की जाती है। तो इस परिभाषा में "खायकरी भूमि" से तात्पर्य है वह भूमि जो किसी खायकर के पास हो... यहां तक तो ठीक है चाहे वह मिक्स्ड विलज में हो, खायकर है तो उसके पास खायकरी भूमि है या ऐसे गांव में है जहां खायकर ही रहते हैं उसके पास भी ठीक है। लेकिन उसके बाद ".....और उसके अन्तर्गत गांव संजायत भी है।" तो इससे वहां पर झगड़े पैदा हो जायेंगे जहां मिक्स्ड आबादी है। हमारे यहां जो प्रचलित कानून है उनके मुताबिक मिक्स्ड विलेजेज में खायकरों को ऐसी जमीन में कतई हक नहीं होता। मैंने शुरू में जब इस प्रस्ताव को पेश किया था तो उस वक्त मैंने स्टावेल मैनुअल से पढ़ा था और अब दोबारा पढ़ दूं ताकि मुकदमेबाजी न हो। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का कानून बने जिससे मुकदमेबाजी बढ़े।

पृष्ठ ४२ पर जिक्र किया गया है---

"The undivided village land is usually managed by the *malguzar* or *pradhan* on behalf of the *panch hissedars* theoretically, all the *hissedars* should profit by it proportionately to the extent of their shares by holding a portion of the land or by receiving a share of the profits to go towards paying their shares of the revenue assessed on it (if any) and perhaps a little more."

तो गांव संजायत जमीन जो गांव में होती है उसका प्रबन्ध गांव में मालगुजार करता है और गांव के हिस्सदार होते हैं अपनी रेवेन्यू के मुताबिक वे उसके हिस्सेदार होते हैं। यह

[श्री घनश्याम डिमरी]

मिक्स्ड टाइप के गांवों के लिये है। पृष्ठ १०५ पर सिर्फ खायकरी विलेजेज का जिक्र है जो इस प्रकार है---

"Partition of joint holdings in such villages are made under the Kumaun partition rules as in the case of other *hissedars*. In the case of *gaon sanjait* lands of the *khaikars* in such villages may, as with *hissedars* be made *rakmsharah* according to the respective rents paid by the parties, or by "*mawari bant*" each family taking an equal share ; this refers, of course to *sanjait* land held by the village *khaikars* but also have separate holdings."

जैसा मैंने निवेदन किया, खायकर की अपनी निजी जमीन भी होती है और संजायत जमीन में भी अपनी रकम के मुताबिक वे हकदार होते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर फिर विचार करें और एक नया हक खायकरों को न दें। इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी और ला-कोर्ट्स को यह मान्य नहीं होगा। इसलिये मेरा जो संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (९) की पंक्ति २ में शब्द "और" तथा शब्द "उसके" के बीच में शब्द "पक्के खायकरी गांवों में" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री प्रतापसिंह**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (९) की पंक्ति ३ में शब्द "गांव संजायत भी है" के स्थान पर शब्द "ऐसी गांव संजायत भूमि भी है जिस पर खायकरी अधिकार आगम तथा स्वत्व प्राप्त कर लिये गये हों" रख दिये जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम खंड ९ को देखें तो उसमें लिखा है कि "खायकर भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जो किसी खायकर के पास हो और उसके अन्दर गांव संजायत भी है।" डिमरी जी का संशोधन तो माननीय मंत्री जी की समझ में नहीं आया लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें आपने गांव संजायत लिखा है, तो क्या गांव की सारी जमीन खायकरी लैंड होती है? जब तक उसको हक नहीं मिला होगा तब तक सारी जमीन उसकी नहीं हो सकती। केवल नाम देने से तो काम नहीं चलता, उसमें खायकर को कैसे राइट्स होंगे यह भी डिफ़ाइन होना चाहिये। इस सम्बन्ध में एक केस भी हो चुका है जिसमें उन्होंने राइट्स ले लिये थे। उसके बाद जब उन्होंने हिस्से पर दावा किया तो यह कहा गया कि संजायती लैंड पर अधिकार उस समय हो सकता है जब दूसरे को एतराज न हो क्योंकि संजायती लैंड पर कई लोगों का हक होता है। तो सरकार का इरादा है कि गांव संजायत की जमीन को भी वह ले ले। यहां पर केवल इतना कह देना कि उसमें गांव संजायत भी शामिल है इसका मतलब होगा कि सरकार के हाथ में वह जमीन चली जायगी। डिमरी जी के संशोधन के बारे में तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि कुछ नहीं कहना है लेकिन इस बारे में तो वे कुछ कहें ही कि गांव संजायत की जमीन पर खायकर का अधिकार किस तरीके से होता है। हमने कहा है कि "ऐसी गांव संजायत भूमि भी है जिस पर खायकरी अधिकार आगम तथा स्वत्व प्राप्त कर लिये गये हों"। प्रत्यक्ष रूप से गांव संजायत में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब तक खायकर का अधिकार नहीं होगा तब तक उस जमीन को आप खायकरी जमीन नहीं कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि कानून के नुक्तेनजर से आपकी परिभाषा गलत है, अतएव हमारे संशोधन को आपको मान लेना चाहिये।

श्री जगन्नाथ लहरी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है वह चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा है कि "सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से"। हिस्सेदार जमींदार है इसका इससे ज्यादा अच्छे ढंग से और कोई प्रतिपादन नहीं कर सकता है। जब कि इस विधेयक के द्वारा सामूहिक खाते को ग्राम पंचायत के जो खायकरी के अधिकार प्राप्त हो रहे हैं और उनके लिये जब यह संशोधन आया है कि जिन गांव संजायत की भूमि पर आगम तथा स्वत्व खायकरी अधिकार प्राप्त कर लिये हों इसका मतलब है कि जो हिस्सेदारी प्रथा को समाप्त करने जा रहे हैं तो सरकार से मुआविजा लेने से पूर्व वह गांव की सामूहिक जनता की एक बार खायकरी के रूप में खुली लूट करें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार खुली लूट का अधिकार देना नितान्त अनुचित है। और जब कि गांव संजायतों को इस विधेयक के द्वारा खायकर के अधिकार प्राप्त हो रहे हैं तो फिर क्या आवश्यकता है कि हिस्सेदारी द्वारा हम खायकर के आगम तथा स्वत्व के अधिकारों को प्राप्त करने की चेष्टा करें और वह लूट करें? जैसा कि हमारी इस विधान सभा द्वारा जो पहला आराजी कानून पास हुआ था उसमें धारा १७१ थी जिसका मतलब साफ था कि जिन भूमिहीन किसानों के पास जमीन नहीं है, अगर कोई किसान बेदखल होता है तो उसकी भूमि उनको देनी चाहिये। लेकिन एक गलती रह गई और जमींदारों ने १७१ की आड़ में जमींदारी समाप्त होने के बाद लाखों रुपया प्राप्त किया और एक एक टुकड़े का, एक-एक खेत का हजारों रुपया प्राप्त किया और जमींदारों ने मुआवजे से बहुत बड़ी रकम १७१ की आड़ में प्राप्त कर ली थी। अगर आज हम इस संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो जिस प्रकार से जमींदारों ने १७१ की आड़ में नाजायज फायदा उठाया था उसी तरह से कुमायूं के पहाड़ी अंचल में वहां के हिस्सेदार वगैरह सामूहिक जनता से नाजायज तौर से धन कमा लेंगे। इसलिये श्रीमन्, गांव की जनता को इस सामूहिक लूट से बचाने की आवश्यकता है। इसलिये हमें प्रतापसिंह जी के संशोधन का विरोध करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, यदि इस प्रकार का संशोधन माननीय विष्ट जी द्वारा प्रस्तुत किया गया होता तो मुझे आश्चर्य कम होता, परन्तु समाजवादी दल के साथी माननीय प्रतापसिंह जी द्वारा यह लाया गया इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और अब मेरी धारणा यह हुई कि एक तरह से यह एक "ए बैटिल डिच बाई डिच" (a battle ditch by ditch) है, यानी निहित स्वार्थों की सुरक्षा के लिये सभी विरोधी लोग लगे हुए हैं। मुझे आश्चर्य इसलिये हुआ कि यह संशोधन प्रजासमाजवादी दल की ओर से आया और यह निहित स्वार्थों की रक्षा के लिये लाया गया है। अगर ऐसा न होता तो जैसा कि मैं उनसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर माननीय सदस्य कोई ऐसा संशोधन लायेंगे जो हमारे उद्देश्यों को और स्पष्ट करता हो उसको मैं सहर्ष स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। लेकिन ऐसा संशोधन जो अप्रत्यक्ष रूप से जनहित के नाम पर लाया जाय जो निहित स्वार्थों की रक्षा के लिये हो तो उधर से "ए बैटिल डिच बाई डिच" (a battle ditch by ditch) शुरू कर दी गई है उसका विरोध इधर से भी उसी तरह से होगा।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि केवल उस गांव संजायत भूमि को इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाय जिस पर खायकरी अधिकार प्राप्त हैं तो जो भूमि खायकरी अधिकारों से रहित होगी उसका प्रबन्ध कैसे होगा? इस विधेयक के अन्तर्गत जिनके स्वार्थ मिट रहे हैं उसको हम गांव समाज को देना चाहते हैं इसलिये ऐसी रिक्त

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

भूमि जिस पर खायकरी अधिकार नहीं हैं उसको इस परिभाषा के अन्तर्गत करना चाहते हैं ताकि जो प्रबन्ध करने वाला गांव समाज है उसको दे सकें और ऐसी भूमि पर जो अधिकार दिये हैं वह सुरक्षित रहें। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मुझे जितना आश्चर्य माननीय उपमंत्री जी के भाषण को सुनकर हुआ उतना शायद इस सदन के ८ साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। मैं समझता हूं कि उपमंत्री जी अभी नये आये हैं और उन्हें कुमायूं के माल सम्बन्धी मामलों की मालूमात नहीं होगी। इसलिये मैं उपनेता सदन से यह सिफारिश करूंगा कि उनको दूसरा विभाग दें, क्योंकि माल विभाग की जो कानूनी उलझनें हैं, उनके सम्बन्ध में वह ऐसा मौका न दें जिससे बिना बुनियाद पर जाये हुये गम्भीर विचारों को व्यक्त कर दें और इस पर आरोप लगायें कि समाजवादी दल निहित स्वार्थों की रक्षा कर रहा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--पूरी पार्टी नहीं, कुछ आदमी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं उपमंत्री जी और मालमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन स्वार्थों की रक्षा वह कर रहे हैं, अब तक करते चले आये हैं और अब भी कर रहे हैं, सीलिंग बिल में जो देर कर रहे हैं क्या उससे वह स्थिर स्वार्थों की रक्षा नहीं कर रहे हैं? हम से हर मानी में वह ज्यादा ही हैं, किसी मानी में कम नहीं हैं।

इसमें स्थिर स्वार्थ कहां से आ गये? कुछ पढ़ने की कोशिश की होती। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि जिस को कुमायूं के कानून का जरा भी ज्ञान होगा वह ऐसे भाषण नहीं दे सकता, जैसे सरकारी पक्ष की ओर से दिये गये हैं। क्या माननीय उपमंत्री जी को मालूम है कि गांव संजायत क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन-- जी हां, मालूम है।

श्री नारायणदत्त तिवारी-- माननीय उपमंत्री यह समझते हैं कि ग्राम संजायत जमीन वह है जो खायकरी जमीन है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी-- खायकरी भूमि की परिभाषा हो रही है और कह रहे हैं कि गांव संजायत भी शामिल है। कुमायूं डिवीजन के एक साधारण किसान से अगर पूछा जाय तो वह बता देगा कि खायकरी जमीन में गांव संजायत की जमीन शामिल नहीं है। खायकरी, सिरतानी या हिस्सेदारी जमीन जो गांव की मिली-जुली जमीन है, वह गांव संजायत है। खायकरी जमीन की परिभाषा के लिए गांव संजायत की परिभाषा कर देना कहां तक बुद्धिमानी है? गांव संजायत की परिभाषा इसमें उपखंड (१७) में रखी है। उसमें कहा गया है कि गांव संजायत जमीन वही होगी जो कानून में लिखी है, कुमायूं के। दूसरी तरफ इस खंड में लिखा जाता है कि खायकरी जमीन के अन्दर सारी गांव संजायत की जमीन आ जायगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन--गांव संजायत है, गांव संजायत लैंड नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--गांव संजायत लैंड ही होता है। गांव संजायत की परिभाषा स्टावेल मैनुअल में यह है--

"Undivided measured land, either common to the whole community (*Gaon Sanjait*) or common to certain families or co-sharers only."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस गांव समाज की आप बात कर रहे हैं, उसमें वह आलरेडी वेस्टेड है। माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि गांव समाज जैसे मैदान में हैं, वैसे ही पहाड़ में हैं। पहाड़ और मैदान में कोई अन्तर ही नहीं है। वहां गांव की जमीन गांव समाज में आलरेडी वेस्टेड है। उसमें सारे विलेजर्स के कामन राइट्स हैं चाहे हिस्सेदार हों या खायकर हों। जो प्रगति की बात वह सोच रहे हैं वह पहले से, पांच सौ साल पहले से, चन्द राजाओं के जमाने से वहां चली आ रही है। फिर गांव संजायत जमीन जमींदारी जमीन नहीं है। यह शोषण करने वालों की जमीन नहीं है। यह मोटी-सी बात क्यों नहीं कइयों की अक्ल में आती है? खायकरी जमीन का अर्थ क्या है? इसमें यह कहा गया है कि केवल ऐसी गांव संजायत की जमीन जिसमें खायकरों को अधिकार मिल गये हों वह सब गांव संजायत में आ जायं। इस सीधे-सादे संशोधन का यह मतलब है।

इसमें कहां निजी स्वार्थ की रक्षा की बात आ गई? कहां जमींदारों की रक्षा की बात आ गई? मैं दोबारा चुनौती देता हूं कि कोई कानून के पंडित हमारे साथ बैठें और हमको समझा दें। हम किसी भी कानून के विशारद को यह मामला सुपुर्द करने के लिये तैयार हैं कि किस तरह से इसमें निजी स्वार्थों की रक्षा होती है। इससे तो खायकर के अधिकारों की रक्षा होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि खायकरी भूमि को गांव संजायत में मिला देने से खायकरों के अधिकारों का हनन होता है क्योंकि मंशा तो सरकार की यह है कि खायकरी जमीन और जो गांव संजायत की जमीन है वह भी सरकार के पास आ जाय। हमारे यहां जो प्रणाली पहले से लागू है वह जमींदारी प्रणाली इससे बिलकुल भिन्न है। कामन लैंड से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। तो श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि स्टावैल मैनुअल में पेज १४२ पर मेजर्ड लैंड के बारे में यह दिया हुआ है कि :

"Each *hissedar* has the fullest rights over his own share of the measured and assessed land, he can do wheatever he likes with it, subject only to the customary rules of law regarding the rights of other individuals. The State has nothing to do with such land so long as the revenue on it is paid and the terms of the settlement agreement observed."

जो सरकारी जमीन है वह सब जमीन इस कानून के अनुसार सरकार लेने की बात सोचती है। इससे किसी प्रकार भी सिरतानों के हित की रक्षा नहीं होती है और न खायकर के अधिकारों की रक्षा होती है। तो हमारे सामने स्पष्ट स्थिति रखिये। खामख्वाह आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है कि प्रगतिशील भी ऐसा करते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि हमारे दल के ऊपर उपमन्त्री जी इस तरह की बातें कहें। मैं उन्हें फिर चुनौती देता हूं कि वह बतलायें हमारी बातें किस तरह से गलत हैं।

***श्री प्रतापसिंह**--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय उपमन्त्री के भाषण को सुनकर बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य हुआ। आपने यह कहा कि हम इस संशोधन को प्रस्तुत करके निजी स्वार्थों की रक्षा करना चाहते हैं। अगर माननीय मन्त्री जी एक इन्क्वायरी कमेटी बिठायें और छानबीन करें तो मालूम हो जायगा कि किसका स्वार्थ सिद्ध होता है, हमारा सिद्ध होता है या उनका सिद्ध होता है। इस प्रकार से कह देना कि निजी स्वार्थों की रक्षा करना चाहते हैं, मैं समझता हूं शुक्ल जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता।

दूसरी बात यह कल से आज तक कही गई कि हम यह नहीं चाहते हैं कि यह बिल जल्दी पास हो। मैं सरकार के ऊपर यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि सन् ५७ से लेकर आज तक सरकार इस बिल को नहीं लाई। इस बीच में जिन लोगों के लिये निजी स्वार्थ हल करना था वह तो आपने कर दिया। इतने दिनों तक यह सरकार क्या करती रही। इससे यह मालूम होता है कि सरकार की नीयत साफ़ नहीं थी। दिखाने के लिये यह सरकार इस बिल को पास कर रही है लेकिन वास्तव में उनकी मंशा कुछ और है। जिन लोगों को पूरा लाभ होना चाहिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

था उनको इससे पूरा लाभ नहीं हुआ है क्योंकि ५० फीसदी लाभ दूसरे जमींदारी वाले लोगों ने इससे उठा लिया है। जिन लोगों को यह सरकार लाभ पहुंचाना चाहती थी उनको लाभ पहुंचा दिया और हमारे लिये कहा जाता है कि हम निजी स्वार्थों की रक्षा करना चाहते हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि खायकर को आप जमीन देना चाहते हैं लेकिन वह सारी की सारी जमीन गांव समाज की लिख देने से कैसे उसको हक मिलेगा। स्टावैल मैनुअल के पेज ६८ पर इस तरह की भूमि के विषय में दिक्कत पड़ी तो वह केस हाईकोर्ट में गया और वहां पर फैसला हुआ :

"It was held that *khaikari* right is only established when possession is given by the *hissedar* who creates the right. No *hissedar* can create *khaikari* right in common land because the right must be in a definite area and not in an unseparated share of waste land. Partition, moreover, can only be demanded by co-sharer and not by tenants in common land."

यह जजमेंट है। जब तक हक क्रिएट नहीं होता तब तक डिफिनिशन नहीं कर सकते। आपने इसमें डिफाइन नहीं किया है।

२० आदमियों का हक गांव समाज की जमीन पर है लेकिन यहां पर यह लिख देना कि गांव समाज की भूमि भी इसमें शामिल है, मैं समझता हूं कि जैसा यहां कहा गया है, उचित नहीं है और यह इस बिल का मंशा भी नहीं है। बिल के सिद्धान्त के विपरीत सरकार चलना चाहती है। और यह कहना कि हम इस संशोधन को ला कर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, गलत है। ऐसा कह कर आप ऐसी पार्टी पर हमला कर रहे हैं कि जिसको देश का शासन सम्हालना है। कैबिनेट रैंक में जिस मंत्री को जाना हो उन्हें बहुत नाप तौल कर बोलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस संशोधन पर विचार करें और विवेक से काम लें। वह बहुत शान्तिप्रिय हैं और हंसी खुशी में दिन बिताते हैं, वह ठीक है, लेकिन वह जरा गंभीरता से सोचें भी कि इसकी कितनी अहमियत है और इसको देखते हुए उनको इसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि हमारे मित्रों को कुछ आघात पहुंचा। मैं अपने डिप्टी मिनिस्टर से यह कहूंगा कि यह मिसाल वह याद रखें कि : "हार्ड फैक्ट्स आर वेरी सेल्डम पैलेटेबिल"। हमारे मित्र नारायणदत्त जी ने बड़े जोरों से भाषण दिया और अपनी बुलन्द पंचम आवाज में बात की। मुझे ऐज ए लाइयर जो अनुभव है वह यह कि जिस वकील के पास कोई आर्गूमेंट नहीं होता है वह जोर से चिल्लाता है। ऐसा अनुभव अक्सर हुआ है। मेरा भी अनुभव दूसरों को देख कर हुआ है। आपने इसमें कहा कि खायकर....

श्री प्रतापसिंह---खायकर नहीं खैकर।

श्री हुकुमसिंह विसेन---ठीक है। मैं पहाड़ी भाषा जानता नहीं, खैकर लैंड के साथ गांव संजायत क्यों जोड़ी जाती है? मैं यह नहीं कहता कि हमारे माननीय सदस्यों ने बिल नहीं पढ़ा, लेकिन शायद इस तरफ उनका ध्यान न गया हो कि जब कंपेंसेशन देने लगेंगे तो अगर किसी हिस्सेदार को, जो गांव संजायत में हो गया हो और वह जमीन उसकी कल्टीवेशन में न हो तो वह उससे निकल जायगी। तो उस जमीन पर हम उसको कंपेंसेशन कैसे देंगे और इस तरह से उसका बड़ा नुकसान हो जायगा। तो हम उस हिस्सेदार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि जो उनके जायज हुकूक है उनकी भी रक्षा करना चाहते हैं लिहाजा उसको यहां गांव संजायत की इस परिभाषा में शामिल करना जरूरी था। इसी नुक्ते खयाल से हमने ऐसा किया है और मैं समझता हूं कि मैंने इसे समझा भी दिया है और ऐसा मालूम होता है कि नारायण दत्त जी तो समझ गये हैं, हमारे प्रताप सिंह जी का ध्यान दूसरी तरफ है। अगर वह न समझें हों तो हमारे

दोस्त उनको समझा दें। अब इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है और इसलिये कृपा कर इसको वापस ले लें और अगर किसी तरह का कोई दुख आपको पहुंचा है तो उसके लिये मैं माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (९) की पंक्ति ३ में शब्द "गांव संजायत भी हैं" के स्थान पर शब्द "ऐसी गांव संजायत भूमि भी है जिस पर खायकरी अधिकार, आगम तथा स्वत्व प्राप्त कर लिये गये हों" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री घनश्याम डिमरी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (११) का अंतिम वाक्य खंड "किन्तु इसमें वन सम्मिलित नहीं है" निकाल दिया जाय।

क्लाज ३ के सब-क्लाज ११ में श्रीमन्, भूमि की परिभाषा लिखी है, जो इस प्रकार है:"भूमि से तात्पर्य है वह भूमि जो कृषि या उद्यानकारी अथवा पशुपालन से, (सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये रखी गयी हो अथवा) जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा मुर्गपालन भी है, सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये अधिकृत या अध्यासित हो किन्तु इसमें वन सम्मिलित नहीं है।" तो मेरा संशोधन यह है कि "इसमें वन सम्मिलित नहीं हैं" यह शब्द निकाल दिये जायं और बाकी जो परिभाषा भूमि की है वह बदस्तूर बिल में रहने दी जाय। मेरा कहने का मतलब यह है कि भूमि का प्रयोग इन कामों के लिये किया जा रहा है जैसे---कृषि के लिये, उद्यान के लिये, पशुपालन के लिये, कृषि हार्टीकल्चर इत्यादि के लिये। इन इन कामों के लिये इसका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई उस भूमि को वन के लिये प्रयोग करता है तो उसे सम्मिलित नहीं किया जायेगा यह इस बिल का मंशा है। यानी अन्य कामों में भूमि का इस्तेमाल करने से वह भूमि की परिभाषा में आ जायेगा किन्तु यदि वन के लिये इस्तेमाल करेगा तो नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष---आपका मतलब यह है कि अगर कोई अपनी भूमि पर वन लगाना शुरू करे तो उसको भी सम्मिलित कर लिया जाय?

श्री घनश्याम डिमरी---जी हां। जो रिजर्व फारेस्ट हैं उनमें गांव वालों के हुकूक रिजर्व हैं। उनका सेटिलमेंट हुआ करता है कभी १० साल में, कभी १५ साल में। यह फारेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन रहता है। जंगलों के हुकूकों के लिये सरकार ने एक फैक्ट्स फाइन्डिंग कमेटी भी नियुक्त की थी जिसके सभापति माननीय बलदेवसिंह जी थे और उन्होंने वहां पर जिलों में भ्रमण किया था और लोगों की कठिनाइयों का पता लगाया था और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी।

तो एक तो रिजर्व फारेस्ट हैं वह बिल्कुल फारेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन हैं। दूसरे वह वन हैं जिनको सिविल फारेस्ट कहते हैं। यह डिप्टी कमिश्नर की देखभाल में होते हैं। तीसरे किस्म के फारेस्ट वे हैं जो कम्युनल फारेस्ट कहलाते हैं। कुछ गांव पंचायतों ने अपने फारेस्ट बना लिये हैं जो अनएसेस्ड लैंड पर होते हैं और गांव पंचायतें ही उनका निरीक्षण करती हैं और उसका कंट्रोल करती हैं। कुछ किस्म के फारेस्ट ऐसे होते हैं जो विलेज बाडी के होते हैं जो न तो सिविल फारेस्ट होते हैं और न कम्युनल होते हैं बल्कि प्रोटेक्टेड फारेस्ट कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि गांव के लोग उनकी रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, और समय समय पर उनकी जो प्रोड्यूस होती है उसका वे इस्तेमाल करते हैं। तो जो यहां पर भूमि की परिभाषा दी गयी है उसका जंगलों से सम्बन्ध नहीं है। इसमें भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जो कृषि के काम में आती हो जिसका कोई आदमी मालिक हो।

इसके अलावा एक बात यह है कि फारेस्ट डिपाटमेंट के जो रूल्स हैं वे दिन पर दिन रिजिड होते जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति बदल गयी है। ग्रामीणों को जो हुकूक मिलने चाहिये वह कम हो

[श्री घनश्याम डिमरी]

गये हैं। फारेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन्स इम्पोज कर दी हैं। इसलिये आज हमको इसकी आवश्यकता हो गयी है। आज लोग अपनी आवश्यकताओं के लिये वन लगा लेते हैं। उनको लकड़ी की जरूरत होती है, मकान बनाने के लिये, जलाने के लिये, इसलिये वे अपने नाम की जमीन में वन लगा लेते हैं। अगर ऐसा बन्दोबस्त इस बिल की परिभाषा में नहीं किया जायगा तो जो लोग उसका रेवेन्यू बराबर देते आ रहे हैं और जिस पर उनके प्रोप्राइटरी राइट्स हैं वह उससे वंचित हो जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन शब्दों को, "किन्तु इसमें वन सम्मिलित नहीं है" हटाया जाय। यह इन्नोसेंट सा संशोधन है, इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, डिमरी जी ने जिस उद्देश्य का जिक्र किया उसी को सामने रख कर वन को इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया। कारण यह है कि इस विधेयक द्वारा जो हिस्सेदारों के राइट्स हैं उनको अबालिश करने का न उद्देश्य है और न प्राविधान है। इसीलिए उस परिभाषा को उससे अलग किया जा रहा है, क्योंकि वनों में जो उनके राइट्स हैं वह रहने दिये हैं। वह इसीलिए कि जिस प्रकार से मैदान में जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अनुसार वनों को सम्मिलित किया तो सारे जंगल कट गये, लेकिन सरकार की नीयत यह है कि वह कटें नहीं पहाड़ों में और उनको रखने के लिये इससे अलग किया जा रहा है। इससे हिस्सेदारों के अधिकारों की भी रक्षा रहेगी, लकड़ी ले सकेंगे। तो उनके राइट्स अबालिश नहीं किये जा रहे हैं। मुझे आशा है कि वह इस परिभाषा को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भाषण दिया उसकी सपोर्ट में वही उद्देश्य सरकार का भी है।

श्री चन्द्रसिंह रावत--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो डिमरी जी ने संशोधन किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। उसका कारण यह है कि जो वन के सम्बन्ध का प्रश्न है और आजकल जो सेटिलमेंट आपरेशंस हुये हैं, जो डायरेक्शंस गवर्नमेन्ट की तरफ से गयी हैं उनका मकसद यह है कि जो लैंड कल्टीवेशन के लिये ग्रांट की गयी है सरकार की तरफ से, उसमें अगर वन रखा जाता है और आबादी है मौके पर तो उसका स्टेटस कल्टीवेटेड लैंड से फारेस्ट का हो जाता है और यही डायरेक्शन सेटिलमेन्ट आफिसर को गवर्नमेन्ट की तरफ से दी गयी है, उसमें सब लोगों को अधिकार हो जाते हैं जिससे आबाद होने के पहले जिस जमाने में उसको किसी खास व्यक्ति को दिया गया, आल विलेज कम्युनिटी के उस पर यूजर राइट्स थे। तो चूंकि उसने अपना स्टेटस फिर से हासिल कर लिया तो फिर विलेज कम्युनिटी के आल राइट्स रिवाइव हो गये। इसलिये बहुत सोच-समझ कर रखा गया है कि लैंड में वन सम्मिलित नहीं होना चाहिये। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले दरख्वास्त की थी सदन से कि जिन लोगों ने प्राइवेट फारेस्ट बना दिये हैं और सेटिलमेन्ट के दौरान में कहीं कहीं अपने नाम लैंड रेवेन्यू असेस करा ली है तो यह फ्राड है विलेज कम्युनिटी के खिलाफ। इस प्रकार के हजारों मुकदमें पहाड़ पर अदालतों में चला करते हैं। तो सारी विलेज कम्युनिटी के राइट्स हड़प लेना और एक व्यक्ति जंगल बनाकर उसका फायदा उठाये यह कतई नाजायज है और इस जमाने में जबकि समाजवाद की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं और हमारे कदम प्रगति पर हैं, मैं समझता हूं इस तरह का जो संशोधन वह लाये हैं वह कतई नाजायज है और उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री जगन्नाथ लहरी--उपाध्यक्ष महोदय, डिमरी साहब ने अपना संशोधन पेश करते समय जो विचार व्यक्त किये हैं उनको सुनने के बाद इस संशोधन की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं डिमरी साहब का ध्यान इस विधेयक के पृष्ठ ८ पर खंड ६ के उपखंड (४) की ओर ले जाना चाहता हूं। खंड ६ में यह लिखा हुआ है कि "इस अध्याय की कोई बात किसी भी व्यक्ति के निम्नलिखित किसी अधिकार पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी।"

उपखंड (४) इस प्रकार है—

(४) किसी क्षेत्र में जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक पर निजी जंगल रहा हो, किसी भी अधिकार पर और वह उसी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे में वर्तमान शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार बना रहेगा ।"

डिमरी साहब की मांग प्राइवेट फारेस्ट के लिये थी, फारेस्ट के लिये नहीं थी । इस विधेयक में लिखा हुआ है "किन्तु इसमें वन सम्मिलित नहीं हैं"। इसका मतलब यह है कि वन जो राष्ट्र की सम्पदा हैं, प्रदेश की सम्पत्ति हैं या प्राइवेट फारेस्ट हैं, इन सब को निकालने की उन्होंने मांग की है लेकिन उन्होंने अपने भाषण में केवल यह कहा कि कुछ लोगों ने जो अपने बाग और पेड़ लगा रखे हैं जो जंगल की तरह से हैं, जहां वह जानवर वगैरह चराते हैं या कुछ करते हैं, उसका अधिकार उनको बना रहे तो इस विधेयक में डिमरी साहब की मंशा का पूरा पूरा प्रतिपादन किया गया है । डिमरी साहब अगर धारा ६ को पढ़ लिये होते तो शायद उनको इस संशोधन के लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । धारा ६ की उपधारा (४) में स्पष्ट घोषणा है कि चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो, इस जमींदारी समाप्त होने के बाद भी प्राइवेट फारेस्ट पर जिसका कि अधिकार था उसका अधिकार बना रहेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि उनका यह संशोधन निरर्थक है और उन्हें इसको वापिस ले लेना चाहिये । इसके अतिरिक्त धारा ७ में भी यह लिखा हुआ है "एतत् पूर्व अध्याप्त किसी विज्ञापित क्षेत्र में किसी खायकरी भूमि पर स्थित सभी निजी कुएं, आबादी के पेड़ और सब इमारतें जो किसी हिस्सेदार खायकर या दूसरे व्यक्ति, चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता हो, की हों या उसके कब्जे में हों उसी हिस्सेदार, खायकर या अन्य व्यक्ति के, जैसी भी स्थिति हो, बने रहेंगे या उसके कब्जे में रहेंगे....."

तो धारा ७ में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आबादी के अन्दर भी प्राइवेट फारेस्ट हों या हिस्सेदार या किसी के कोई पेड़ हों तो उसका उनपर पूरा पूरा अधिकार बना रहेगा । आप देखेंगे कि धारा ६ और ७ में स्पष्ट घोषणा कर दी गई है कि प्राइवेट फारेस्ट ही नहीं वरन् प्राइवेट पेड़ों पर भी स्वामित्व सरकार ने स्वीकार कर लिया है, अतएव मैं नहीं समझता कि इस संशोधन के लाने की क्या आवश्यकता पड़ी । अच्छा होता यदि वह अपना संशोधन वापस ले लें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मुझे बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन कुछ सदस्यों और माननीय मंत्री जी की जी तकरीरें हुईं वे मेरी समझ में नहीं आईं । रावत साहब ने अभी फरमाया कि बहुत लोगों ने अपने नाम वन लिखा लिए हैं और यह करना बिलकुल नाजायज है । मेरा खयाल है कि सेटिलमेन्ट में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि बंजर जमीन पर कहीं वन रहा हो उसको लोगों ने अपने नाम लिखा लिया हो । यह हो सकता है कि पुराने सेटिलमेन्ट के वक्त से उसके नाम हो या एक्सटेंशन में काश्तकार की जमीन किसी के नाम में दर्ज हो । एक्सटेंशन वहां तब होगा जब जमीन नियमानुसार तोड़ी जायगी । कुमायूं वेस्ट लैंड और नयाबाद ऐक्ट ४८ में पास हुआ । सन् १९३१ से उसके रूल्स थे लेकिन ४८ में उसको कोडीफाई कर दिया गया । तो उसके मुताबिक काबिज किसी व्यक्ति को हक तभी हो सकता है जब कि नई काश्त अनमेजर्ड लैंड पर हो और असेस्ड के मुत्तसिल भी हो । वहां पर जितनी जमीन मेजर्ड है उसी पर लगान पड़ता है और उसी का नक्शा बन्दोबस्त में बनता रहा है । हम एक खेत से दूसरे खेत के बीच में कितनी बेनाप में तफावत है यह नक्शे से नहीं जान सकते, वह १० गज भी हो सकता है और १०० गज भी हो सकता है । मुमकिन है कि नक्शा छोटा होने के कारण उसने पास में भी दूसरा खेत दिखा दिया हो जो वास्तव में दूर है । रावत साहब मुझे माफ करेंगे, शायद वह अब हाई कोर्ट में वकालत करने लगे हैं इसलिये छोटी कोर्टों के कानून भूल गये हैं । कारण जो भी रहे हों, छोटी छोटी अदालतों में जब हम लोग काम करते हैं, वहां जिन कानूनों को काम में लाते हैं, उनमें लिखा हुआ है कि हर एक आदमी अनमेजर्ड लैंड पर वैसे ही अधिकार नहीं कर सकता है । लेकिन पहले तो यह था कि जितनी जमीन जो कमा लेता था वह उसकी हो

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

जाती थी । दूसरे अब कुछ रेस्ट्रिक्शन्स भी लगा दिये गये हैं कि कोई आदमी चौथाई एकड़ से ज्यादा एक्सटेंशन तीन साल में नहीं कर सकता है । कोई आदमी अगर किसी नाजायज प्रकार से कब्जा कर ले तो उस क्षेत्र के ए० आर० ओ० और सेटिलमेंट आफिसर उसका नाजायज कब्जा दर्ज कर सकते हैं । लेकिन चाहे कितनी ही इम्पार्टेंट बात हो लेकिन क्योंकि इधर से संशोधन आया है इसलिये केवल विरोध करने के लिये विरोध सरकार ने कर दिया । मैं माननीय मित्रों को बता देना चाहता हूं कि अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की है कि कोई जंगल वाली भूमि अपने नाम में लिखवा ली है तो वहां रह नहीं सकता है । भूमि उसे खाली करनी पड़ेगी ।

माननीय मंत्री जी और लहरी जी ने कहा कि वे प्राइवेट फारेस्ट को लेना नहीं चाहते हैं, इसलिये वनों को छोड़ दिया जाय । लेकिन यहां तो भूमि की डेफिनीशन दी गई है । भूमि की डेफिनीशन में वन भी शामिल हो ऐसा हो सकता है । अगर किसी भूमि पर से वन साफ हो गये हैं तो क्या वह भूमि नहीं रहेगी ? अगर सरकार ने प्राइवेट फारेस्ट को छोड़ दिया है, तो ठीक किया है । लेकिन यहां तो भूमि की परिभाषा दी जा रही है, उसमें यह नहीं है कि उसमें प्राइवेट फारेस्ट भी शामिल होंगे । माननीय डिमरी जी का जो प्रस्ताव है उसमें यह दिया हुआ है कि प्राइवेट फारेस्ट शामिल नहीं हैं । यही परिभाषा दी जा रही है, यह वनों की भूमि पर अधिकार नहीं दिया जा रहा है । आगे जो दिया हुआ है वह उसका आपरेटिव क्लाज है ।

माननीय लहरी जी ने क्लाज ६ (४) का हवाला दिया । वह इस प्रकार है--

"किसी क्षेत्र में जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक पर निजी जंगल रहा हो, किसी भी अधिकार पर और वह उसी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे में वर्तमान शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार बना रहेगा ।"

अब, मैं पूछना चाहता हूं , इसमें conflict कहां है ? एक स्थान पर डिफाइन कर रहे हैं, और दूसरे में अधिकार दिये जा रहे हैं ।

इसके बाद उन्होंने क्लाज ७ को पढ़ा, वह इस प्रकार है--

'एतत् पूर्व अध्याप्त किसी विज्ञापित क्षेत्र में किसी खायकरी भूमि पर स्थित सभी निजी कुएं, आबादी के पेड़ और सब इमारतें, जो किसी हिस्सेदार खायकर या दूसरे व्यक्ति चाहे वह किसी गांव में रहता हो या न रहता हो की हों, या उसके कब्जे में हों उसी हिस्सेदार, खायकर या अन्य व्यक्ति के, जैसी भी स्थिति हो, बने रहेंगे या उसके कब्जे में रहेंगे और सम्बद्ध क्षेत्र सहित उन कुओं या इमारतों के स्थल के विषय में यह समझा जायगा कि उनका बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उसके साथ ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर किया है, जो नियत किये जायं ।'

श्रीमान्, उसको भी मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ने की कोशिश की । इसमें लहरी जी को विरोधाभास कहां नजर आता है ? यानी पेड़ किसी आदमी में वेस्ट (vest) करता है और वह पहले से उसका प्रोप्राइटर रहा है तो वह उसका मालिक बना रहेगा । जहां पेड़ लगेंगे वहां जंगल होगा, जहां जंगल होगा वहां भूमि होगी । यानी किसी रूप में भी वह उसका मालिक हो जायगा तो दोनों में विरोधाभास आप कैसे पाते हैं । डिमरी जी का जो संशोधन है उससे तो वह बिल को और कम्प्रिहेंसिव बनाता है इसलिये विरोधाभास की कोई बात रहती नहीं है । जो माननीय मंत्री जी यह सोचते हैं कि जिन हिस्सेदारों को वे वन देना चाहते हैं उनसे बन छिन जायगा, मेरी नाचीज राय में ऐसा नहीं होगा, इसको उन्हें मान लेना चाहिये । (श्री डिमरी का नाम पुकारा गया ।)

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)--मुझे भी बोलने का मौका जरूर देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं पहले डिमरी जी को बुला चुका हूं, आपने देर कर दी ।

श्री घनश्याम डिमरी---अगर आप नौटियाल जी को टाइम दे दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने आपको मौका दिया है।

श्री घनश्याम डिमरी--मैं तो अर्ज करूंगा ही। श्रीमान्, मेरा जो संशोधन है वह सिर्फ इतना है कि खंड ३ के उपखंड (११) का अन्तिम वाक्य खंड "किन्तु इसमें वन सम्मिलित नहीं है" निकाल दिया जाय।

माननीय मंत्री जी ने प्राइवेट फारेस्ट के लिये कहा है और जैसा लहरी जी ने भी कहा है कि इनमें प्राइवेट फारेस्ट के लिये गुंजायश है। इसी चैप्टर के सेक्शन ६ (४) को देख लिया जाय जिसमें दिया हुआ है---किसी क्षेत्र में जो धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक पर निजी जंगल रहा हो, किसी भी अधिकार पर और वह उसी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे में वर्तमान शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार बना रहेगा। उसी चैप्टर २ के सब सेक्शन (७) का भी लहरी जी ने जिक्र किया जिसके जरिये लोगों को हकूक मिलेंगे। इस चैप्टर में जो परिभाषा दी गई है उसी की बाबत मैंने संशोधन पेश किया है। वह इस परिभाषा को किसी तरह से गवर्न नहीं करता बल्कि परिभाषा जो है वह सारे ऐक्ट को गवर्न करती है। क्योंकि परिभाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह ऐक्ट में हर जगह लागू होगा। इसलिये लहरी जी का जो तर्क है वह लागू नहीं होता। मेरा तो बहुत ही सिम्पुल निवेदन है कि इसको हटा देने में माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसको हटा देने से लोगों को सन्तोष रहेगा और प्राइवेट फारेस्ट वालों के सामने जो कठिनाइयां हैं वे भी दूर होती रहेंगी। इसलिये इसको मान लेने में माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर कैसर हिन्द जमीन होती और प्रोटेक्टेड जमीन होती तब तो डिप्टी कमिश्नर के अधीन जंगल होंगे, कम्युनल फारेस्ट भी कम्युनिटी के अधीन होंगे, रिजर्व फारेस्ट को छोड़ कर जो जंगल की भूमि होगी उसे तो हिस्सेदार एग्रीकल्चर के लिये भी इस्तेमाल कर सकता है तथा फारेस्ट के लिये भी इस्तेमाल कर सकता है। यह उसका जायज हक है, वह अपनी जमीन का मालिक है, चाहे खायकर हो या हिस्सेदार हो, किसी रूप में भी वह उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिये मैं मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि वह इस पर फिर विचार करें और मेरे संशोधन को मानने की कृपा करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय डिमरी जी की पहली और दूसरी तकरीर को समझने की कोशिश की। जो तर्क उन्होंने पेश किये उनसे यह मतलब निकला कि इस के द्वारा लोगों को कोई हानि या आघात न पहुंचे। हमारे माननीय लहरी जी ने जो एक बात बताई थी उस पर माननीय डिमरी जी ने ध्यान नहीं दिया। धारा ४ के (क) में अगर देखा जाय तो उस में शब्द लैंड है। "the rights, title and interests of *hissedar* in respect of *khaikari* land." यह सब चीजें वेस्ट हो जायेंगी लेकिन अगर हम 'लैन्ड' की परिभाषा में फारेस्ट रखते हैं तो वह सब फारेस्ट भी वेस्ट हो जायंगे जैसी कि मंशा हमारी है नहीं। हमारा खयाल है कि जिसके फारेस्ट हैं वे रहें और जो लाभ वह उठाते रहे वह आगे भी वनों से उठाते रहें। तो केवल इसमें जरा सी समझ का फेर है। क्या कहें हमारी ही समझ उल्टी होगी, हम उनकी बात को समझ नहीं पाते। हम तो यही समझते हैं कि यह संशोधन उनके खिलाफ जाता है कि जिनके हकूक की हम रक्षा करना चाहते हैं। अच्छा है कि डिमरी जी इसको वापस ले लें। वह तो एक रिप्यूटेड फेम के लाइर हैं, आशा है कि वह इसको समझ कर वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (११) का अन्तिम वाक्य खंड "किन्तु इसमें वन सम्मिलित नहीं है" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री प्रतापसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

खंड ३ के उपखंड (१७) की पंक्ति चार में से शब्द 'सीरतान' निकाल दिया जाय तथा उपखंड (१७) के उपरान्त निम्नलिखित नया उपखंड (१७-क) रख दिया जाय :---

"(१७-क) सीरताने का वही अर्थ होगा जो कि कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान विविध में उसे दिया गया है, और उसके अन्तर्गत सभी प्रकार के मारूसी गैर मारूसी, आधुनिक तथा नामधारी सीरतान हैं तथा ऐसे सभी आसामी भी हैं, जिन्हें सीरताने के नाम से वर्तमान भूमि अभिलेखों में दर्ज किया गया है।"

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उपखंड (१७) की ओर दिलाऊंगा जिसमें खाली 'सीरतान' शब्द है। वह इस प्रकार है "इस अधिनियम में' 'सीरतान' के वही अर्थ होगें जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से संबद्ध वर्तमान विधि में उन्हें दिये गये हैं।" -यानी कुमायूं में जो विधि लागू है उसी के अनुसार हमने यहां 'सीरतान' की परिभाषा रखी है लेकिन सरकार की ओर से जो संशोधन आया है उसे देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। जिन लोगों ने इस बिल को बनाया है मैं समझता हूं वह कमायूं की तमाम बातों को जानते थे लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सी चीजें छोड़ दी हैं। स्टुआर्ट मैनुअल के पेज ९७ पर साफ लिखा है कि आधुनिक, नामधारी और सेकिन्ड क्लास सीरतान क्या हैं। सरकार की तरफ से जो बिल आया है उसके भी खंड में दिया है कि वर्तमान विधि के अनुसार ४ प्रकार के सीरतान हैं। जब तक उन की कोई प्रत्यक्ष परिभाषा न होगी तबतक मैं नहीं समझता कि मंत्री जी जो बात बार बार चिल्ला कर कह रहे हैं वह किसी की समझ में आ सकती है। हम भी उन का भला चाहते हैं। आखिर सीरतान का मतलब क्या है? एक तो आपने परिभाषा साफ नहीं की इस बिल में और दूसरे कितने प्रकार के सीरतान वहां हैं .....

श्री उपाध्यक्ष---जब कुमायूं भूमि व्यवस्था में सीरतान डिफाइंड है और वह कह रहे हैं कि वही सीरतान हैं जो कुमायूं भूमि-व्यवस्था में है तो वह शब्द लेकर वाल्यूम बढ़ाने से क्या फायदा होगा, इस पर रोशनी डालें।

श्री प्रतापसिंह---जब एक काम्प्रीहेन्सिव ऐक्ट बन रहा है तो उसमें हम प्रत्यक्ष कर दें तो ठीक होगा। पहले हमारे यहां एक ऐक्ट था वह आउट आफ डेट हो गया, संभव है कि यह भी हो जाय। हम तो यह चाहते हैं कि जब एक काम्प्रीहेन्सिव ऐक्ट बन रहा है तो क्यों न उसे पूरी तौर से बनाया जाय। इन तमाम चीजों को मद्दे-नजर रखते हुए मेरी दरख्वास्त है कि मंत्रीजी इसको मान लें क्योंकि सीरतान की जो परिभाषा दी है उसमें कई चीजें हैं और वहां पर सीरतान एक नामिनल तरीके पर आ गया है। इसलिये वह हमारी नीयत और मंशा को समझें। वह जो यह कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं तो बदकिस्मती हमारी यह है कि हमारी आवाज जरा बुलन्द है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने यह नहीं कहा था कि आप चिल्ला कर बात कर रहे हैं। आपने कहा था कि मंत्री जी चिल्ला कर बात करते हैं। मैंने कहा था कि "चिल्लाकर" शब्द न इस्तेमाल करें तो शोभनीय होगा।

अभी हमने हिस्सेदार और खायकर की डेफिनीशन दी है जैसी कि मौजूदा कानून में है। इसी तरह से मैंने इसको भी रखा है कि जो इसका अर्थ मौजूदा कानून में लगाया जाता है वही अर्थ होगा। कोई वजह नहीं मालूम होती कि हिस्सेदार और खायकर के बारे में तो मौजूदा कानून के अनुसार करें और सीरतान के बारे में दूसरी एक लिस्ट दें। दिक्कत यह होती है कि कोई एक्जास्टिव डेफिनीशन नहीं हो सकती लिहाजा अगर वह ऐसे ही रह जाएंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो उनको दिक्कत हो जाएगी। जो डेफिनीशन मौजूदा कानून में दी हुई है वही रहनी चाहिये। कानून बनाने में अगर कहीं जरा सा भी ओमिशन हो गया तो सैकड़ों आदमियों का नुकसान हो जाता है और सैकड़ों का फायदा हो जाता है। इसमें फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान हो हो सकता है। कोई डेफिनीशन एक्जास्टिवली आप सीरतान की नहीं दे सकते हैं। न मालूम क्या और पैदा हो जाय, पहाड़ों पर तरह तरह के पैदा हुआ करते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे मित्र इसे वापस लेंगे और मैं बहुत नम्र और मीठे शब्दों में कहता हूं कि वह इसे वापस ले लें।

*श्री हरिदत्त काण्डपाल—श्रीमन्, जिन लोगों के लिये यह कानून बनाया जा रहा है, जिनको राहत देने के लिये बनाया जा रहा है, उनकी डेफिनीशन होनी निहायत जरूरी मालूम होती है। मेरा मंत्री जी से यह आग्रह है कि अगर्चे आज यह धारा पास न होती हो तो इसमें इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि इसको जल्दबाजी में पास करने से होगा।

मेरा सुझाव है कि दोनों तरफ के लोग अगर बुला लिये जायें और गम्भीरता पूर्वक विचार कर लिया जाय.....

श्री उपाध्यक्ष—आप का खयाल है यह खंड सेलेक्ट कमेटी को फिर भेज दिया जाय? (हंसी)।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—सेलेक्ट कमेटी को नहीं। मेरा मतलब यह है कि कल जब बिल पर बहस हो तब तक इस पर विचार हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिनका जिक्र उद्देश्य और कारण में दिया गया है "अ ततः सबसे कमजोर श्रेणी के कृषकों को स्थायी अधिकारों का प्रदान करना" इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। जिसका मतलब यह है कि जिनको सिरतान कहा जाता है उनको राहत देने के लिये यह बिल लाया गया है। कुमायूं में सिरतानों की जो हालत है, सरकारी आंकड़ों से जाहिर है कि ४ फीसदी लोग सिरतान हैं बाकी या तो खायकर हैं या हिस्सेदार हैं। पहले नम्बर के हिस्सेदार दूसरे खायकर और तीसरे नम्बर सिरतान हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा कि इसमें जिक्र है कि अभी तक जो कुमायूं में विधियां लागू हैं वही सिरतानों के लिये लागू समझी जायेंगी यह उन्हों ने दलील दी सिरतानों की डेफिनेशन न जोड़ने के लिये, मेरा कहना है कि सिरतानों की कोई डेफिनीशन नहीं है, कोई टेनेन्सी ला कुमायूं में मुस्तकिल अभी तक नहीं है और अभी तक जिन कानूनों के मातहत वहां की टेनेन्सी गवर्न की जाती थी उनमें कोई ला का फोर्स नहीं था। सिरतानों के बारे में जब अदालतों में मुकदमे आये तो एक मत से कोई फैसला नहीं है। लिहाजा ऐसी शक्ल में कहा नहीं जा सकता कि सिरतान क्या हैं। हम किस विधि को मानेंगे। अगर आप केस ला देखेंगे, किस्म किस्म के फैसले जो अदालतों से हुये हैं वह नजर आयेंगे दूसरे जिन लोगों ने विधेयक बनाया है उनको पहाड़ों की हालत का कितना तजुर्बा है यह 'सिरतान' शब्द से ही मालूम होता है। शुद्ध शब्द "सिरतान" है और सीरतान से कुछ लोग ऐसा मतलब लगाते हैं कि सीर से कुछ उनका तालुक है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह शब्द ही 'सिरतान' है।

श्री उपाध्यक्ष—आप क्या कहना चाहते हैं मेरी समझ में अभी तक नहीं आया?

श्री हरिदत्त काण्डपाल—मैं कहना चाहता हूं कि सिरतान की कोई साफ डिफिनीशन नहीं है और अगर उसकी परिभाषा नहीं दी जायगी तो झगड़े पैदा होंगे और जिन लोगों को राहत देने के लिये यह बिल लाया जा रहा है उन्हीं के लिये यह सरदर्द हो जायगा। इसलिये डेफिनीशन जरूर दी जाय जिसकी मैं पृष्ठ भूमि पेश कर रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिदत्त काण्डपाल]

अभी पिछले दिनों रिकार्ड आपरेशन हमारे यहां हुआ था जिसमें नये सिरे से जमीन की पैमाइश हुई है। उसमें लोगों ने यह कोशिश की है और मेरी जानकारी में मेरे ही गांव में एक आदमी हैं जो सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, हमारे यहां बड़े हिस्सेदार के माने हैं १५ रुपया साल भर में जो लगान देता है वही बड़ा हिस्सेदार माना जाता है, तो उसके बाप दादा ने कभी कोई जमीन अदल बदल की थी तो रिकार्ड आपरेशन के समय उसमें उस बदले की जमीन को, चूंकि पास परमानेंटली रहे और कब्जे के मुताबिक सिरतान माना जायगा और वह भूमिधर हो जायगा लिहाजा उसने कोशिश की कि वह जमीन बदले की न लिखवाये बल्कि उस कागजों में यह लिखवाये कि वह सिरतान है। लेकिन उसने अपने को सिरतान दर्ज करा रखा है। अगर यहां सिरतान की डिफिनीशन नहीं करते तो ऐसे आदमी इस से फायदा उठा सकते हैं जिनको फायदा नहीं उठाना चाहिये। पहाड़ों की व्यवस्था में आप देखेंगे कि एक ही आदमी हिस्सेदार होगा खायकर होगा और सीरतान भी होगा। लेकिन सीरतान बहुत कम मिलेंगे। लिहाजा उनको राहत मिलना चाहिये लेकिन इसके लिये जरूरी है कि सीरतान की डिफिनीशन को हम इस विधेयक में रखें। एक सीमा मुकर्रर हो जानी चाहिये कि जिसके पास हिस्सेदारी और खायकरी की इतनी जमीन है तो वह सीरतान नहीं माना जायगा।

हम जमींदारी का विनाश कर रहे हैं। नारायणदत्त जी ने इस पर काफी प्रकाश डाला कि जमींदारी शब्द का क्या तात्पर्य है और जमीन्दार किसको कहते हैं। विनाश का कानून जो लाया जा रहा है वह १ पैसे से लेकर १०, २० रुपये सालाना जो लगान देते हैं सबके लिये लाया जा रहा है। १०० रुपये लगान देने वाले मुश्किल से एक जिले में २, ४ मिलेंगे। लेकिन सबको जमींदार कहा जा रहा था। जमीन्दार खायकर भी हैं, सीरतान भी हैं। हम को आश्वासन यह दिया गया कि पुरानी जो विधियां लागू हैं उनमें जो परिभाषा है वही परिभाषा रखेंगे; लेकिन मुझे यह ज्ञात है कि पुरानी कोई परिभाषा है ही नहीं। अगर कोई परिभाषा होती तो कम से कम जो केस ला हैं उनमें एक से फैसले होते। हाई कोर्ट तक विभिन्न फैसले हुये हैं। मेरा निवेदन यह है कि अगर सीरतानी की परिभाषा इसमें नहीं की जाती तो एक और दोष इसमें आ जायगा। बड़े लोग जो वास्तव में सिरतान हैं वे फायदा उठा लेंगे लेकिन छोटे लोग फायदा नहीं उठा पायेंगे, वे नुकसान में रहेंगे।

एक बात यह भी है कि कुमायूं में जितनी भूमि है उसे देखते हुये यह निहायत जरूरी हो जाता है कि वहां के रहने वालों की बसर के लिये वह काफी हो ....

श्री उपाध्यक्ष—आप अब जनरल डिसकशन न करें। सीरतान के बारे में स्थिति काफी स्पष्ट हो चुकी है।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—अब मैं बैठने जा रहा हूं।

श्री रामप्रसाद नौटियाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक का यही मकसद है कि जिन लोगों का पीढ़ियों से शोषण हुआ है उनको राहत मिले। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जिन लोगों का शोषण हुआ है जिन्हें दबाया गया है उनको वह राहत मिलनी चाहिये जो दूसरे मुल्क के बड़े बड़े सरमायादारों को है। कानून हमारा इस प्रकार से बनना चाहिये कि जिससे दबे हुये लोगों को राहत मिले।

जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रकट किये हैं उन्होंने अपनी-अपनी बातें कहीं हैं लेकिन सच्चाई को कहने से वे हिचक रहे हैं। मैं समझता हूं कि पार्लियामेन्टरी भाषा का प्रयोग अवश्य होना चाहिये लेकिन साथ-साथ यह भी देखना चाहिये कि इस भाषा से हम कितनी राहत मुल्क के लोगों को पहुंचा रहे हैं। अभी सीरतान का जिक्र करते हुए कहा गया कि इतने किस्म के सीरतान होते हैं। जैसा कल मैंने अपने भाषण में कहा था सीरतान, मौरूसी सीरतान, कटियार, नटिया, ढटिया इतने किस्म के किसान कुमायूं

में होते हैं। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि एक गांव हिस्सेदारों का है। उसमें कुछ खायकर और कुछ सिरतान भी हैं। लेकिन हैं सब उन्हीं हिस्सेदारों के अधीन और उन्हीं हिस्सेदार लोगों के उपभोग के लिये उनको वहां रखा गया है। तो आज जरूरत इस बात की है कि इस कानून के द्वारा उन लोगों को तमाम राहत मिले। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि सब को समान अधिकार मिलें क्योंकि आज जरूरत इस बात की है कि इस मुल्क के तमाम रहने वालों को भोजन मिले, रोजी, रोटी और शिक्षा मिले। दूसरी बात नहीं होनी चाहिये।

श्री जगन्नाथ लहरी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि प्रतापसिंह जी इस संशोधन द्वारा आखिर चाहते क्या हैं जब कि वह स्वयं यह लिखते हैं कि खंड ३ के उपखंड (१७) की पंक्ति (४) में से शब्द "सिरतान" निकाल दिया जाय; तथा उपखंड (१७) के उपरान्त निम्नलिखित नया उपखंड (१७-क) रख दिया जाय :

"सिरतान का वही अर्थ होगा जो कि कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है ....."

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन इस सदन में पेश हो चुका है उसे न पढ़िये।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं यह कह रहा था कि पहले तो इस सीधे-सादे विधेयक की उक्त धारा में जो सिरतान शब्द रखा गया है उसको निकालने की मांग कर रहे हैं और उसके बाद सिरतान की एक नयी व्याख्या हो रही है और वह व्याख्या भी उसी खायकर की तरह से हो रही है, जैसे कच्चे खायकर और पक्के खायकर, आदि। श्रीमन्, आज से कुछ दिन पहले इस सदन में हिन्दू धार्मिक अपव्यय निवारण विधेयक आया था। अगर उसमें भी इस सदन के सदस्य इस तरह के संशोधन पेश करने लगते कि हिन्दू क्या है तो अजीब बात होती। क्योंकि हिन्दू की डेफिनीशन बिलकुल क्लियर है कि मुस्लिम और ईसाई धर्मों को छोड़ कर इस देश में जितने भी धर्म प्रचलित हैं उन सब को मानने वाले हिन्दू हैं।

सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक के अनुसार कच्चे, पक्के, सभी प्रकार के खायकरों को जमींदारी समाप्त होने के बाद भूमिधरी राइट्स प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त सिरतानों को जिस दिन जमींदारी समाप्त हो जायगी सीरदार के अधिकार प्राप्त हो जायंगे और सरकार की एक विशेष आज्ञा द्वारा सिरतानों को बेदखल नहीं किया जा रहा है। सिरतान का मतलब है टेनेन्ट ऐट विल। वह हिस्सेदार की मर्जी पर खेती करता है। तो जो टेनेन्ट ऐट विल सिरतान हैं उसमें भी उन्होंने मौरूसी, गैरमौरूसी, नामधारी, न मालूम किस तरह के सिरतान ईजाद करके रख दिये। इसका मतलब यह होगा कि अगर इनके अलावा कोई दूसरे ढंग के सिरतान भी पहाड़ में हैं तो वे इस परिभाषा में नहीं आयेंगे। ऐसी हालत में, जैसा कि अभी कहा गया, कि यह कानून अल्ट्रावायरस डिक्लेयर हो जायगा, तो फिर भी तो अल्ट्रावायरस डिक्लेयर हो जायगा। जैसा कि इस विधेयक की धारा ४० में आगे चल कर व्याख्या की गयी है और धारा ३६ में जो १५ गुना जमा करने के बाद सीरदार के अधिकार प्राप्त कर लेंगे। इन सबको सीरतान की डेफिनीशन में रखा गया है तो आज उन सब व्यक्तियों को जो सरकार की विशेष आज्ञा द्वारा बेदखल नहीं किये जा रहे हैं लेकिन सीरतान और नये नये सीरतान यह हिस्सेदारों और खायकरों की मर्जी के ऊपर हैं और जिस दिन चाहें बेदखल कर देंगे। अगर इसी सीरतान की डेफिनीशन में नये सीरतान रख लें तो वह आसामी की डेफिनीशन में आयंगे और उनको २५ गुना देना पड़ेगा। इसलिये जो १५ गुने और २५ गुने की सुविधा दी गई है उसको देने के बाद उनको भूमिधर के अधिकार प्राप्त हो जायंगे। अगर इस संशोधन को मान लेते हैं तो अड़चन पैदा होगी। इसलिये मैं अपने साथी प्रतापसिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को रबड़ की तरह से खींचने की कोशिश न करें और इन शब्दजालों में फांसने की कोशिश न करें। सिर्फ सीरतान ही रहने दें और चाहे जो भी हो और कहीं शैतान के चक्कर में न फंस जांय। इसलिये मैं कहता हूं कि सीरतान ही बना रहने दे और अपने संशोधन को वापस ले लें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे विचार से यह अत्यन्त आवश्यक है कि सीरतान की सही परिभाषा की जाय क्योंकि जिस वर्ग को हमें राहत पहुंचानी है उसमें एक सीरतान है और दूसरा खायकर वर्ग है। खायकर की तो परिभाषा मंत्री जी ने कर दी है और उसको एक अलग खंड दिया है। माननीय सदस्य देखेंगे कि इसकी परिभाषा है कि "खायकर का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है और उसके अन्तर्गत टेहरी गढ़वाल के मौरूसीदार अथवा हलबंदी, माफीदार, उसकी भूमि के उस भाग के संबंध में जो किसी खायकर के पास न हो भी है।"

इसी प्रकार हिस्सेदार की भी परिभाषा की गई है। इसमें कुमायूं विधि के रहते हुये भी असकोट के गुजारेदार महाराज और टेहरी गढ़वाल के "पदचार गांव" के माफीदार यानी गांव तक के नाम दिये गये हैं। इसकी परिभाषा इतनी स्पष्ट की गई है कि टेहरी गढ़वाल का कोई गांव है उस तक का नाम अलग से दिया गया है। यह विडम्बना, श्रीमन्, देखें कि इसमें कितना असंतुलन है। एक तरफ तो डेफिनीशन इतनी ब्योरेवार बनाई कि गांव तक का नाम दे दिया और दूसरी ओर इतनी लचीली बनायें जिसका कोई अर्थ ही न रहे। जैसे लोहे की खान की परिभाषा के लिये हम कह दें कि लोहे की खान का पहाड़। इस तरह की परिभाषा से काम नहीं चलेगा। इसलिये जिस तरह से हिस्सेदार को परिभाषित किया है, खायकर को किया है उसी प्रकार से इस संशोधन के द्वारा यह चेष्टा की गई है कि सीरतान शब्द की परिभाषा की जाय और मंत्री जी ने परिभाषा रखी है वह तो है ही।

मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे कि संशोधन का जो पहला हिस्सा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि सिरतान का वही अर्थ होगा जो कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है। जो पास्त्रिलिटी मंत्री जी कहते हैं, वह इसमें है, यानी इसमें कोई खतरा नहीं है कि कोई बच जायगा। मंत्री जी की परिभाषा को स्वीकार करते हुये इसको और स्पष्टता दे दी गई है और लिख दिया है कि "उसके अंतर्गत सभी प्रकार के मौरूसी, गैर मौरूसी आधुनिक और नामधारी सिरतान हैं।" मैं अपने मित्र माननीय लहरी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुमायूं की भूमि-व्यवस्था में इतनी दिलचस्पी दिखाई है और मुझे आशा है कि नियम बनाते समय भी उनकी हमें मदद मिलेगी। लेकिन यह जो "मौरूसी, गैर मौरूसी, आधुनिक और नामधारी सिरतान जो रखे गये हैं वह इसलिये रखे गये हैं कि यह स्पष्ट हो जाय। जैसे गांव का नाम लिखा गया है और महाराजा टेहरी गढ़वाल का नाम लिखा गया है। वह बहुत बड़े हिस्सेदार हैं, उनका नाम भी रखा गया, क्या उनका नाम बंदोबस्त में नहीं है? क्या लोग जानते नहीं हैं कि सारी भूमि उनकी है? लेकिन उसे अलग व्यक्तिगत रूप से लिखा गया और पदचाप गांव का अलग से नाम लिखा गया। तो क्या कारण है कि मौरूसी, गैर मौरूसी, और नामधारी सिरतानों का नाम अलग न लिखें?

पजेक्सिबिलिटी में खतरा भी होता है। जिन को हम राहत पहुंचाना चाहते हैं कभी कभी वह छूट भी जाते हैं। सिरतान की कुमायूं लाज में चार परिभाषायें हैं, सेटिलमेंट में कुछ परिभाषा है, जो रोकना चाहते हैं, उसमें टिनैंट ऐट विल है, स्टावेल मैनुअल में कुछ है। तो अगर कुमायूं लाज हाई कोर्ट में इंटरप्रेट होने के लिए जायंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। मौरूसी, गैर मौरूसी और नामधारी की अलग अलग कैटेगरीज हैं। सभी सिरतान इसमें हैं। इसमें वे भी हैं जिन्हें सिरतान के नाम से भूमि लेखों में दर्ज किया गया है। इससे अधिक सफाई क्या की जा सकती है? अगर माननीय मंत्री जी को परिभाषा को स्पष्ट करने पर ऐतराज है तो वह कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि हमारे सदन ने कई जमींदारी उन्मूलन विधेयक पास किये-उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन विधेयक, जौनसार भाबर जमींदारी उन्मूलन विधेयक, और रामपुर का विधेयक । उन सब में टेनैंट की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि १९५१-५२ में जो हमने जमींदारी अबालिशन बिल पास किया उसमें कहीं भी यह लिखा गया है कि टेनैंट का मतलब वही है जो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में लिखा है ! इतनी वेग फ्लेक्सिबिल परिभाषा टेनैंट की कहीं भी नहीं है । [जब हिस्सेदार और खायकर की परिभाषा अलग से करना आवश्यक समझा गया तो उतना ही आवश्यक सिरतान की परिभाषा अलग से करना है ।

इस भावना के साथ मैं पुनः मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरी गुस्ताखी माफ करें, मैं जोर से बोल रहा हूं, यह स्वाभाविक है । मैं जोर से बोला ही करता हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आपके बोलने से हम को तकलीफ नहीं होती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---बड़ी कृपा है, आपकी । सिरतान की परिभाषा रखी है उन्होंने । वह नहीं कह सकते कि नहीं रखी है । लेकिन उसको इतना फ्लेक्सिबिल न बनाएं ।

***श्री प्रतापसिंह**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां इस बात की खुशी है कि हमारे लहरी जी ने हमारे सब संशोधनों पर बोलते हुए यह कोशिश की, कि वह कुमायूं की व्यवस्था को समझें, वहां उन्होंने हमारा विरोध भी किया । लहरी जी ने जमाना देखा है जब लहरी जी एक तरफ और सारी गवर्नमेंट एक तरफ । उनको तो कुछ इसकी आदत है । लहरी जी ने कहा कि कई प्रकार के सिरतान होंगे । मैं उनको बताऊं कि जो सिरतान माने गये हैं, उन की परिभाषा क्या है । पेज ९७ पर मौरूसी सिरतान की परिभाषा यह है :—

"*The old maurusi sirtan*—This is the original *sirtan* to whom Colonel Gowan referred in 1837 as being "generally permanent" (Pauw, paragraph 41). In the cases where big *hissedari* families hold considerable areas of land which are too large to cultivate as *khudkasht* and are not held by *sirtan* families for several generations at a fixed rent or a rent only varied at settlement."

दूसरा मार्डन सिरतान है उसकी परिभाषा यह है:—

"Secondly, there is the modern "*sirtan* proper", a tenant-at-will holding under an agreement sometimes written and sometimes verbal, of recent date."

जैसा कि उन्होंने टेनेन्ट एट विल का जिक्र किया । फिर ऐसे लोगों में सिरतानों की तीसरी क्लास है :

"The third class of *sirtan* consists of *doms* who are primarily artizans, village servants, ploughmen and the like, and who are sometimes given a little land to cultivate free of rent, or at a nominal rent, in return for their services."

मान्यवर, यह तीन तरीके के सिरतान हैं । आज इस बिल के जरिये से उनके लिये प्रोटेक्शन होगा । जिन लोगों ने उनका खयाल किया है उसमें इधर के लोग भी हो सकते हैं और उधर के लोग भी हो सकते हैं । इन लोगों ने पहले उनको परेशान किया और बाद को सोचा गया कि ऐसे लोगों के लिये ऐसा बिल लाया जाय जिससे उनको प्रोटेक्शन मिल सके । मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रतापसिंह]

तो ताज्जुब हुआ कि उधर बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं बलदेव सिंह जी आर्य, डिप्टी मिनिस्टर हैं, भंडारी जी हैं, नरेन्द्र सिंह बिष्ट जी जैसे लोग हैं। इन लोगों ने विवाद में हिस्सा नहीं लिया। उनको बताना चाहिये था अगर हम गलती करते हैं या माननीय मंत्री जी को गुमराह करते हैं। शुक्ल जी को भी कोशिश करनी चाहिये थी, मगर वह तो कानून बनाते हैं। पर्वतीय प्रदेश के विद्वान लोगों को बताना चाहिये था कि हम क्या गलत बात कहते हैं। हम तो यह समझते हैं कि इस तरह से सिरतानों की परिभाषा नहीं होनी चाहिये। अगर ऐसी बातें माननीय मन्त्री जी कहेंगे तो हम उनको बलदेव सिंह जी आर्य की सन् १९५७ की स्पीच याद दिलायेंगे जब कि उन्होंने इन्हीं बातों को कहा था, जब कि वह यहां पर जनरल डिस्कशन पर बोल रहे थे। जिन बातों को आर्य साहब ने कहा था उन्हीं को हमने इस संशोधन के रूप में रख दिया है। तो हमने क्या विरुद्ध बात कही। मैं अधिक समय बरबाद नहीं करना चाहता लेकिन यह फिर कहूंगा कि मन्त्री जी इस पर विचार करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने अभी कहा कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर बलदेवसिंह जी आर्य को कहना चाहिये कि प्रतापसिंह जी हमको धोखा दे रहे हैं। वह समझते हैं कि मैं किसी के धोखे में नहीं आ सकता। इसलिये उनको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है।

जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है, जैसा कि १७ उपखंड में सिरतान की डेफिनीशन है वह इस मौजूदा ला के मुताबिक है। वही ठीक है। अब इसमें और संशोधन लाकर कुछ और तब्दीली की जाय इसकी जरूरत नहीं मालूम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मुसलमान की डेफिनीशन करें तो उसमें अन्सार की अलग डेफिनीशन करें, शेख की अलग करें, पठान की अलग करें जो कि मुनासिब नहीं मालूम होती है। अगर हिन्दू की करें तो उसमें भी वैश्य की अलग करें, ब्राह्मण की अलग करें, क्षत्री की अलग करें, तो यह उचित नहीं है। हिन्दू लिखने से सब उस में आ जाते हैं। इसके लिये अलग अलग डेफिनीशन करना मुनासिब नहीं मालूम होता है। एक सिरतान लिख देने से सभी सिरतान आ जायेंगे। लिहाजा मैं समझता हूं इसकी जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१७) की पंक्ति ४ में से शब्द "सीरतान" निकाल दिया जाय तथा उपखंड (१७) के उपरान्त निम्नलिखित नया उपखंड (१७-क) रख दिया जाय:

(१७-क)---"सिरतान का वही अर्थ होगा जो कि कुमायूं डिवीजन में लागू भूमि-व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान विधि में उसे दिया गया है और उसके अन्तर्गत सभी प्रकार के मौरूसी, गैरमौरूसी, आधुनिक तथा नामधारी सिरतान हैं तथा ऐसे सभी असामी भी हैं जिन्हें सिरतान के नाम से वर्तमान भूमि अभिलेखों में दर्ज किया गया है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१७) के पश्चात् एक नया उपखंड १७-अ जोड़ा जाय ---

"१७-अ---सिरतान का अर्थ है जो व्यक्ति पैमाइशी कागजात में कब्जेदार के खाते में दर्ज हो अथवा पिछले २० वर्षों से किसी जमीन में इसी नाते काबिज हो:

प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यक्ति निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व किसी खाते या गाटों का हिस्सेदार किसी विधि या दस्तावेज द्वारा न हो गया हो।"

इस संशोधन की क्या गति होगी मैं इस बात को जानता हूं फिर भी मैं मन्त्री जी की सेवा में २२ लाख कुमायूं के लोगों की आवाज सुनाना चाहता हूं। चाहे वह इसको सुनें या नहीं। उनके प्रतिनिधि होने की हैसियत से वहां के गरीबों के जजबात को .....

श्री जगन्नाथ लहरी---यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह हमें भी दिला दिया जाय। उसकी एक प्रति हमें मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---सरकार के पास तो है। आप विष्ट जी से ले लें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, इस के समर्थन में मैं सब से पहले श्री नरेन्द्र सिंह जी विष्ट को लिखी हुई बात पढ़ना चाहता हूं और उस परिभाषा को मंत्री जी के पेशेनजर करना चाहता हूं। वह अब उप-मंत्री भी हो गये हैं उसको लिखने के बाद।

श्री हुकुमसिंह बिसेन---आप भी होना चाहते हैं?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---हम वह नहीं होना चाहते। होना होगा तो चीफ मिनिस्टर होंगे और उस दिन भुखमरी नहीं रहेगी।

श्री हुकुमसिंह बिसेन---गंजे को नाखून नहीं होते।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---कहावत है---'बन्स ए मार्गेज आलवेज ए मार्गेज'। मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि माननीय उपमंत्री पर हमेशा यह बात लागू रहे। मैं उनके साथी की विमति टिप्पणी तीसरे पेज पर पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:

> "सीरतान वह काश्तकार होगा जो कि वर्तमान बन्दोबस्ती कागजातों में दर्ज है और जो इस विधेयक के लागू होने से ५ वर्ष पूर्व से निरन्तर उस हैसियत से उस भूमि पर काबिज है और काश्त करता आया है।"

श्रीमन्, यह उन्होंने जरूरी इसलिये समझा कि उन्होंने लिखा है कि---"मैं इस समस्त विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के संशोधनों सहित कुमायूं में लागू करने के अनुपयुक्त समझता हूं क्योंकि इस से वहां की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा। अतः मेरा प्रस्तुत विधेयक से मौलिक मतभेद है।"

"मेरे विचार से इसकी धाराओं के अन्तर्गत जो दो प्रकार के (खायकर व सीरतान) मुख्य काश्तकार होते हैं उनके द्वारा उचित मुआविजा देने के पश्चात् उन्हें हिस्सेदार बनना चाहिये और हिस्सेदारी प्रथा पूर्ववत् बनी रहनी चाहिये। खायकरों की सूची तो कागजातों में बनी हुई है और सीरतानों की भी कुछ जिलों में बनी हुई है, जहां पर नहीं है वहां के लिये सीरतान की परिभाषा निम्नलिखित रूप से की जा सकती है"। यह परिभाषा मैं पढ़ चुका हूं।

तो मैंने इस में कोई नयी बात नहीं रखी है। सरकारी पक्ष के जो एक मंत्री हुए इसको लिखने के बाद और उनकी काबलियत सरकार ने आंकी। मैं भी मानता हूं कि वे वकील हैं, वकालत भी जानते हैं और किसान की बातों को भी जानते हैं। उन्होंने यह चीज रखी और बहुत सोच विचार के बाद रखी। जो वस्तु स्थिति है उसमें मैंने कोई नयी बात नहीं रखी है। मेरा भी कहना है कि जो प्रताप सिंह जी ने अभी सीरतान के बारे में बतलाया और उसकी डेफनीशन के लिये कहा, वह भी ठीक नहीं है। जैसे कोई बारात ले जाना हो और पता न हो कि दूल्हा कौन है, वैसी ही यह बात भी है। आप सीरतानों का भला करने जा रहे हैं लेकिन वह सिरतान कौन हैं इसका पता इसमें वर्तमान विधेयक से नहीं लग पाता। इस बात को ले कर बड़े झगड़े खड़े होंगे और आगे बड़े मतभेद हो सकते हैं। अगर बिल को एक दुविधाजनक चीज आप बनाना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो। स्टावल मैनुअल में एक तो नामिनल सीरतान है जिसको सीरतान माना नहीं गया और इसके लिये मैं स्टावल मैनुअल के १०८ पेज पर से थोड़ा सा उद्धरण देना चाहता हूं:

"The third class of *sirtans* consists of *doms* who are primarily artizans, village servants, ploughmen, and the like, and who are sometimes given a little land to cultivate free of rent or at a nominal rent in return for their services. Compare Mr. Goudge as quoted above. They are not really—agricultural tenants and they form an insignificant class."

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

श्रीमन्, इसकी मौजूदा बिल में आज व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें सीरतान की सही परिभाषा होनी चाहिये। अगर इसकी परिभाषा नहीं होती है और माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि जैसा बिल में है वही रहे तो जिस समय लोग कोर्ट में जायेंगे उस समय बिल को चैलेन्ज किया जायेगा। आखिर टेनेन्ट तो उसी को कहते हैं जो एग्रीकल्चरल टेनेन्ट होता है, जो जमीन को जोतता है। मगर पहाड़ में हलिया एक मजदूर भर होता है। हलिया वह होता है जो हल चलाता है। केवल मजदूर होता है जो केवल मजदूरी पर काम करता है। जिसके पास नकद देने को नहीं होता है वह, श्रीमन्, जिस हलिए से कुछ काम कराता है उसको नगद मजदूरी के बदले में कुछ जमीन दे देता है।

अब श्रीमन्, सीर के बारे में देखा जाय। सीर यू० पी० ऐक्ट में वह लैंड होती है जिस पर मालिक खुद काश्त करता हो या करता रहा हो। मैं इसकी धाराओं को नहीं पढ़ता हूं, उनमें इसकी लम्बी चौड़ी परिभाषा है मैं उनको नहीं पढ़ता हूं लेकिन उनमें एक क्लाज़ सर्वोपरि है। चाहे सेक्शन ४ आगरा टेनेन्सी ऐक्ट की हो, चाहे दफा ३ की उपधारा (१७) अवध रेंट ऐक्ट की हो, उन सब में एक सी व्यवस्था है। तो मैं यह बताता हूं कि १९०२ से पहले तक यह था कि चाहे जमींदार भूमि खुद कमाता हो, यानी चाहे वह अपने हल बैल खुद चलाये या वह अपने किसी नौकर द्वारा चलवाये या वह किसी मजदूर को भेजे, तीनों परिस्थिति में से किसी परिस्थिति में भी वह आदमी स्वयं कमाता रहा ऐसा माना गया है और उसको सीरदार मान लिया गया है। पहाड़ में हलिए का मुख्य पेशा तो हल चलाना ही है। अगर किसी हिस्सेदार के पास नकद पैसा नहीं है तो वह क्या करता है कि उसकी एवज में दो खेत दे देता है। यानी नकदी में नहीं देता उसकी एवज में काइन्ड में दे देता है।

एक सदस्य---कुछ समझ में नहीं आता यह कह क्या रहे हैं?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, ऐसी अवस्था में वह अपने मजदूर को हल चलाने के एवज मजदूरी इनकाइन्ड देता है, नकद नहीं, और इस तरह से अपना काम चला लेता है। तो उसको प्योरली टेनेन्ट की संज्ञा देने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह सही है कि बिल में टेनेन्ट की क्या व्याख्या होनी चाहिये और इसके आधार पर माननीय नरेन्द्रसिंह बिष्ट जी ने जो कहा वह बिलकुल ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं, बाकी आप कल कहें।

इस समय तक इस बिल पर ८ घंटे १६ मिनट बहस हो चुकी है, ७ घंटे ४४ मिनट रह गये हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---आज तो १ बजे से शुरू हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---उसका हिसाब है। ७ घंटे ४४ मिनट रह गये हैं।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३ मई, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर नीचे पृष्ठ २१८ पर)

		मस्टर रोल पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या	वर्क चार्ज पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या	रेगुलर स्टैबिलिशमेंट में माहवारी काम करने वालों की संख्या
१		२	३	४
१—धौरा डैम किछा, नैनीताल	..	४०	१५८	४६
२—नानक सागर, नैनीताल ..	..	४५	२८३	१६०
३—सारदा सागर, पीलीभीत	..	..	४८०	१२८
४—तुमड़िया डैम, नैनीताल ..	..	१५	२४१	१४१
योग	..	१००	१,१६२	४७५

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२३ पर)

दोहरघाट पम्प कनाल पर शासकीय विज्ञप्ति संख्या १५७९ डब्ल्यू/२३ ६३ डब्ल्यू १९४६, दिनांक ३१ मार्च, १९५३ की अनुसूची १ में दी हुई दरें लागू हैं जो निम्न प्रकार हैं—

	महसूल प्रति एकड़	
	Flow	Lift
	रुपया	रुपया
ईख	३२	१६
धान, तरकारी, बाग, सिंघाड़ा, पोस्ता ..	१४	७
तम्बाकू	१६	८
चारे की फसलें	३	१.५०
हरी खाद	२	१
अन्य खरीफ फसलें	७	३.५०
गेहूं, जौ तथा उनसे सम्मिलित फसलें ..	१२	६
अन्य रबी	९	४.५०
कपास	४.५०	२.५०

ऊपर की दरों पर ३ आना प्रति रुपया छूट (rebate) भी दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३१ पर)

श्री नगर ताल की मूल योजना १९५५ में निम्नलिखित आधार पर तैयार की गई थी।

(अ) इसके अन्तर्गत डांडा तथा रोहिन नहरों की आवश्यकतापूर्ति के पश्चात् डांडा तथा रोहिन नदियों के पानी को श्री नगर ताल में एकत्रित करने की योजना थी जिससे इस ताल से पूरे वर्ष भर पानी उपलब्ध हो सके।

(ब) ताल की सतह को २ फीट ऊंचा करके इसकी पानी इकट्ठा करने की ४,७०० एकड़ फीट की क्षमता को बढ़ाकर ८,३०० एकड़ फीट कर दी जाय।

इस योजना पर अब तक ५६,३५५ रुपया व्यय हो चुका है।

उद्धार प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३४ पर)

कानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, इटावा, फैजाबाद, आगरा में बाईपास बनाने के कार्य की प्रगति ।

कानपुर बाईपास—एलाइन्मेन्ट प्लान केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा गया है ।

शाहजहांपुर बाईपास—केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि कार्य की स्वीकृति होने से पूर्व इस बाई पास के सिलसिले में बनने वाले पुलों के स्थान को पहले निश्चय कर लिया जाय ।

सीतापुर बाई पास—यह कार्य नेशनल हाई वे की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित कर लिया गया है ।

इटावा बाईपास—संरेखण के बारे में जांच पड़ताल हो रही है और प्लान तैयार किया जा रहा है ।

फैजाबाद बाईपास—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये भूमि प्राप्त करने का आयोजन था जिसके प्राक्कलन पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है । बाई पास के निर्माण का कार्य नेशनल हाई वे की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित कर लिया गया है ।

आगरा बाई पास—इसमें दो बाईपास बनाने की आयोजना है ।

पहला नेशनल हाई वे नम्बर २ पर ।

दूसरा नेशनल हाई वे नम्बर २ और ३ को मिलाने के लिये ।

पहले बाई पास के लिये केन्द्रीय सरकार से भूमि प्राप्त करने के लिये आगणन पर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इसके निर्माण का कार्य नेशनल हाई वे की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित कर लिया गया है ।

दूसरे बाईपास का संरेखण केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १००–१०१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३५ पर)

सूची

क्रम-संख्या	पुल का नाम	निर्माण व्यय	औसत मासिक आमदनी	औसत मासिक व्यय कर्मचारियों पर टी० ए० अतिरिक्त
१	२	३	४	५
		लाख रु०	रु०	रु०
१	आमी नदी पुल बालूआसन घाट, खलीलाबाद में इदावल मार्ग मील ६ पर ..	३.२७	२,८७१.३०	४७४
२	बांसी पुल राप्ती नदी पर बस्ती-बांसी नवगढ़ मार्ग ३३ मील पर बांसी जिला बस्ती में	१४.७७	२,४२८.२४	४७४
३	बघेन पुल बघेन नदी पर इलाहाबाद-बांदा मार्ग में ९२ मील पर जिला बांदा	१०.५०	४,८४८.२०	७४५
४	ढेला पुल ढेला नदी पर मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा-काशीपुर मार्ग पर १४ वें मील पर, जिला मुरादाबाद ..	३.३०	५,४७४.४८	७४५
५	ढेला पुल ढेला नदी पर मुरादाबाद ठाकुरद्वारा-काशीपुर मार्ग पर ३५ मील पर, जिला नैनीताल ..	५.५०	७,५१८.४४	७४५
६	घाट पुल सरयू नदी पर टनकपुर-पिथौरागढ़ के ७६ मील पर, जिला अल्मोड़ा	४.५	३,५३८.७७	७४५
७	जगबूढ़ापुल पीलीभीत-टनकपुर मार्ग पर ६८ मील में जिला पीलीभीत ..	६	३,८९७.५६	७४५
८	कचला घाट पुल गंगा नदी पर बरेली-मथुरा रोड मील ४८ जिला बदायूं ..	९.७५	९,४७५.४०	४७४
९	कीर्तिनगर पुल अलखनन्दा नदी पर हरिद्वार-बद्रीनाथ मार्ग ..	७.१७	२,१७४.०२	४७४
१०	सोनपुल सोन नदी पर चौपन स्थान में जिला मिर्जापुर ..	४७,५२,९०१	९,७८०.१९	४७४
११	नैपुरा घाट पुल पर गोमती नदी पर हैदरगढ़-रामसनेही घाट मार्ग मील ६	८.४३	१,६८६.८७	४७४

क्रम-संख्या	पुल का नाम	निर्माण व्यय	औसत मासिक आमदनी	औसत मासिक व्यय कर्मचारियों पर टी० ए० अतिरिक्त
१	२	३	४	५
१२	मालिन नदी पुल बिजनौर-मान्डावर मार्ग, जिला बिजनौर ..	४,५७,५००	१,१५८.३२	४७४ रु०
१३	टेहरी नदी पर पुल बलरामपुर-गोंडा मार्ग के ४१ मील पर ..	४.३२ लाख	१,९३४.८९	४७४ रु०
१४	सरयू नदी पर पुल, बहराइच-बहराम घाट, मार्ग २ मील पर ..	४.८५ लाख	६,१४२.३८	४७४ रु०
१५	रोहिन पुल, रोहिन नदी पर, गोरखपुर-फरेंदा मार्ग १ मील पर ..	८.७४ लाख	३,५२५.४५	४७४ रु०
१६	सोंग नदी पर पुल, देहरादून-दोईवाला, ऋषिकेश मार्ग मील १३ पर ..	१३,७१,५००	६,६६६.०७	४७४ रु०
१७	कर्मनासा पुल, चकिया-इलिया मार्ग, जिला वाराणसी ..	६.४९ लाख	१,०८२.६०	४७४ रु०
१८	सोन नदी पर पुल, देबाई बबराला-चन्दौसी मार्ग पर मील २९ ..	५.३७४ लाख	१,९५३.८७	४७४ रु०
१९	बेला कूची पुल हरिद्वार-बद्रीनाथ मार्ग, जिला गढ़वाल ..	४ लाख	८७७.४०	४७४ रु०
२०	बूढ़ी राप्ती पुल, ककराही स्थान पर बांसी-नवगढ़ मार्ग मील ६ पर ..	९.२५ लाख	१,५३३.२५	४७४ रु०
२१	बेसा नदी पर पुल, बनारस-बलिया मार्ग ५० वें मील पर	४.१७५ लाख	२,४००.८८	४७४ रु०

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३९ पर)

रीजनल पी० डब्लू० डी० मजदूर यूनियन, फैजाबाद का दिनांक १–९–५९ का एक स्मृति-पत्र सरकार को ५–१२–१९५९ को प्राप्त हुआ था। उसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग के रोड गैन्ग के झगरू नामक मेट की पदोन्नति की मांग।

(२) नौकरी से हटाये गये कुछ मेटों तथा बेलदारों की पुनर्नियुक्ति की मांग।

(३) फैजाबाद डिवीजन कांफ्रेन्स द्वारा उठाई गई मांगों को पूरा कराने की मांग।

(४) श्री जगतसिंह, ओवरसियर के अवैधानिक एवं गलत कारनामों की जांच की मांग।

इन मांगों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही हुई है:—

(१) झगरू मेट को कुछ मास पूर्व उसकी स्वीकृत अवधि समाप्त होने पर नौकरी से पृथक कर दिया गया था। किन्तु शीघ्र ही पुनः आवश्यकता पड़ने पर उसे मेट के पद पर नियुक्त कर लिया गया है और वह निरन्तर उसी पद पर कार्य कर रहा है।

(२) कार्य की कमी हो जाने पर गैन्ग के मेटों और बेलदारों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी की गई थी। कार्य बढ़ने पर उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

(३) फैजाबाद डिवीजन कांन्फ्रेन्स की अधिकांश मांगें ऐसी हैं जो सरकार द्वारा पहिले ही स्वीकृत हो चुकी हैं, किन्तु कुछ मांगें जिनमें वित्तीय कठिनाइयां सम्मिलित हैं अभी सरकार के विचाराधीन हैं। इनकी मांगें तथा उस पर की गई कार्यवाही की तालिका संलग्न है।

(४) श्री जगतसिंह ओवरसियर के विरुद्ध ऐसी कोई निश्चित शिकायत नहीं प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जाय।

मजदूर यूनियन फैजाबाद कान्फ्रेंस की मागें तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण

मजदूर यूनियन फैजाबाद कांफ्रेन्स ने निम्नलिखित मांगें पेश की थीं:—

(१) सभी वर्क चार्ज कर्मचारियों व मस्टर रोल के मजदूरों को स्थाई किया जावे।

(२) वर्क चार्ज स्टाफ को निकालने के निश्चित नियम होना चाहिये।

(३) पश्चिमी व पूर्वी जिलों के मेटों, बेलदारों व मजदूरों को समान वेतन दिया जाना चाहिये।

(४) समस्त वर्क चार्ज कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलना चाहिये।

(५) मजदूरों के कार्य के घन्टे निश्चित होने चाहिये तथा उन्हें अतिरिक्त घंटों का भत्ता एवं साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिये।

(६) विभाग के अधिकारियों का स्टाफ के साथ सद्व्यवहार होना चाहिये।

(७) ठेकेदारी समाप्त कर समस्त कार्य मजदूर सहयोगी संस्थाओं द्वारा कराये जायं।

उपर्युक्त मांगों पर सरकार द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित आदेश जारी किये गये हैं—

मांग (१) यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

मांग (२) इस विषय में सरकार ने निम्नलिखित आदेश पहिले ही जारी किये हैं जिनका पालन भी किया जाता है :—

(अ) शासकीय पत्र संख्या १७५२/२, एम एस० २३ दिनांक १०-९-५५ : यह आदेश दिया गया है कि वर्क चार्ज कर्मचारी की नौकरी पर (Constitution of India) का नियम ३११ लागू होता है। जिसके अनुसार यदि किसी वर्क चार्ज कर्मचारी को उसकी स्वीकृत अवधि समाप्त होने के पूर्व कार्य भार की कमी या किसी अन्य कारणवश निकालने की आवश्यकता हो तो उसे १ माह पूर्व नोटिस देना आवश्यक है।

(ब) शासकीय पत्र संख्या १०१२ / एम० एस० २३ दिनांक ७-५-५७: इस आदेश के अन्तर्गत उन वर्कचार्ज कर्मचारियों को जिनकी नौकरी १ साल या उससे अधिक की हो गई हो, नौकरी से निकालने के लिये लिखित रूप में समस्त कारण देना होगा तथा दूसरे उच्च अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

(स) शासकीय पत्र संख्या ४६३ डब्लू सी/२३ दिनांक १३-१०-५८: इस आदेश के अन्तर्गत सभी श्रेणी के वर्क चार्ज कर्मचारियों की Gradation list बनाना होगा और यदि छटनी का कोई अवसर हो तो निम्नतम कर्मचारी को हटाया जायगा। वर्क चार्ज कर्मचारियों का Character Roll भी रक्खा जायगा। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया गया है कि जो कर्मचारी निकाला जाय उसका नाम उसी circle की दूसरी डिवीजनों को भेज दिया जाय ताकि यदि वहां आवश्यकता हो तो उसको रख दिया जाये।

मांग संख्या (३)—इस संबंध में मुख्य अभियन्ता द्वारा उचित आदेश जारी किए जा चुके हैं। उस आदेश के अनुसार अब पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों के समस्त मेटों, बेलदारों, व मजदूरों को क्रमशः ४० : ३५: ३० रु० माहवार का वेतन दिया जाता है। यह न्यूनतम वेतन है तथा कथित कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाता है।

मांग संख्या (४)—इस विषय में यह कहना है कि सरकार ने उन वर्क चार्ज इम्प्लाईज को जो किसी निश्चित वेतन क्रम में कार्य करते हैं बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता देना स्वीकार किया है। जो कर्मचारी निर्धारित वेतन पाते हैं उनका प्रश्न अभी विचाराधीन है।

मांग संख्या (५)—इस विषय में शासकीय पत्र संख्या १३४२ डब्लू सी०/२३ दिनांक ९-५-५९ के अन्तर्गत आदेश जारी किये जा चुके हैं कि मजदूरों से प्रतिदिन ८ घंटे से अधिक कार्य न लिया जाये। शा० प० संख्या २११४ डब्लू० सी०/२३ दिनांक १३-७-५९ द्वारा

यह आदेश पुनः जारी हुए हैं कि मजदूरों से ८ घंटे से अधिक कार्य लेने पर अतिरिक्त कार्य का उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जावे। शासकीय पत्र संख्या ४९४५ डब्लू सी०/२३ दिनांक २४-१०-५९ के अनुसार वर्क चार्ज कर्मचारियों को प्रत्येक रविवार की छुट्टी भी स्वीकृत की गई है।

मांग संख्या (६) विभाग के समस्त अधिकारियों को आदेश दिये जा चुके हैं कि वे विभाग के सभी कर्मचारियों के प्रति अच्छा व्यवहार करें और यदि उनकी कोई दिक्कतें हो तो उन्हें दूर करें।

मांग संख्या (७) इस संबंध में यह आदेश दिये जा चुके हैं कि २,००० रु० तक की धनराशि वाले कार्यों को सहकारी मजदूर संस्थाओं को Average tendered rates (for the regions) पर बगैर टेन्डर मांगे हुए दिये जायं।

अन्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४० पर)

करौता ताल ड्रेन की रिपोर्ट

देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में करौता ताल, करौता ग्राम भटनी बरहज ओ० टी० रेलवे ब्रांच लाइन के सथरांव रेलवे स्टेशन के ३ मील पूर्व की ओर स्थित है।

यह ताल ३५० एकड़ से अधिक क्षेत्र में गाद्य निम्नता (शेलो डिप्रेशन) में है।

ओ० टी० रेलवे के उत्तर की ओर इस ताल का जलग्रहण क्षेत्र (कैचमेन्ट एरिया) ५ वर्ग मील है। करौता ग्राम के ग्रामीणों ने एक लगभग ३ फिट ऊंचा बांध इस ताल के चारों तरफ बनाया था जिससे कि बरसाती पानी इस ताल में इकट्ठा न हो और उसके पश्चिम में रेलवे लाइन की छोटी पुलिया द्वारा निकल जाय। जब इस ताल में बाढ़ आती है तो इसमें करौता ग्राम के मकानों को क्षति होती है। अतएव ग्रामीण इस बांध की वर्षा काल में रखवाली करते हैं।

इस ताल की भूमि धान की फसल के लिये बहुत उपयोगी है परन्तु इस ताल से जल निकास का कोई साधन न होने से या तो अधिक वर्षा के कारण वर्षा के आरम्भ में पूर्ण फसल बोई नहीं जाती या वर्षा काल में क्षतिग्रस्त हो जाती है।

एक ड्रेन १ मील ६ फर्लांग लम्बी जिसकी तली की चौड़ाई ४ फिट तथा बड स्लोप १:२ प्रति मील होगी प्रस्तावित की गई है। यह ड्रेन एक प्राकृतिक नाले में जो घाघरा नदी में मिलता है, में गिरेगी। २५ फिट की चौड़ाई में भूमि ली जायेगी ताकि यदि भविष्य में इस ड्रेन को चौड़ा करने की आवश्यकता हुई, तो ऐसा किया जा सके।

इस योजना की लागत ३,३४८] रुपया होगी।

ह० आर० पी० अग्रवाल
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर,
ड्रेनेज डिवीजन, बस्ती।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४० पर)

तालिका १

उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में स्टार एंड ग्रिड फारमूला क आधार पर सड़कों का निर्माण हो चुका है, उनके नाम निम्नलिखित हैं :

१---आगरा ..	.. २---इलाहाबाद
३---बाराबंकी ..	.. ४---बिजनौर
५---देहरादून ..	.. ६---गाजीपुर
७---जौनपुर ..	.. ८---कानपुर
९---लखनऊ ..	.. १०---मथुरा
११---नैनीताल ..	.. १२---प्रतापगढ़
१३---सहारानपुर ..	.. १४---वाराणसी

विधान सभा सचिवालय

तालिका २

उत्तर प्रदेश के वे जिले जिनमें स्टार एंड ग्रिड फारमूला के आधार पर सड़कों का निर्माण अभी नहीं हो पाया है तथा उनमें अब तक हुई प्रगति

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रगति (प्रतिशत)
१	अलीगढ़	९३.१
२	अल्मोड़ा	६९.४
३	आजमगढ़	९४.४
४	बदायूं	६२.३
५	बहराइच	३७.९
६	बलिया	६०.६
७	बांदा	५७.३
८	बरेली	८९.१
९	बस्ती	५८.९
१०	बुलन्दशहर	८८.६
११	देवरिया	६६.८
१२	एटा	७६.०
१३	इटावा	९५.५
१४	फैजाबाद	९५.२
१५	फर्रुखाबाद	८७.२
१६	फतेहपुर	७२.९
१७	गढ़वाल	६१.८
१८	गोंडा	६९.०
१९	गोरखपुर	६८.०
२०	हमीरपुर	६१.१
२१	हरदोई	४९.५
२२	जालौन	६६.६
२३	झांसी	७३.०
२४	खीरी	७८.०
२५	मैनपुरी	९९.२
२६	मेरठ	६८.३
२७	मिर्जापुर	५६.३
२८	मुरादाबाद	७६.०
२९	मुजफ्फरनगर	५५.७
३०	पीलीभीत	४६.२
३१	राय बरेली	९०.०
३२	रामपुर	८१.७
३३	शाजहांपुर	६४.०
३४	सीतापुर	८८.९
३५	सुल्तानपुर	७०.८
३६	टेहरी	८१.८
३७	उन्नाव	६२.३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "अ"

(देखिये तारांकित प्रश्न १४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४३ पर)

वित्तीय वर्ष १९५९–६० में १० नलकूपों का निर्माण निश्चित किया गया था जिनमें से ७ नलकूप बस्ती जिले में निम्नलिखित स्थानों पर बनेंगे और शेष ३ नलकूपों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

नाम ग्राम	तहसील
१—डुमरी	बस्ती
२—गनेशपुर	बस्ती
३—बेलाकलां	खलीलाबाद
४—लहरौली	डुमरियागंज
५—महेलवां	डुमरियागंज
६—घुरही	खलीलाबाद
७—फखरा	बस्ती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ञ"

(देखिये तारांकित प्रश्न १५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४४ पर)

तालिका

जिला	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मार्च, १९५१ से दिसम्बर १९५९ तक बनाई गई सड़कों की लम्बाई		जिला	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मार्च, १९५१ से दिसम्बर, १९५९ तक बनाई गई सड़कों की लम्बाई	
	मील	फर्लांग		मील	फर्लांग
१—आगरा	३८	५	२७—हमीरपुर	८२	४
२—अलीगढ़	१०	०	२८—हरदोई	५०	५
३—इलाहाबाद	८९	६	२९—जालौन	६०	०
४—अल्मोड़ा	४३८	२	३०—जौनपुर	२५	०
५—आजमगढ़	२३	०	३१—झांसी	३	०
६—बदायूं	६२	७	३२—कानपुर	२७	०
७—बहराइच	४५	५	३३—खीरी	१२४	६
८—बलिया	३८	३	३४—लखनऊ	९	३
९—वाराणसी	१०१	३	३५—मैनपुरी	४७	०
१०—बांदा	७६	७	३६—मथुरा	५४	०
११—बाराबंकी	२१	०	३७—मेरठ	१५७	०
१२—बरेली	१३	६	३८—मिर्जापुर	५९	०
१३—बस्ती	५२	५	३९—मुरादाबाद	९३	१
१४—बिजनौर	११४	२	४०—मुजफ्फरनगर	११२	६
१५—बुलन्दशहर	५४	३	४१—नैनीताल	१६७	२
१६—देहरादून	७	०	४२—प्रतापगढ़	२०	०
१७—देवरिया	१४७	५	४३—पीलीभीत	३३	०
१८—एटा	२२	१	४४—रायबरेली	१८	०
१९—इटावा	४४	०	४५—रामपुर	२५	०
२०—फैजाबाद	२८	६	४६—सहारनपुर	७९	१
२१—फर्रुखाबाद	२५	०	४७—शाहजहांपुर	२८	५
२२—फतेहपुर	१२०	४	४८—सीतापुर	४१	३
२३—गढ़वाल			४९—सुल्तानपुर	३१	०
२४—गाजीपुर	३७	२	५०—टेहरी	५१	०
२५—गोंडा	८३	६	५१—उन्नाव	१९	०
२६—गोरखपुर	१११	४			

कुल योग ३,२२६ मील ५ फर्लांग

या ३,२२७ मील

नत्थी "ट"

(देखिये तारांकित प्रश्न १५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४४ पर)

हरीघाट पम्प नहर के अपूर्ण कार्य—

अ—हेड वर्क्स पर ६० क्यूजेक्स के ४ पम्प का लगना ।

ब—माइनर तथा डिस्ट्रीब्यूटरी :—

१—हृदय पट्टी माइनर
२—सराय गणेश माइनर
३—सेमरी जमालपुर माइनर
४—शाहपुर माइनर
५—अखोप माइनर
६—अहरौली माइनर
७—हुसैनपुर माइनर
८—लिलकर माइनर
९—बड़ा गांव माइनर
१०—महोली माइनर
११—विसनपुरा माइनर
१२—मिठवार माइनर
१३—पिपरौली डिस्ट्रीब्यूटरी
१४—रामपुर माइनर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४५ पर)

विवरण

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले सभी निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिये निरीक्षण के अवसर पर, विधायकों को यथाशक्य सभी सुविधायें देने के लिये तथा वांछित सूचनायें उपलब्ध करने के लिये सभी अभियन्ताओं को निदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(२) सिंचाई विभाग के निर्माण कार्यों के समीप के निरीक्षण गृहों में विधायकों को ठहराने, राजकीय सेवा मार्गों (Service roads) का उपयोग करने, तथा निर्माण-कार्यों के निरीक्षण कराने की सुविधायें उपलब्ध हैं ।

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

नत्थी "ड"

(देखिये तारांकित प्रश्न १६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर)

क्रमांक	नहर का नाम	ग्रामों के नाम जिनके बीच होकर नहर निकलेगी	
१	वारिलपुर माइनर	१—पूरा प्रतापशाह	२—ताउद्दीनपुर
		३—घूरीपुर	४—शीशपुर उर्फ शेखपुर
		५—रामेपुर	६—नवादा
		७—धारिकपुर	८—देवापुर
		९—सवेली	
२	तिलौरा माइनर	१—करौरा	२—तिलौरा
		३—कल्यानपुर	
३	मिर्जापुर माइनर	१—मिर्जापुर	२—देहलूपुर
		३—अहमदपुर	४—चकरहमानपुर
		५—खवाजापुर	६—महमूदपुर
		७—कोटवा	८—आहियापुर
		९—ननोराकला	१०—बसहटा
४	तुलापुर माइनर	१—घिस्वा	२—उमापुर
		३—मारूफपुर	४—रजापुर
		५—ननौरा खुर्द	६—टीकरडीह
५	टिकारी माइनर	१—सेखा	२—सुरतासापुर
		३—रईया	
६	कल्यानपुर	१—लाचोपुर	२—कल्यानपुर
		३—बीठेपार	४—कोथली
		५—बेलगहनी	

अनुपूरक पुस्तक

नत्थी "ढ़"

(देखिये तारांकित प्रश्न १७० का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर)

पुरवा ब्रांच द्वारा १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक निम्नलिखित तिथियों को सिंचाई हुई--

जनवरी--दिनांक १० जनवरी को छोड़कर शेष ३० दिन पानी मिला।

फरवरी--दिनांक १,२ व ३ को पानी मिला।

मार्च--दिनांक २३ से २९ तक कुल ७ दिन पानी मिला।

अप्रैल--दिनांक ५ से ८ व दिनांक १३ से २६ तक यानी कुल १८ दिन पानी मिला।

मई--दिनांक ४ से ११ तक व दिनांक १८ से ३१ तक यानी कुल २२ दिन तक पानी मिला।

जून--पूरे ३० दिन पानी मिला।

जुलाई--दिनांक १ से २७ तक यानी कुल २७ दिन पानी मिला।

अगस्त--दिनांक ८ से ३१ तक यानी कुल २४ दिन पानी मिला।]

सितम्बर--पूरे ३० दिन पानी मिला।

अक्तूबर--पूरे ३१ दिन पानी मिला।

नवम्बर--दिनांक १ से ४ दिनांक १४ व १५ व दिनांक २६ से ३० तक यानी कुल ११ दिन पानी मिला।

दिसम्बर--पूरे ३१ दिन पानी मिला।

अतर पदेश विधान सभा

नत्थी "ण"

(देखिये तारांकित प्रश्न १७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४७ पर)

मध्य प्रदेश, बिहार, बम्बई और केरल में २०० रु० से ऊपर वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों का स्टेटमेन्ट—

मध्य प्रदेश

वेतन	महंगाई भत्ता
२०१ रु० से ३०० रु० तक	४० रु०
३०१ रु० से ३५० रु० तक	५० रु०
३५१ रु० से ४०० रु० तक	६० रु०
४०१ रु० से ४५० रु० तक	७० रु०
४५१ रु० से ५०० रु० तक	७५ रु०
५०१ रु० से ७५० रु० तक	८५ रु०
७५१ रु० से १,००० रु० तक	१०० रु०
१,००१ रु० से १,१०० रु० तक	वेतन १,१०० रु० से जितना कम हो।

बिहार

नान गजटेड (non-gazetted) तथा विवाहित गजेटेड

वेतन	महंगाई भत्ता
२०१ रु० से २५० रु० तक	वेतन का २० प्रतिशत लेकिन कम से कम ४५ रु० और उस के ऊपर १५ रु० की वृद्धि।
२५१ रु० से २५९ रु० तक	वेतन ३१५ रु० से जितना कम हो।
२६० रु० से २७५ रु० तक	वेतन का २० प्रतिशत और उसके ऊपर वह वृद्धि जितना महंगाई भत्ता ५५ रु० से कम हो।
२७६ रु० से ३०० रु० तक	वेतन का २० प्रतिशत लेकिन कम से कम ४५ रु०।
३०१ रु० से १,००० रु० तक	वेतन का साढ़े सत्रह प्रतिशत लेकिन ६० रु० से कम नहीं और १०० रु० से अधिक नहीं।
१,००१ रु० से १,१०० रु० तक	वेतन १,१०० रु० से जितना कम हो

अविवाहित गजेटेड (gazetted)

वेतन	महंगाई भत्ता
२०१ रु० २५० रु० तक	वेतन का १० प्रतिशत लेकिन कम से कम २५ रु० और उसके ऊपर १५ रु० की वृद्धि।
२५१ रु० से २५९ रु० तक	वेतन २९० रु० से जितना कम हो।
२६० रु० से ३०० रु० तक	वेतन का १० प्रतिशत और उस के ऊपर वह वृद्धि जितना महंगाई भत्ता ३० रु० से कम हो।
३०१ रु० से १,००० रु० तक	वेतन का १० प्रतिशत लेकिन ७५ रु० से अधिक नहीं।
१,००१ रु० से १,०७५ रु० तक	वेतन १,०७५ रु० से जितना कम हो।

बम्बई

नान गजटेड (non-gazetted) कर्मचारी

वेतन	मंहगाई भत्ता
२०१ रु० से ३०० रु० तक	६० रु०
३०१ रु० से ५०० रु० तक	७० रु०
५०१ रु० से ७५० रु० तक	८५ रु०
७५१ रु० से १,००० रु० तक	१०० रु०

विवाहित गजेटेड (gazetted) अधिकारी

वेतन	महंगाई भत्ता
२०१ रु० से ३०० रु० तक	६० रु०
३०१ रु० से ५०० रु० तक	७० रु०
५०१ रु० से ७५० रु० तक	८५ रु०
७५१ रु० से १,००० रु० तक	१०० रु०
१,००१ रु० से १,१०० रु० तक	वेतन १,१०० रु० से जितना कम हो।

अविवाहित गजटेड (gazetted) अधिकारी

वेतन	मंहगाई भत्ता
१००० रु० तक	वेतन का १० प्रतिशत लेकिन ४० रु० से कम नहीं और ७५ रु० से अधिक नहीं।
१,००१ रु० से १,०७५ रु० तक	वेतन १,०७५ रु० से जितना कम हो।

केरल

वेतन	मंहगाई भत्ता
२०१ रु० से ३२५ रु० तक	वेतन का २० प्रतिशत लेकिन कम से कम ४७ रु०।
३२६ रु० से ४०० रु० तक	वेतन का साढ़े सत्रह प्रतिशत लेकिन कम से कम ६५ रु०।
४०१ रु० से ५०० रु० तक	वेतन का १५ प्रतिशत लेकिन कम से कम ७० रु०।
५०१ रु० से ७५० रु० तक	८५ रु०
७५१ रु० से १,००० रु० तक	१०० रु०
१,००१ रु० से १,१०० रु० तक	वेतन १,१०० रु० से जितना कम हो।

सैयद अली जहीर,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—४६ एल० ए०—१९६०—८४५।